

मंगलवार, 12 आषाढ़, शक संवत् 1934
(03 जुलाई, 2012 ई०)

खण्ड-481
अंक-1

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा कल आयुष डाक्टरों पर हुए लाठीचार्ज की सूचना उठाने का प्रयास किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा आपकी सूचना नियम-51 में ले ली गयी है।

नेता विरोधी दल द्वारा मानसून में देरी होने से सूखे के प्रकोप से किसानों के हित की बात विनियोग विधेयक से पहले सुनिश्चित किये जाने की मांग किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा पहले विनियोग विधेयक प्रस्तुत हो जाय।

मुख्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

मुख्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित किया।

(प्रतियां वितरित की गईं)

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह ने प्रदेश में विकास के कार्य अवरुद्ध बताते हुए कहा कि सरकार की तरफ से यह आश्वासन आना चाहिए कि वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी सूचना जिलों में शीघ्रातिशीघ्र पहुंच जाय जिससे विकास के कार्य एवं बिजली की अव्यवस्था दुरुस्त हो सके।

तदुपरान्त मा० मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आज नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सभी 81 सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
1	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद विद्युत विभाग की लापरवाही से मानव तथा जानवरों की हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति कराने व दोषियों को दंडित किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	जनपद बस्ती शहर के अन्तर्गत बस्ती सदर में सीवर लाइन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री मुकेश शर्मा	विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर में मीणा समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने एवं अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री अमित गौरव यादव	प्रदेश में बाल सेविका के पद एवं वेतन का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'	जनपद लखनऊ में सर्वोदय नगर एवं सेक्टर 25 स्थित 33/11 के०वी० उपकेन्द्र से कुर्माचल नगर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में लो-बोल्टेज से निवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
6	श्री विजय मिश्र	गाजीपुर जनपद में गोंड जाति एवं खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री हाजी इरफान सोलंकी	जनपद उन्नाव में दबंगों द्वारा दलित परिवार का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8	श्री गेंदालाल चौधरी	जनपद महामाया नगर के विधान सभा क्षेत्र हाथरस के नाले व नालियों के चोक हो जाने तथा पानी का निकास न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9	श्री मदन गोपाल वर्मा	जहानाबाद फतेहपुर में विद्युत तारों की जर्जर की स्थिति के कारण बदले जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री प्रभूदयाल बाल्मीकी	जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में पूरन नगर तिराहे से मानक नगर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर हुए अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
11	श्री बृजलाल सोनकर	जनपद आजमगढ़ की मेहनगर तहसील में आने वाली बाढ़ से सैकड़ों एकड़ जमीन तथा फसल की रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री बेचई सरोज	विधान सभा क्षेत्र लालगंज, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत पिचरोड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
13	श्री पूर्णमासी देहाती	विशाल खण्ड-1 गोमतीनगर लखनऊ के पार्क से अनाधिकृत कब्जा हटवाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री तेजपाल सिंह	जनपद मथुरा के परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों से की जा रही अवैध वसूली एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
15	डा० रश्मि आर्य	विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर जनपद झांसी के अन्तर्गत पिच रोड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
16	श्री विजय बहादुर यादव	गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि को जबरन नोटिस देकर कब्जा लेने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में।
17	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	उ०प्र० पुलिस रेडियो विभाग में 26-04-2005 को विज्ञापित रेडियो स्टेशन अधिकारी का परिणाम 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी न घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	जनपद बहराइच के कैसरगंज के ग्राम गाजीपुर के गाटा संख्या-298-99 खतौनी में सीलिंग करते हुये भूमिहीनों को भूमि न दिये जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री अजय मिश्र "टेनी"	विधान सभा क्षेत्र निघासन बेलरायां (लखीमपुर) के दुधवा नेशनल पार्क से प्रवेश द्वार खोले जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री रविन्द्र जायसवाल	उ०प्र० में बी०एड० प्रवेश-परीक्षा में स्ववित्त पोषित कालेजों में 15 प्रतिशत कोटा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
21	श्री बजरंग बहादुर सिंह	महाराजगंज के फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र में शाहबाद के अन्तर्गत ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
22	श्रीमती विमला सिंह सोलंकी	पटेल नगर योजना इन्दिरा नगर लखनऊ में स्थित नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्रीमती सीमा द्विवेदी	मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर के तारडीह गांव पर कदम पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
24	डा० राधा मोहनदास अग्रवाल	गोरखपुर-बस्ती मण्डल के 07 जनपदों के बीच मेट्रो रेल चलाये जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर नगर के कतिपय मोहल्लों की कच्ची सड़को को डामरयुक्त/सी०सी० रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।
26	श्री आबिद रजा	जनपद बदायूं में देशी व अंग्रेजी शराब की बिक्री निर्धारित एवं प्रिन्ट रेट से अधिक दामों पर विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री उमाशंकर	विधान सभा रसड़ा के गांव अजौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।
28	श्री जमील अहमद	लखनऊ के चिनहट बाजार में सीवरीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
29	श्री राम मगन रावत	हैदरगढ़ बाराबंकी में 20 राजकीय नलकूप व 02 पम्प नहर लगाकर सिंचाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
30	श्री रविदास मेहरोत्रा	प्रदेश के 992 माध्यमिक शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।
31	श्री श्याम बहादुर सिंह यादव	निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर पवई में स्थित भदौला ताल से निकली ड्रेन की सफाई/खुदाई के सम्बन्ध में।
32	श्री शमीमुल हक	बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सर्वशिक्षा अभियान में लगे अध्यापकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
33	श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)	वाराणसी स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डीय राजकीय चिकित्सालय में आई०सी०यू० एवं अन्य चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
34	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया	जनपद कुशीनगर में एस०डी०एम० द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में।
35	श्री मनीष रावत	सिधौली जनपद सीतापुर में इन्दू देवी के नाम से भूमि का विक्रय कर धारा-157 'क' का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में।
36	श्री भीम प्रसाद सोनकर	जनपद अम्बेडकर नगर में तैनात डी०एफ०ओ० द्वारा बड़े पैमाने पर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।
37	श्री जियाउद्दीन रिजवी	बलिया जनपद के सिकन्दरपुर विधान सभा के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक सर्जन एवं महिला डाक्टर समेत अन्य कर्मचारियों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में।
38	श्री मनबोध प्रसाद	विधान सभा सलेमपुर जनपद देवरिया की नगर पंचायत में एक विद्युत उपकेन्द्र लगाये जाने के सम्बन्ध में।
39	श्री आरिफ अनवर हाशमी	उतरौला जनपद बलरामपुर स्थित स्वास्थ्य केन्द्र पर पुरुष एवं महिला डाक्टर मानक के अनुसार नियुक्त किये जाने तथा अन्य चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
40	श्री प्रमोद तिवारी	जनपद प्रतापगढ़ में सरकारी वितरण प्रणाली की दुकानों से केरोसीन तेल उपलब्ध कराये जाने एवं कालाबाजारी रोके जाने के सम्बन्ध में।
41	श्री संजय कपूर	रामपुर की तहसील बिलासपुर में परिवहन निगम का बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में।
42	श्री गयादीन अनुरागी	सहारनपुर-मेरठ जिले की कोरी जाति के लोगों का जाति प्रमाण-पत्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
43	श्री पूरन प्रकाश	मथुरा जनपद बल्देव में फ्लाई ओवर तथा बाईपास रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।
44	श्री भगवती प्रसाद सूर्यवंशी	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा के गांव खण्डेहा में शुद्ध पेयजल हेतु टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
45	ठा० दलवीर सिंह	जनपद अलीगढ़ के हिन्द एग्री इण्डस्ट्रीज में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
46	श्री त्रिलोकी राम	जनपद अलीगढ़ में इगलास में पेयजल एवं खारे पानी की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
47	श्री राजेश अग्रवाल	बरेली कैन्टोमेन्ट क्षेत्र की मलिन बस्तियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
48	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर की विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में नाबालिग लड़की के अपहरण के बावजूद कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।
49	श्री रमेश चन्द्र	जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
50	श्री रामहेत भारती	जनपद सीतापुर के हरगांव विकास खण्ड एवं बेहटा के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
51	श्री ओम कुमार	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नटहौर के प्रतिभावान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाये जाने तथा वेट लिफ्टिंग की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
52	चौ० गजेन्द्र सिंह	राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की देयों का भुगतान किये जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
53	श्री राजेन्द्र	गोरखपुर में स्थापित यूनिटों द्वारा सी०एस०आर० के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
54	श्री काली चरन सुमन	आगरा ग्रामीण क्षेत्र के कतिपय सड़कों का लेपन एवं निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
55	श्री सतीश महाना	कानपुर महानगर में बसे गांधी ग्राम क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
56	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज	जनपद महोबा में जल निगम की निर्माण शाखा एवं वन विभाग द्वारा चेक डेमों में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
57	श्री महावीर सिंह राणा	जनपद सहारनपुर में ग्राम रण्डोल में पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।
58	श्री कमाल यूसुफ मलिक	जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में लोक निर्माण विभाग से बनगवां नानकार नहर के पुल का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
59	श्री प्रदीप माथुर	मथुरा शहर में वृन्दावन छटीकरा राधाकुण्ड मार्ग पर बनने वाला ओवर ब्रिज का कार्य अत्यन्त धीमी गति से होने एवं गोविन्द नगर में फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
60	श्री राजबली जैसल	जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र कोरांव में किसानों को सिंचाई हेतु लिफ्ट कैनाल लगाये जाने के सम्बन्ध में।
61	श्री आलम बदी	निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
62	श्रीमती हेमलता चौधरी	बागपत में यातायात की सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
63	श्रीमती पूजा पाल	जनपद इलाहाबाद में राजरूपपुर मोहल्ले की चकिया राजरूपपुर मार्ग पर दुर्गा मन्दिर के बगल की सड़क पर पाइप लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में।
64	श्री शारदा प्रताप शुक्ल	लखनऊ के पकरी ग्राम में नहर पर उपरगामी पुल बनाये जाने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में।
65	श्री उदय राज	विधायक निवास बी ब्लॉक पुराने में बने धोबी/दर्जी द्वारा पानी बिजली की बर्बादी किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
66	डा० धर्मपाल सिंह	जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर की नहरों को पानी देने वाली मुख्य नहरों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
67	श्री वीरपाल राठी	जनपद बागपत के ग्राम छपरौली की सड़क पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
68	श्री दलजीत सिंह	जनपद बांदा के नरैनी कस्बे में भू-माफियाओं ने हरे-भरे खेत दर्शाकर एक दबंग द्वारा भूमि का अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
69	श्री प्रभूदयाल बाल्मिकी	जनपद हरदोई की पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
70	श्री गोरख पासवान	विधान सभा क्षेत्र बल्थरा जनपद बलिया में 2 हासपावर का विद्युत मोटर कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।
71	डा० धर्म सिंह सैनी	सहारनपुर के विकास खण्ड सरसावां के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
72	श्री मनोज कुमार	निर्वाचन क्षेत्र सैय्यद राजा ब्लाक धानापुर में स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में।
73	श्री छोटे लाल वर्मा	निर्वाचन क्षेत्र फतेहाबाद में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
74	श्री राजेश त्रिपाठी	जनपद लखनऊ के गोमतीनगर में श्रीमती हेमलता गोपलानी द्वारा मीनाक्षी को भौतिक कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
75	श्री मदन चौहान	जनपद पंचशीलनगर के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे की भूमि पर माफिया कब्जा के सम्बन्ध में।
76	श्री विजय कुमार दुबे	जनपद कुशीनगर के खड्डा विकास खण्ड में साइफन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
77	श्री सन्त प्रसाद	जनपद लखनऊ में जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में।
78	श्री अगयश राम सरन वर्मा	जनपद पीलीभीत में राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न संकाय खोले जाने के सम्बन्ध में।
79	श्री प्रदीप चौधरी	जनपद सहारनपुर के कतिपय ग्रामों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
80	श्री सुभाष पासी	जनपद गाजीपुर में बाल विकास पुष्ताहार विभाग में किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
81	श्री शेर बहादुर सिंह	जनपद अम्बेडकर नगर में खजुरी बाजार, हचपुरा बाजार व मालपुर आदि बाजारों में फोर्सेविन नामक इंजेक्शन बिना किसी डाक्टर के परामर्श के बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
आज नियम-51 की कुल 100 सूचनायें प्राप्त हुईं जो सभी स्वीकार की गईं।		
1	उदयराज	उ० प्र० राज्य सेतु निगम लखनऊ में जीप चालक के पद से सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,
2	श्री आविद रजा	जनपद बदायूं में रेत बालू के अवैध खनन के सम्बन्ध में,
3	श्री जाकिर अली	गाजियाबाद के लोनी में जलभराव की समस्या को दूर करने हेतु समुचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
4	श्री मदन गोपाल वर्मा	फतेहपुर के जहानाबाद में विद्युत पोलों से तार की चोरी हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
5	डा० पूर्णमासी देहाती	उ० प्र० में प्लाटों की रजिस्ट्री का विधिमानीकरण की समय-सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
6	श्री सत्यदेव पचौरी श्री देव नारायण उर्फ जी०एम० सिंह	जनपद सीतापुर के ब्लाक महोली में क्षतिग्रस्त मार्ग के सी० सी० रोड एवं नालियों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में,
7	श्री बैजनाथ पासवान	लखनऊ में रसोई गैस उपभोक्ताओं को कम्प्यूटरीकृत बुकिंग सिस्टम के नाम पर परेशान किये जाने के सम्बन्ध में,
8	श्री जगराम पासवान	जनपद लखनऊ के विकास खण्ड काकोरी में वर्ष 2011-2012 में स्वीकृत आर०सी०सी० मार्ग का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
9	श्री दीपक पटेल	लखनऊ नगर में निर्मित आवासीय बहुखण्डी भवनों में नियमानुसार पार्किंग की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
10	श्री शेर बहादुर सिंह	जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में खजुरी बाजार तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
11	श्री सुखदेव लाल वर्मा	लखनऊ जनपद के महानगर सचिवालय कालोनी में लो-वोल्टेज एवं फ्लक्च्यूवेशन से विद्युत उपकरणों की क्षति के सम्बन्ध में,
12	श्री नजीबा खान	लखनऊ के त्रिवेणीनगर सीतापुर रोड में सफाई कर्मियों के अभाव में नालियों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
13	श्री मनीष असीजा	उ० प्र० सरकार द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के माध्यम से निर्माता निर्यातकों को माल भाड़े पर छूट सीमा की धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,
14	श्री प्रभुदयाल बाल्मिकी	जनपद मेरठ के वि०स० क्षेत्र हस्तिनापुर में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
15	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	जनपद आगरा के वि०स० क्षेत्र खेरागढ़ में गिरते हुए जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए गुंगावद बांध एवं रिछोहा बांध को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में,
16	श्री विजय कुमार पासवान	जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खुनियांव के ग्राम गंगवार बुजुर्ग से सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
17	श्रीमती मधुबाला	महात्मा ज्योतिबा राव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, लखनऊ में प्रवक्ता के पद पर अनियमित नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में,
18	श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य	जनपद शाहजहांपुर के वि०स० क्षेत्र जलालाबाद में विस्तारित विजनेस प्लान के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
19	श्री कमाल यूसुफ मलिक	जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड मिठवल के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,
20	श्री सतीश महाना	कानपुर में जे० एन० एन० आर० यू० एम० योजनान्तर्गत सीवर व पीने के पानी की पाइप लाइन डालने में मानक तय न किये जाने के सम्बन्ध में,
21	श्री उमाशंकर	जनपद बलिया के रसड़ा के अन्तर्गत विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
22	श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'	जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर में निर्मित सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
23	श्री राम मगन रावत	जनपद बाराबंकी के वि०स० क्षेत्र हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तारीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
24	श्री रविदास मेहरोत्रा	लखनऊ मध्य क्षेत्र के अधिकांश मोहल्लों में सीवर एवं पाइप लाइनें टूटी होने से दूषित जलापूर्ति के सम्बन्ध में,
25	श्री आलम बदी	जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद वि०स० क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
26	श्री रोशन लाल वर्मा	जनपद शाहजहांपुर के थानाध्यक्ष निगोही श्री जीत सिंह द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेप से वि०स० की प्रतिष्ठा को टेस पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में,
27	डा० धर्मपाल सिंह	जनपद आगरा के वि०स० क्षेत्र एत्मादपुर के विकास खण्ड खंदौली में दिनांक 13-6-2012 की रात में श्री रिकू की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
28	श्रीमती पूजा पाल	जनपद इलाहाबाद के वि०स० क्षेत्र शहर पश्चिमी में बने ससुर खदेरी नदी के जर्जर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
29	श्रीमती हेमलता चौधरी	जनपद बागपत के जिला मुख्यालय पर सुलभ शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
30	श्री गायत्री प्रसाद	संसदीय क्षेत्र अमेठी बाई पास की जर्जर सड़कों का निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में,
31	श्री प्रदीप माथुर	जनपद मथुरा में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिये जिला स्तरीय स्टेडियम स्व० श्री माहन पहलवान स्टेडियम को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में,
32	श्री जय प्रकाश निषाद	जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युत वितरण उपखण्ड-3 इटवा में श्री जगमोहन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सेवानिवृत्त के लाभों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,
33	श्री छोटे लाल वर्मा	जनपद आगरा के निर्वाचन क्षेत्र फतेहाबाद में लगे हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में,
34	श्री कालीचरन सुमन	जनपद आगरा के ग्रामीण वि०स० क्षेत्र अन्तर्गत मार्गों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
35	श्री रमेश चन्द्र	जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत दिनांक 19-6-2012 की रात में श्री प्रहलाद बिन्द की पेड़ के नीचे दबकर हुई मृत्यु के सम्बन्ध में,
36	श्री राम चन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास कार्य हेतु सामग्रियों की आपूर्ति में असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
37	श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली	जनपद आजमगढ़ के ब्लाक जहानागंज के अन्तर्गत जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
38	चौ० गजेन्द्र सिंह	जनपद बुलन्दशहर के वि०स० क्षेत्र अनूपशहर के ब्लाक लखावटी बुलन्दशहर, जहांगीराबाद अनूपशहर के ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
39	डा० धर्म सिंह सैनी	जनपद सहारनपुर के वि०स० क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत ग्राम बांधी व रानीपुर के मध्य बनी होम पाइप पुलिया के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
40	श्री लोकेश दीक्षित	डा० महादेवी इंस्टीट्यूट आफ साइंस एवं टेक्नोलाजी मथुरा में अध्ययनरत सत्र 2011-2012 के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति शुल्क की प्रतिपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में,
41	श्री सन्त प्रसाद	घाघरा नदी के तटबन्ध शाहपुर खडगपुर एवं सोपायी बंधे की तत्काल मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
42	श्री अगयश राम सरन वर्मा	जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के उप निबन्धक कार्यालय में सुविधा शुल्क की वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
43	श्री कृष्णपाल राजपूत	उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण में वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में,
44	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	जनपद लखीमपुर खीरी के वि०स० क्षेत्र मोहम्मदी के अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
45	श्री उमेश पाण्डेय	जिला मऊ में पोपागंज भातकोल मोड़ पर दिनांक 10-5-2012 को रोहित मदेशिया की गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में,
46	श्री ओम कुमार	जनपद बिजनौर के वि०स० क्षेत्र नटहौर अन्तर्गत ग्राम फरीदपुर मान में दिनांक 3-6-2012 की आगजनी की घटना के सम्बन्ध में,
47	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज	निर्वाचन क्षेत्र महोबा में दूसरा राजकीय बालिका इण्टर कालेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में,
48	श्री रामहेत भारती	जनपद सीतापुर के किसानों का गेहूं क्रय केन्द्रों से भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में,
49	श्री मदन चौहान	जनपद पंचशील नगर में गढ़ ब्रजघाट में पवित्र गंगा किनारे बेरीकेटिंग लगाये जाने के सम्बन्ध में,
50	श्री बंशी सिंह पहाड़िया	लखनऊ में पाण्डेय के तालाब निवासी श्रीमती फूलमती गौतम के मकान पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में,
51	श्रीमती सीमा द्विवेदी	जनपद बाराबंकी के थाना देवां के अन्तर्गत श्री भगवान दीन से जबरदस्ती बैनामा कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
52	श्री विजय कुमार दुबे	कुशीनगर में वित्तीय वर्ष 2012-13 में वि०स० क्षेत्र कुशीनगर रामकोला एवं हाटा के ग्रामीण मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
53	श्री मनोज कुमार	चन्दौली में निर्वाचन क्षेत्र सैय्यद राजा के विकास खण्ड बरहनी में महिला डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में,
54	श्री दयाशंकर वर्मा	जनपद उन्नाव के विकास खण्ड गंज मुरादाबाद अन्तर्गत मार्ग के डामरीकरण एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
55	श्री गेंदालाल चौधरी	लखनऊ के अन्तर्गत थाना गोसाईगंज निवासी श्री मदन लाल गुप्ता आदि के विरुद्ध दर्ज फर्जी मुकदमों के सम्बन्ध में,
56	डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	उ० प्र० में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों पर किये गये लाठीचार्ज के सम्बन्ध में,
57	श्री अनीसुरहमान	जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,
58	श्री वीरपाल राठी	जनपद बागपत में नियमों के विरुद्ध पावर वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में,
59	श्री गोरख पासवान	जनपद बलिया वि०स० क्षेत्र बेलथरा रोड में मानक के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
60	श्री पंकज कुमार मलिक	जिला प्रबुद्धनगर में विगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
61	श्री भीम प्रसाद सोनकर	उ० प्र० सचिवालय प्रशासन द्वारा मुख्य मंत्री के आदेशों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में,
62	श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद	जनपद फतेहपुर में यमुना नदी में अवैध रूप से मौरंग के खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
63	श्री राजबली जैसल	प्रतापगढ़ के तुलसी इण्टर कालेज बाबूगंज जमेठी कुण्डा के प्रबन्ध समिति में टकराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
64	श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी	जनपद जौनपुर के वि०स० जफराबाद में उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,
65	श्री आरिफ अनवर हाशमी	जनपद बलरामपुर के वि०स० क्षेत्र उतरौला में वन माफियाओं द्वारा साखू व सागौन के पेड़ों के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
66	श्री जय प्रकाश अंचल	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद में तैनात सहायक अभियन्ता द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में,
67	श्री जियाउद्दीन रिजवी	जनपद बलिया के सिकन्दरपुर मुख्यालय पर बस स्टेशन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
68	श्री मनबोध प्रसाद	तहसीलों में किसानों की खतौनी की नकल कम्प्यूटर द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में,
69	श्री मनीष रावत	जनपद सीतापुर वि०स० क्षेत्र सिधौली में भूमि की विक्रय अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,
70	श्री संजय कपूर	जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में ट्रांसपोर्टनगर बनाये जाने के सम्बन्ध में,
71	श्री श्याम बहादुर सिंह यादव	जनपद आजमगढ़ के फूलपुर पवई में विद्युत सब-स्टेशन पर एस०यू०वी० मशीन बदले जाने के सम्बन्ध में,
72	श्री सुरेश बंसल	उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के भूतपूर्व कर्मचारी श्री नन्दलाल जायसवाल के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में,
73	श्री सुनील कुमार सिंह यादव	उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में,
74	श्री प्रदीप चौधरी	जनपद सहारनपुर के वि०स० क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
75	श्रीमती विमला सिंह सोलंकी	उ० प्र० में बड़ी क्षमता की विद्युत ट्रान्समिशन लाइनों को ले जाने के लिए किसानों की भूमि पर खड़े किये जाने वाले बड़े खम्भों द्वारा घेरी जाने वाली भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
76	साध्वी निरंजन ज्योति	गोमतीनगर के विकास खण्ड-5, लखनऊ के भवन संख्या-5/67 से लेकर दयाल कैंसिल तक क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
77	श्री शारदा प्रताप शुक्ला	जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के ग्राम चिल्लावां में जल भराव की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में,
78	श्री केशव प्रसाद मौर्य	जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में पेयजल संकट को दूर करने के लिए 2000 हैण्डपम्पों का रि-बोर एवं 1000 नये हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,
79	डा० राधा मोहन दास अग्रवाल	जनपद गोरखपुर महानगर की विद्युत आपूर्ति की अत्यन्त बदहाल व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
80	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम निजामपुर गौटिया खुर्दराई तथा ग्राम रज्जव नगर में बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु बन्धा बनवाये जाने के सम्बन्ध में,
81	श्री अजय मिश्र टेनी	जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के चिकित्सालयों में एक भी महिला चिकित्सक की तैनाती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
82	श्री रविन्द्र भड़ाना	गोल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि०, मेरठ में पिछले पांच वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार एवं करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
83	श्री विजय बहादुर यादव	जनपद गोरखपुर में जिला सहायक निबन्धक सहकारिता के द्वारा गेहूं क्रय केन्द्र जन आकांक्षाओं के विपरीत खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
84	श्रीमती कृष्णा पासवान	जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत सिंचाई हेतु किसनपुर नगर के पास दो पम्पों की लिफ्ट कैनाल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
85	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभागीय प्रोन्नति एवं भर्ती में की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
86	डा० अरुण कुमार	उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के समस्त देयों का भुगतान अन्य शिक्षकों (कर्मचारियों) की भांति किये जाने के सम्बन्ध में,
87	श्री जगन प्रसाद गर्ग	विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त केन्द्रीयत/अकेन्द्रीयत कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,
88	श्री रविन्द्र जायसवाल	वाराणसी शहर के सीवर एवं सड़कों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
89	श्री बजरंग बहादुर सिंह	जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के निर्माणाधीन पुलिया की छत एवं एप्रोच कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में,
90	श्री गंगा सिंह कुशवाहा	जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र के फाजिलनगर के थाना पटहेरवा से सुदूर के कुछ गांव को अलग कर नये थाने के सृजन किये जाने के सम्बन्ध में,
91	श्री उपेन्द्र तिवारी	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के कतिपय मार्गों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
92	श्री सुनील कुमार सिंह यादव	जनपद सोनभद्र की विधान सभा क्षेत्र ओबरा के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
93	श्री गयादीन अनुरागी	जनपद हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सी०एच०सी० में चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
94	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के ग्राम हल्लौर, नगरा, पड़री होते हुए कराह पीठिया, कमोखर के रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,
95	श्री टा० दलवीर सिंह	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र में कतिपय नालों की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

<u>क्र०सं०</u>	<u>मा० सदस्य का नाम</u>	<u>विषय</u>
96	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट	जनपद मथुरा में रिफाइनरी से प्रतिदिन हजारों ट्रक, टैंकर कोल, तार, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, नेफथा पदार्थों को चोरी करके भण्डारण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
97	श्री भगवती प्रसाद	जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत टप्पल के गांव घरवरा व मालव को नदी के कटान से रोके जाने के सम्बन्ध में,
98	श्री राधेश्याम	माध्यमिक विद्यालयों को धारा-7(क) के अन्तर्गत दी गई मान्यता के अनुसार शीघ्र अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में,
99	श्री प्रमोद तिवारी	जनपद प्रतापगढ़ के तहसील मुख्यालय लालगंज पर बहु प्रतिक्षित मुंसिफ कोर्ट एवं सीनियर सिविल जज कोर्ट की स्थापना कराने के सम्बन्ध में,
100	श्री दलजीत सिंह	श्री नरेन्द्र अवस्थी, अधिवक्ता निवासी-कालू कुआ, थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा द्वारा पंजीकृत कराये गये अभियोग के फलस्वरूप दोषियों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी अपनी सूचना को पढ़ने की मांग करने पर श्री अध्यक्ष ने उनके विषय से अवगत कराया।

श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-9 लिए जाने पर नेता विरोधी दल ने सभी वक्तव्यों को पढ़ा हुआ माने जाने का अनुरोध किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने अपनी सहमति दी।

तदुपरान्त मद संख्या-14, 19 एवं 21 को मा० मंत्री के लिखित अनुरोध पर स्थगित करते हुए शेष वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पढ़े हुए माने गये।

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में वर्ष 2007 में रु० 7.53 करोड़ की स्वीकृत धनराशि से बांध का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के थाना हाटा में दिनांक 17 दिसम्बर, 2011 को कु० सिन्धू के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गयाचरन दिनकर, श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री उमाशंकर तथा श्री महावीर सिंह राणा द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के थाना कप्तानगंज निवासी श्री बृजनारायण सिंह उर्फ भोला सिंह आदि के विरुद्ध थाना अहिरौली में मु0अ0सं0 208/2012 के अन्तर्गत फर्जी शिकायत के आधार पर फंसाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री इन्द्रपाल सिंह तथा श्री राम प्रसाद चौधरी द्वारा दिनांक 29 जून, 2012 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय 'गामा' द्वारा दिनांक 14 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की कार्रवाई गई जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललितेशपति त्रिपाठी द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य मा0 मंत्री के लिखित अनुरोध पर स्थगित।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् इलाहाबाद द्वारा तेलियरगंज तथा मेंहदौरी में अवतार टाकीज के पास पुस्तैनी रूप से निवास कर रहे सैकड़ों गरीब, दलित व मेहनतकश परिवारों की झोपड़ियां उजाड़े जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमेठी के छत्रपति शाहूजी महाराज नगर का नाम बदल कर पुनः अमेठी किये जाने के सम्बन्ध में श्री गायत्री प्रसाद द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

इण्डियन गोरखा रेजिमेण्ट में भर्ती के लिये भारतीय गोरखा समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र तत्काल जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयराज द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि0 लखनऊ में कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई की ग्राम सभा भगतपुर सन्तपुर में कोटेदार द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल ब्लैक किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम द्वारा दिनांक 29 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य मा0 मंत्री के लिखित अनुरोध पर स्थगित।

उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के 800 से अधिक रिक्त पड़े पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद एवं श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा दिनांक 29 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फैजाबाद के बाबा बाजार विकास खण्ड मवई में साधन सहकारी समिति गणेशपुर में गेहूं क्रय केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा दिनांक 29 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य मा0 मंत्री के लिखित अनुरोध पर स्थगित।

विधान सभा क्षेत्र महोबा में पत्थर मण्डी कबरई में प्रशासन के उत्पीड़न से बन्द हुए पत्थर व्यवसाय से हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बागपत से चमरवत मार्ग जाने वाली सड़क के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती हेमलता चौधरी द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा प्रदूषण रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-372 केराकत अन्तर्गत गांगी नदी पर पुल का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाबचन्द्र सरोज द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत जी0एस0वी0 द्वारा राज्य योजना (सामान्य) वर्ष 2011-12 में कालपी-राठ के मार्ग के चौड़ीकरण हेतु कराये गये कार्य की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती उमाकान्ती सिंह द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद की पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में रुके हुए विद्युतीकरण के कार्य को तुरन्त आरम्भ कराने के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा पाल द्वारा दिनांक 20 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ नियुक्त शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा दिनांक 29 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत जमुना के बीहड़ क्षेत्र अर्जुनपुर गढ़ा में स्थापित राजकीय इंटर कालेज में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा दिनांक 29 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ थाना ठाकुरगंज की पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही व सुरक्षा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रभुदयाल बाल्मिकी द्वारा दिनांक 29 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु 400 केवी0 का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा दिनांक 29 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

मुख्य मंत्री ने श्री अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ :-

“प्रदेश में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने वाली 10 तापीय परियोजनाओं को कोयला देने में भारत सरकार यदि सफल नहीं होती है, तब विद्युत की कमी को देखते हुए विद्युत उपलब्धता बनाये रखने हेतु आयातित कोयले द्वारा कतिपय परियोजनाओं को आगे बढ़ाना राज्य सरकार की बाध्यता बन जाएगी। यदि प्रदेश को विद्युत चाहिए तो भारत सरकार द्वारा स्थानीय कोयला नहीं प्रदान करने के कारण इन परियोजनाओं को उनके अनुरोध पर आयातित कोयले पर आधारित बनाना पड़ सकता है। जहां तक आयातित कोयले से उत्पादित होने वाली बिजली की दरों का प्रश्न है, राज्य सरकार यह देखेगी कि आयातित कोयले से उत्पादित बिजली की दरें प्रतिस्पर्धात्मक तथा औचित्यपूर्ण हों।”

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने विद्युत दरों में वृद्धि न होने का अनुरोध किया।

मुख्य मंत्री ने सदन के संचालन में सहयोग हेतु नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलों के नेताओं तथा सभी मा0 सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भी मा0 सदस्य अपने उपयोगार्थ क्षेत्र विकास निधि से 20 लाख रुपये तक की गाड़ी ले सकते हैं तथा हर साल डिप्रिसियेशन होने के बाद सत्र की समाप्ति पर डिप्रिसियेशन कास्ट मा0 सदस्य गाड़ी को स्थाई रूप से ले सकते हैं जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मा0 सदस्य यदि चाहें तो गाड़ी वापस भी कर सकते हैं। इसके साथ विधान सभा के मार्शल एवं सुरक्षा कर्मचारियों की सुविधाओं पर जल्द निर्णय लिए जाने के लिए कहा। मुख्य मंत्री ने प्रदेश के गांवों में शुद्ध पानी हेतु पाइप वाटर सप्लाई का इन्तजाम किये जाने के साथ सदन की कार्यवाही के प्रसारण एवं अखबारों में उसके प्रकाशन हेतु मीडिया सहित सभी पत्रकारों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

श्री सतीश महाना ने क्षेत्र विकास निधि से गाड़ी खरीदने पर आपत्ति व्यक्त की।

नेता विरोधी दल ने भी सदन के कुशल संचालन में अध्यक्ष विधान सभा की प्रशंसा करते हुए नेता सदन के साथ सभी दलों के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने मीडिया एवं पत्रकारों के प्रति आभार के साथ-साथ विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने विधान मण्डल कर्मियों द्वारा सदन के कार्य में सुचारु रूप से निर्वाहन हेतु उन्हें 6000/-रुपया मानदेय नेता सदन द्वारा दिये जाने की मांग की।

श्री हुकुम सिंह ने नेता सदन संसदीय कार्य मंत्री और उनके सभी सहयोगियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पहला सत्र है और बहुत ही स्वस्थ परम्परा के साथ इसकी शुरुआत हुई है। नेता सदन ने बहुत अच्छी तरीके से यह घोषणा की है कि मा0 सदस्य अपने लिए विधायक निधि से गाड़ी खरीद सकते हैं। यह उनका बड़प्पन है किन्तु मान्यवर, हमारे दल ने यह तय किया कि हम विधायक निधि से गाड़ी नहीं खरीदेंगे।

नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसका हमारे नेता प्रतिपक्ष में निर्वाहन किया है। आज हम लोग इस बात पर भी विचार करें आपस में सामन्जस कैसे बढ़े। उन्होंने श्री अध्यक्ष के सरलता और सहज व्यवहार की प्रशंसा करते हुए विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

नेता विरोधी दल ने भी क्षेत्र विकास निधि से मा0 सदस्य द्वारा गाड़ी खरीदे जाने को जनता में उनके प्रति गलत सन्देश जाना बताया।

कांग्रेस दल की ओर से श्री प्रमोद तिवारी ने श्री अध्यक्ष नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा सभी दलों के नेताओं और मा0 सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नये सदस्यों द्वारा सदन में की गयी भागीदारी को सदन का अद्भुत इतिहास बताया। उन्होंने मुख्य मंत्री की प्रशंसा करते हुए उनसे विधायक निधि को बढ़ाये जाने की मांग की। उन्होंने क्षेत्र विकास निधि से गाड़ी

खरीदे जाने को विकास कार्य में कटौती किया जाना बताया। उन्होंने विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को सदन के कार्य में सुचारु रूप से निर्वाहन हेतु गत वर्ष से अधिक मानदेय दिये जाने की मांग की। उन्होंने 37 वर्षों से लागू व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों के प्रमोशन पर बल देते हुए नयी भर्ती नियमावली पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने नयी परीक्षा न कराकर विधान सभा के कर्मचारियों को ही प्रमोशन किये जाने की मांग की।

श्री प्रमोद तिवारी एवं संसदीय कार्य मंत्री के मध्य हास-परिहास भी हुआ। तदुपरान्त राष्ट्रीय लोक दल, नेता श्री दलवीर सिंह तथा पीस पार्टी के नेता डा० मो० अयूब ने भी सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे प्रतिपक्ष के जो सदस्य हैं जिन्होंने हमें समय-समय पर सुझाव दिये हैं। मैं उन्हें आदरपूर्वक स्वीकार करता हूँ। उन्होंने श्री अध्यक्ष की एक संरक्षक के रूप में प्रशंसा की।

श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नेता सदन से कुछ कहने का अनुरोध करने पर मुख्य मंत्री ने पुनः आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने मा० सदस्यों की गाड़ी की सुविधा अपने स्वविवेक से लेने, क्षेत्रीय विकास निधि डेढ़ करोड़ रुपये करने एवं मार्शल तथा उनके सहयोगियों का वेतन व दो वर्दी तथा विधान सभा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बढ़ाकर मानदेय रु० 5000/-दिये जाने की घोषणा सदन में की। उन्होंने यह भी कहा जहां तक उनके वेतन का सवाल है सरकार पन्द्रह दिन में विचार करके फैसला लेगी। उन्होंने पूरे प्रदेश के चौकीदारों को वर्दी, टार्च एवं साइकिल दिये जाने की घोषणा की।

कतिपय सदस्यों द्वारा हैण्डपम्प की मांग किये जाने पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट आना है उसमें कुछ न कुछ बढ़ायेंगे।

अन्त में नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता कांग्रेस पार्टी, नेता राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल की नेता सुश्री अनुप्रिया पटेल और पीस पार्टी के नेता सभी के प्रति और सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति श्री अध्यक्ष ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विधान सभा एक परिवार की तरह है। यह भावनाओं की अभिव्यक्ति का समय है। अगर आप सबका सहयोग न होता तो इतने सुचारु रूप से विधान सभा के संचालन में कठिनाई होती। सभी मा० सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में बढ़-चढ़कर भाग लिया है। सत्ता पक्ष की सकारात्मक सोच के कारण किसी भी नये सदस्य को अपनी समस्यायें उठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। मा० नेता सदन ने भी सदन के अन्दर घूमकर मिलने की इस नई परम्परा की शुरुआत की है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के ज्ञान की प्रशंसा करते मंत्रि-मण्डल के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रमुख सचिव, विधान सभा तथा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए शुभकामनाएं दीं तथा उन्होंने मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि इस बार यह सदन कई दृष्टिकोण से अभूतपूर्व रहा है। इस बार सभी सदस्यों ने सबसे अधिक चर्चा में भाग लिया गया। इतनी लम्बी अवधि में एक बार भी स्थगन का न होना लोकतंत्र के लिए गरिमा की बात है।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सदन का उपवेशन अपराह्न 12 बजकर 52 मिनट पर राष्ट्रगान “जन गण मन।” के सामूहिक गायन के उपरान्त अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत,
माता प्रसाद पाण्डेय
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

खण्ड-481, अंक-1
मंगलवार, 12 आषाढ़, शक संवत् 1934
(03 जुलाई, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)



(खण्ड 481 में 01 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्री-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	11-11
उपस्थित सदस्य ...	12-17
आयुष डाक्टरों पर हुये लाठीचार्ज आदि विषयक सूचनायें उठाये जाने का प्रयास ...	19
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 (पारित) ...	19-27
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	27-35
इलाहाबाद विद्युत विभाग की लापरवाही से मानव तथा जानवरों की हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति कराने व दोषियों को दंडित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35
जनपद बस्ती शहर के अन्तर्गत बस्ती सदर में सीवर लाइन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35-36
विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर में मीणा समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने एवं अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
प्रदेश में बाल सेविका के पद एवं वेतन का उच्चिकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
जनपद लखनऊ में सर्वोदय नगर एवं सेक्टर-25 स्थित 33/11 के 0वी0 उपकेन्द्र से कुर्माचल नगर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में लो-वोल्टेज से निवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना ...	37
जनपद गाजीपुर में गौंड जाति एवं खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	37-38
जनपद उन्नाव में दबंगों द्वारा दलित परिवार का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	38
जनपद महामाया नगर के विधान सभा क्षेत्र हाथरस के नाले व नालियों के चोक हो जाने तथा पानी का निकास न होने के कारण बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	38
जहानाबाद फतेहपुर में विद्युत तारों की जर्जर स्थिति के कारण बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	39
जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में पूरन नगर तिराहे से मानक नगर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर हुये अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	39
जनपद आजमगढ़ की मेहनगर तहसील में आने वाली बाढ़ से सैकड़ों एकड़ जमीन तथा फसल की रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	39-40

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालगंज में पिचरोड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	40
विशाल खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ के पार्क से अनाधिकृत कब्जा हटवाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
जनपद मथुरा के परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों से की जा रही अवैध वसूली एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर जनपद झांसी के अन्तर्गत पिच रोड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	42-43
गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि को जबरन नोटिस देकर कब्जा लेने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	43
उ० प्र० पुलिस रेडियो विभाग में 26-04-2005 को विज्ञापित रेडियो स्टेशन अधिकारी का परिणाम 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी न घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43-44
जनपद बहराइच के कैसरगंज के ग्राम गाजीपुर के गाटा संख्या-298-99 खतौनी में सीलिंग करते हुये भूमिहीनों को भूमि न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44
विधान सभा क्षेत्र निघासन बेलरायां (लखीमपुर) के दुधवा नेशनल पार्क से प्रवेश द्वार खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44-45
उ० प्र० में बी०एड० प्रवेश परीक्षा में स्ववित्त पोषित कालेजों में 15 प्रतिशत कोटा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
महाराजगंज के फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र में शाहबाद के अन्तर्गत ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
पटेल नगर योजना इन्दिरा नगर लखनऊ में स्थित नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना।...	46
मुगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर के तारडीह गांव पर कदम पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
गोरखपुर-बस्ती मण्डल के 07 जनपदों के बीच मेट्रो रेल चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46-47
शाहजहांपुर नगर के कतिपय मोहल्लों की कच्ची सड़कों को डामरयुक्त/सी०सी० रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बदायूं में देशी व अंग्रेजी शराब की बिक्री निर्धारित एवं प्रिन्ट रेट से अधिक दामों पर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	47-48
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के गांव अजौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
लखनऊ के चिनहट बाजार में सीवरीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48-49
हैदरगढ़ बाराबंकी में 20 राजकीय नलकूप व 2 पम्प नहर लगाकर सिंचाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49
प्रदेश के 992 माध्यमिक शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49
निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर पर्वई में स्थित भदौला ताल से निकली ड्रेन की सफाई/खुदाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सर्वशिक्षा अभियान में लगे अध्यापकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
वाराणसी स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय राजकीय चिकित्सालय में आई0सी0यू0 एवं अन्य चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
जनपद कुशीनगर में एस0डी0एम0 द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
सिधौली जनपद सीतापुर में इन्दू देवी के नाम से भूमि का विक्रय कर धारा-157 'क' का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51-52
जनपद अम्बेडकर नगर में तैनात डी0एफ0ओ0 द्वारा बड़े पैमाने पर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52-53
बलिया जनपद के सिकन्दरपुर विधान सभा के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक सर्जन एवं महिला डाक्टर समेत अन्य कर्मचारियों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
विधान सभा सलेमपुर जनपद देवरिया की नगर पंचायत में एक विद्युत उपकेन्द्र लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53-54
उतरौला जनपद बलरामपुर स्थित स्वास्थ्य केन्द्र पर पुरुष एवं महिला डाक्टर मानक के अनुसार नियुक्त किये जाने तथा अन्य चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रतापगढ़ में सरकारी वितरण प्रणाली की दुकानों से केरोसीन तेल उपलब्ध कराये जाने एवं कालाबाजारी रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54-55
रामपुर की तहसील बिलासपुर में परिवहन निगम का बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
सहारनपुर-मेरठ जिले की कोरी जाति के लोगों का जाति प्रमाण-पत्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55-56
मथुरा जनपद बल्देव में फ्लाईओवर तथा बाईपास रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा के गांव खण्डेहा में शुद्ध पेयजल हेतु टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56-57
जनपद अलीगढ़ के हिन्द एग्री इण्डस्ट्रीज में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
जनपद अलीगढ़ में इगलास में पेयजल एवं खारे पानी की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
बरेली कैन्टोमेन्ट क्षेत्र की मलिन बस्तियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में नाबलिंग लड़की के अपहरण के बावजूद कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद सीतापुर के हरगांव विकास खण्ड एवं बेहटा के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नटहौर के प्रतिभावान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाये जाने तथा वेट लिफ्टिंग की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60
राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयों का भुगतान किये जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
गोरखपुर में स्थापित यूनितों द्वारा सी0एस0आर0 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगरा ग्रामीण क्षेत्र के कतिपय सड़कों का लेपन एवं निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61-62
कानपुर महानगर में बसे गांधी ग्राम क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद महोबा में जल निगम की निर्माण शाखा एवं वन विभाग द्वारा चेक डेमों में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	62-63
जनपद सहारनपुर में ग्राम रण्डोल में पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में लोक निर्माण विभाग से बनगवां नानकार नहर के पुल का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
मथुरा शहर में वृन्दावन छटीकरा राधाकुण्ड मार्ग पर बनने वाला ओवर ब्रिज का कार्य अत्यन्त धीमी गति से होने एवं गोविन्द नगर में फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63-64
जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र कोरांव में किसानों को सिंचाई हेतु लिफ्ट कैनाल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64-65
निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
बागपत में यातायात की सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद इलाहाबाद में राजरूपपुर मोहल्ले की चकिया राजरूपपुर मार्ग पर दुर्गा मन्दिर के बगल की सड़क पर पाइप लाईन डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65-66
लखनऊ के पकरी ग्राम में नहर पर उपरिगामी पुल बनाये जाने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
विधायक निवास बी-ब्लाक पुराने में धोबी/दर्जी द्वारा पानी बिजली की बर्बादी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66-67
जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर की नहरों को पानी देने वाली मुख्य नहरों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद बागपत के ग्राम छपरौली की सड़क पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बांदा के नरैनी कस्बे में भू-माफियाओं ने हरे-भरे खेत दर्शाकर एक दबंग को भूमि का अवैध कब्जा करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68-69
जनपद हरदोई की पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
विधान सभा क्षेत्र बल्थरा जनपद बलिया में 2 हार्सपावर का विद्युत मोटर कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69-70
सहारनपुर के विकास खण्ड सरसावां के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
निर्वाचन क्षेत्र सैय्यद राजा ब्लाक धानापुर में स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
निर्वाचन क्षेत्र फतेहाबाद में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70-71
जनपद लखनऊ के गोमतीनगर में श्रीमती हेमलता गोपलानी द्वारा मीदाक्षी को भौतिक कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद पंचशीलनगर के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे की भूमि पर माफिया कब्जे के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72
जनपद कुशीनगर के खड्डा विकास खण्ड में साइफन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72
जनपद लखनऊ के जर्जर विद्युत तारों के बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
जनपद पीलीभीत में राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न संकाय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद सहारनपुर के कतिपय ग्रामों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद गाजीपुर में बाल विकास पुष्टाहार विभाग में किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
अम्बेडकर नगर में खजुरी बाजार, हचपुरा बाजार व मालपुर आदि बाजारों में फोर्निशन नामक इंजेक्शन बिना किसी डाक्टर के परामर्श के बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	74-84
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में वर्ष 2007 में 7.53 करोड़ की स्वीकृत धनराशि से बांध का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के अन्तर्गत श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	84-85
जिला कुशीनगर के थाना द्वारा में दिनांक 17-12-11 को कु0 सिन्धु के अपहरण से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में सर्वश्री गयाचरण दिनकर, सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), उमाशंकर व श्री महावीर सिंह राणा द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	85
जनपद कुशीनगर थाना कप्तानगंज निवासी बृज नारायण सिंह उर्फ भोला सिंह आदि लोगों के विरुद्ध थाना अहिरौली में मु0अ0सं0-208/2012 के अन्तर्गत फर्जी शिकायत के आधार पर फंसाये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री इन्द्रपाल सिंह व श्री राम प्रसाद चौधरी द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	85-86
जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय 'गामा' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	86-87
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की कराई गयी जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललितेश पति त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	87
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् इलाहाबाद द्वारा तेलियरगंज तथा मेहदौरी में गरीबों की झोपड़ियों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	87-88
जनपद अमेठी के छत्रपति शाहूजी महाराज नगर का नाम बदल कर पुनः अमेठी किये जाने के सम्बन्ध में श्री गायत्री प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	88-89
इण्डियन गोरखा रेजीमेन्ट में भर्ती के लिये भारतीय गोरखा समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र तत्काल जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयरज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य	89
उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि0 लखनऊ में कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ममलेश शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	89-90

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हरदोई की ग्राम सभा भगतपुर सन्तपुर में कोटेदार द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल ब्लैक किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	90
उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के 800 से अधिक रिक्त पड़े पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद एवं श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	90-91
जनपद फैजाबाद के बाबा बाजार विकास खण्ड मवई में साधन सहकारी समिति गढेशपुर में गेहूं क्रय केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	91
जनपद महोबा में पत्थर मण्डी कबरई में प्रशासन के उत्पीड़न से बन्द हुये पत्थर व्यवसाय से हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	91-92
जनपद बागपत से चमरवत मार्ग जाने वाली सड़क के जर्जर होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्रीमती हेमलता चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	92-93
पीलीभीत के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा प्रदूषण रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	93
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र 372 केराकत के अन्तर्गत गांगी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द्र सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	93-94
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र 220 कालपी के अन्तर्गत जी0एस0बी0 द्वारा राज्य योजना (सामान्य) वर्ष 2011-12 में कालपी-राठ के मार्ग के चौड़ीकरण हेतु कराये गये कार्य की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती उमाकान्ती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	94-96
जनपद इलाहाबाद की पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में रुके हुये विद्युतीकरण के कार्य को तुरन्त आरम्भ कराने के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	96

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ नियुक्त शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	96-98
जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत जमुना के बीहड़ क्षेत्र अर्जुनपुर गढ़ा में स्थापित राजकीय इण्टर कालेज में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	98-99
लखनऊ के थाना ठाकुरगंज पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही व सुरक्षा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रभुदयाल बाल्मिकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	99
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु 400 के0वी0 का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	100
प्रदेश में समझौता ज्ञापन हस्तान्तरित करने वाली दस तापीय परियोजनाओं को कोयला देने में भारत सरकार यदि सफल नहीं होती तक विद्युत की कमी को देखते हुये विद्युत उपलब्धता बनाये रखने हेतु आयातित कोयले द्वारा उक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने हेतु स्थानीय कोयला उपलब्ध न होने के कारण उक्त परियोजनाओं के आयातित कोयले पर आधारित बनाये जाने के कारण उत्पादित बिजली की दरें प्रतिस्पर्धात्मक तथा औचित्यपूर्ण होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव (स्वीकृत)...	100-101
सत्र की समाप्ति पर सदन के प्रति आभार प्रदर्शन...	101-123
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव..... (स्वीकृत)	123
राष्ट्रगान	123-124

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री	इलाहाबाद	28. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	29. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	वाराणसी
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री	देवरिया	30. अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत	31. अरूण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री	लखीमपुर खीरी	32. अरूण कुमार, डा0	बरेली
6. अजय, श्री	वाराणसी	33. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती	कानपुर नगर
7. अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	34. अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
8. अजय कुमार, डा0	इलाहाबाद	35. अली यूसुफ अली, श्री	रामपुर
9. अजय कुमार 'लल्लू', श्री	कुशीनगर	36. अवधेश कुमार सिंह उर्फ	
10. अजीत कुमार, श्री	फर्रुखाबाद	मंजू सिंह, श्री	गोण्डा
11. अजीमुलहक पहलवान, श्री	अम्बेडकर नगर	37. अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
12. अताउर्रहमान, श्री	बरेली	38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
13. अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	39. अविनाश कुशवाहा, श्री	सोनभद्र
14. अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज	40. अशफाक अली खां, श्री	ज्योतिबापूले नगर
15. अनिल वर्मा, श्री	उन्नाव	41. आदिल शेख, श्री	आजमगढ़
16. अनीसुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद	42. आनन्द सिंह, कुंवर	गोण्डा
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद	43. आबिद रजा खां, श्री	बदायूं
18. अनुप्रिया पटेल, सुश्री	वाराणसी	44. आरिफ अनवर हाशमी, श्री	बलरामपुर
19. अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर	45. आलमबदी, श्री	आजमगढ़
20. अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर	46. आलोक कुमार, श्री	मैनपुरी
21. अबरार अहमद, श्री	सुल्तानपुर	47. आशा किशोर, श्रीमती	छत्रपति शाहूजी महराज नगर
22. अब्दुल मशहूद खां, श्री	बलरामपुर	48. आशीष कुमार यादव, श्री	एटा
23. अभय नरायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़	49. आशीष यादव, श्री	बदायूं
24. अभय सिंह, श्री	फैजाबाद	50. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
25. अभिषेक मिश्र, श्री	लखनऊ	51. इकबाल, श्री	विजौनौर
26. अमर पाल शर्मा, श्री	गाजियाबाद	52. इकबाल महमूद, श्री	भीमनगर
27. अमित गौरव यादव, श्री	एटा		

53. इन्दल कुमार, श्री	लखनऊ	84. कैलाश, श्री	गाजीपुर
54. इन्द्रजीत कोरी, श्री	कानपुर नगर	85. कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
55. इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी	86. कौशल सिंह कुंवर, श्री	महाराजगंज
56. इन्द्रपाल सिंह, श्री	रमाबाईनगर	87. गंगा, श्री	कुशीनगर
57. इन्द्राणी देवी, श्रीमती	श्रावस्ती	88. गजराज सिंह, श्री	पंचशील नगर
58. इरफान सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर	89. गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
59. उक्कर्ष वर्मा मधुर, श्री	लखीमपुर खीरी	90. गयाचरण दिनकर, श्री	बांदा
60. उदयराज, श्री	उन्नाव	91. गयादीन अनुरागी, श्री	हमीरपुर
61. उदय लाल मौर्या, श्री	वाराणसी	92. गायत्री प्रसाद, श्री	छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
62. उपेन्द्र तिवारी, श्री	बलिया	93. गिरीश चन्द्र उर्फ	
63. उमाकान्ती, श्रीमती	जालौन	गामा पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
64. उमा भारती, सुश्री	महोबा	94. गुटियारी लाल दुवेश, श्री	आगरा
65. उमाशंकर, श्री	बलिया	95. गुलाब चन्द, श्री	जौनपुर
66. उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ	96. गुलाम मौहम्मद, श्री	मेरठ
67. ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	97. गेंदा लाल चौधरी, श्री	महामायानगर
68. ओम कुमार, श्री	बिजनौर	98. गोमती यादव, श्री	लखनऊ
69. ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	99. गोरख पासवान, श्री	बलिया
70. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री	जौनपुर	100. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
71. ओम प्रकाश वर्मा, श्री	फिरोजाबाद	101. चन्द्रा रावत, श्रीमती	लखनऊ
72. कमाल अख्तर, श्री	ज्योतिबापूले नगर	102. चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
73. कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर	103. छोटेलाल वर्मा, श्री	आगरा
74. करतार सिंह भड़ाना, श्री	मुजफ्फरनगर	104. जगतम्बा सिंह, श्री	मिर्जापुर
75. कलराज मिश्र, श्री	लखनऊ	105. जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
76. काजिम अली खां उर्फ		106. जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
नवेद मियां, नवाब	रामपुर	107. जगपाल, श्री	सहारनपुर
77. कामेश्वर, श्री	देवरिया	108. जगराम पासवान, श्री	बलरामपुर
78. काली चरन सुमन, श्री	आगरा	109. जन्मेजय सिंह, श्री	देवरिया
79. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव	110. जफर आलम, श्री	अलीगढ़
80. कृष्ण कुमार ओझा, श्री	बहराइच	111. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
81. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री	झांसी	112. जमीर उल्ला खां, श्री	अलीगढ़
82. कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर	113. जमील अहमद कास्मी, श्री	मुजफ्फरनगर
83. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री	कौशाम्बी		

- | | | | |
|---|----------------------------|---|---------------|
| 114. जय प्रकाश निषाद, श्री | गोरखपुर | 142. धर्मेश सिंह तोमर, श्री | पंचशील नगर |
| 115. जय प्रकाश अंचल, श्री | बलिया | 143. नजीवा खान जीनत, श्रीमती | कांशीराम नगर |
| 116. जय प्रताप सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर | 144. नदीम जावेद, श्री | जौनपुर |
| 117. जाकिर अली, श्री | गाजियाबाद | 145. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती | गोण्डा |
| 118. जाहीद बेग, श्री | सन्त रविदास नगर
(भदोही) | 146. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री | फर्रुखाबाद |
| 119. जियाउद्दीन रिजवी, श्री | बलिया | 147. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री | सीतापुर |
| 120. जीतेन्द्र कुमार उर्फ
नन्दू चौधरी, श्री | बस्ती | 148. नवाजिश आलम खान, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 121. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती | वाराणसी | 149. नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री | प्रतापगढ़ |
| 122. तसलीम, श्री | बिजनौर | 150. नारद राय, श्री | बलिया |
| 123. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ
पवन पाण्डेय, श्री | फैजाबाद | 151. नितिन अग्रवाल, श्री | हरदोई |
| 124. तेजपाल सिंह, श्री | मथुरा | 152. निरंजन ज्योति, साध्वी | हमीरपुर |
| 125. त्रिभुवन राम, श्री | वाराणसी | 153. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री | शाहजहांपुर |
| 126. त्रिलोकीराम, श्री | अलीगढ़ | 154. नूर सलीम राणा, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 127. दयाशंकर वर्मा, श्री | जालौन | 155. पंकज कुमार मलिक, श्री | प्रबुद्धनगर |
| 128. दलजीत सिंह, श्री | बांदा | 156. परवेज अहमद (टंकी), हाजी | इलाहाबाद |
| 129. दलवीर सिंह, श्री | अलीगढ़ | 157. पारस नाथ यादव, श्री | जौनपुर |
| 130. दिलनवाज खान, श्री | बुलन्दशहर | 158. पिंकी सिंह, श्रीमती | भीमनगर |
| 131. दीपक कुमार, श्री | उन्नाव | 159. पीटर फैन्थम, श्री | नाम-निर्देशित |
| 132. दीपक पटेल, श्री | इलाहाबाद | 160. पीतमराम, श्री | पीलीभीत |
| 133. दीपनारायण सिंह
(दीपक यादव), श्री | झांसी | 161. पूजा पाल, श्रीमती | इलाहाबाद |
| 134. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री | आजमगढ़ | 162. पूनम सोनकर, श्रीमती | चन्दौली |
| 135. देवनरायन उर्फ
जी0एम0 सिंह, श्री | महाराजगंज | 163. पूरन प्रकाश, श्री | मथुरा |
| 136. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री | महामायानगर | 164. पूर्णमासी देहाती, श्री | कुशीनगर |
| 137. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | रायबरेली | 165. प्रदीप चौधरी, श्री | सहारनपुर |
| 138. धर्मपाल सिंह, श्री | बरेली | 166. प्रदीप कुमार यादव, श्री | औरैया |
| 139. धर्मपाल सिंह, डा0 | आगरा | 167. प्रदीप माथुर, श्री | मथुरा |
| 140. धर्मराज, श्री | बाराबंकी | 168. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री | मेरठ |
| 141. धर्मसिंह सैनी, डा0 | सहारनपुर | 169. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री | औरैया |
| | | 170. प्रमोद तिवारी, श्री | प्रतापगढ़ |
| | | 171. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री | देवरिया |
| | | 172. फतेह बहादुर, श्री | गोरखपुर |
| | | 173. फरीद महफूज किदवई, श्री | बाराबंकी |

- | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 174. फसीहा बशीर
(गजाला लारी), चौधरी | देवरिया | 204. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री | रायबरेली |
| 175. फेरन लाल, श्री | ललितपुर | 205. मनोज कुमार पारस, श्री | विजनौर |
| 176. बंशी सिंह पहड़िया, श्री | बुलन्दशहर | 206. ममतेश शाक्य, श्री | काशीराम नगर |
| 177. बजरंग बहादुर सिंह, श्री | महराजगंज | 207. महबूब अली, श्री | जे0पी0नगर |
| 178. बदलू खां, श्री | उन्नाव | 208. महावीर सिंह, कुं0 | हरदोई |
| 179. बब्बन, श्री | चन्दौली | 209. महावीर सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| 180. बाबू खां, श्री | हरदोई | 210. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा | आगरा |
| 181. बाबूलाल, श्री | गोण्डा | 211. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ | |
| 182. बावन सिंह, श्री | गोण्डा | झीन बाबू, श्री | सीतापुर |
| 183. विमला सिंह सोलंकी, श्रीमती | बुलन्दशहर | 212. महेश शर्मा, डा0 | गौतमबुद्धनगर |
| 184. बृज लाल सोनकर, श्री | आजमगढ़ | 213. महेश नारायण सिंह, श्री | इलाहाबाद |
| 185. बृजेश कठेरिया, इंजी0 | मैनपुरी | 214. माइकल चन्द्रा, श्री | जे0पी0नगर |
| 186. बृजेश कुमार, श्री | हरदोई | 215. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री | सिद्धार्थनगर |
| 187. बेचई सरोज, श्री | आजमगढ़ | 216. माधुरी वर्मा, श्रीमती | बहराइच |
| 188. बैजनाथ, श्री | मऊ | 217. मानपाल सिंह, श्री | काशीराम नगर |
| 189. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री | कुशीनगर | 218. मित्रसेन यादव, श्री | फैजाबाद |
| 190. भगवत सरन गंगवार, श्री | बरेली | 219. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री | बहराइच |
| 191. भगवती प्रसाद, श्री | अलीगढ़ | 220. मुकेश शर्मा, श्री | बुलन्दशहर |
| 192. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री | आगरा | 221. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ | |
| 193. भाई लाल कोल, श्री | मिर्जापुर | ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री | बहराइच |
| 194. भारतेन्द्र, कुंवर | विजनौर | 222. मुख्तार अंसारी, श्री | मऊ |
| 195. भीम प्रसाद सोनकर, श्री | अम्बेडकरनगर | 223. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री | कानपुर नगर |
| 196. मदन गोपाल वर्मा, श्री | फतेहपुर | 224. मुसरत अली बिट्टन, श्री | वदायूं |
| 197. मदन चौहान, श्री | गाजियाबाद | 225. मुहम्मद गाजी, श्री | विजनौर |
| 198. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री | औरैया | 226. मुहम्मद रमजान, श्री | श्रावस्ती |
| 199. मधुबाला, श्रीमती | सन्त रविदास नगर
(भदोही) | 227. मूलचन्द्र चौहान, टा0 | विजनौर |
| 200. मनबोध, श्री | देवरिया | 228. मो0 अयूब, डा0 | सन्तकबीर नगर |
| 201. मनीष असीजा, श्री | फिरोजाबाद | 229. मो0 आसिफ, श्री | फतेहपुर |
| 202. मनीष रावत, श्री | सीतापुर | 230. मो0 आसिफ जाफरी, श्री | कौशाम्बी |
| 203. मनोज कुमार, श्री | चन्दौली | 231. मो0 जासमीर अंसारी, श्री | सीतापुर |
| | | 232. मो0 मुस्लिम, श्री | छत्रपति शाहूजी
महाराज नगर |

233. मो0 रेहान, श्री	लखनऊ	262. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री	मैनपुरी
234. मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर	263. राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
235. मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद	264. राजनारायण बुधौलिया उर्फ	
236. मौ0 अलीम खां, श्री	बुलन्दशहर	रज्जू महाराज, श्री	महोबा
237. मौ0 इरफान, श्री	मुरादाबाद	265. राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
238. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री	मुरादाबाद	266. राजमती, श्रीमती	गोरखपुर
239. यासर शाह, श्री	बहराइच	267. राजाराम, श्री	प्रतापगढ़
240. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री	आगरा	268. राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
241. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री	रमाबाईनगर	269. राजेन्द्र, श्री	गोरखपुर
242. योगेश प्रताप सिंह		270. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
'योगेश भइया', श्री	गोण्डा	271. राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
243. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री	कानपुर	272. राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
	नगर	273. राजेश यादव, श्री	शाहजहांपुर
244. रघुराज प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	274. राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
245. रघुराज सिंह शाक्य, श्री	इटावा	275. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
246. रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई	276. राधेलाल रावत, श्री	उन्नाव
247. रणजीत सुमन, श्री	एटा	277. राधेश्याम, श्री	छत्रपति शाहूजी
248. रमेश चन्द, श्री	मिर्जापुर		महाराज नगर
249. रमेश चन्द्र दुवे, श्री	सोनभद्र	278. राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
250. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री	ललितपुर	279. राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
251. रविदास मेहरोत्रा, श्री	लखनऊ	280. राम करन आर्य, श्री	बस्ती
252. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री	सहारनपुर	281. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री	भीमनगर
253. रविन्द्र जायसवाल, श्री	वाराणसी	282. रामगोपाल, श्री	बाराबंकी
254. रविन्द्र भडाना, श्री	मेरठ	283. राम गोविन्द, श्री	बलिया
255. रवि शर्मा, श्री	झांसी	284. रामचन्द्र चौधरी, श्री	सुल्तानपुर
256. रश्मि आर्य, डा0	झांसी	285. रामचन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
257. राकेश कुमार, श्री	अलीगढ़	286. रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
258. राकेश प्रताप सिंह, श्री	छत्रपति शाहूजी	287. रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
	महाराज नगर	288. राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
259. राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद	289. राम मगन, श्री	बाराबंकी
260. राघव लखनपाल, श्री	सहारनपुर	290. राममूर्ति वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
261. राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती	291. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री	शाहजहांपुर

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 292. रामलाल अकेला, श्री | रायबरेली | 323. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री | फर्रुखाबाद |
| 293. रामवीर उपाध्याय, श्री | महामाया नगर | 324. विनय तिवारी, श्री | लखीमपुर खीरी |
| 294. रामवीर सिंह, श्री | फिरोजाबाद | 325. विनोद सरोज, श्री | प्रतापगढ़ |
| 295. रामशरन, श्री | लखीमपुर खीरी | 326. विनोद कुमार उर्फ | |
| 296. राम सिंह, श्री | प्रतापगढ़ | पण्डित सिंह, श्री | गोण्डा |
| 297. रामस्वरूप सिंह, श्री | रमाबाई नगर | 327. विवेक कुमार सिंह, श्री | बांदा |
| 298. रामहेत भारती, श्री | सीतापुर | 328. विशम्भर सिंह, श्री | बांदा |
| 299. रामेश्वर सिंह यादव, श्री | एटा | 329. वीरपाल राठी, श्री | बागपत |
| 300. रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत | 330. वीर सिंह, श्री | चित्रकूट |
| 301. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 | लखनऊ | 331. वीरेन्द्र सिंह, श्री | बरेली |
| 302. रूबी प्रसाद, श्रीमती | सोनभद्र | 332. वीरेश यादव, श्री | अलीगढ़ |
| 303. रोशन लाल वर्मा, श्री | शाहजहांपुर | 333. वेदराम भाटी, श्री | गौतमबुद्ध नगर |
| 304. लक्ष्मीकान्त उर्फ | | 334. शंखलाल मांझी, श्री | अम्बेडकरनगर |
| पप्पू निषाद, श्री | सन्तकबीर नगर | 335. शकुन्तला देवी, सुश्री | शाहजहांपुर |
| 305. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 | मेरठ | 336. शमशेर बहादुर उर्फ | |
| 306. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती | भीमनगर | शेरू भैया, श्री | लखीमपुर खीरी |
| 307. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री | मिर्जापुर | 337. शमीमुल हक, श्री | मुरादाबाद |
| 308. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती | सिद्धार्थनगर | 338. शहजिल इस्लाम, श्री | बरेली |
| 309. लोकेन्द्र सिंह, श्री | बिजनौर | 339. शाकिर अली, श्री | देवरिया |
| 310. लोकेश दीक्षित, श्री | बागपत | 340. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री | लखनऊ |
| 311. वकार अहमद शाह, डा0 | बहराइच | 341. शाह आलम उर्फ | |
| 312. वसीम अहमद, श्री | आजमगढ़ | गुड्डु जमाली, श्री | आजमगढ़ |
| 313. वहाब चौधरी, श्री | गाजियाबाद | 342. शाहिद मंजूर, श्री | मेरठ |
| 314. विजमा यादव, श्रीमती | इलाहाबाद | 343. शिव कुमार बेरिया, श्री | रमाबाई नगर |
| 315. विजय कुमार पासवान, श्री | सिद्धार्थनगर | 344. शिवपाल सिंह यादव, श्री | इटावा |
| 316. विजय मिश्र, श्री | सन्त रविदास
नगर (भदोही) | 345. शिव प्रताप यादव, डा0 | बलरामपुर |
| 317. विजय कुमार, डा0 | गोरखपुर | 346. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 | प्रतापगढ़ |
| 318. विजय कुमार दूबे, श्री | कुशीनगर | 347. शिवेन्द्र सिंह उर्फ | |
| 319. विजय कुमार मिश्र, श्री | गाजीपुर | शिव बाबू, श्री | महाराजगंज |
| 320. विजय बहादुर पाल, श्री | कन्नौज | 348. शेर बहादुर, श्री | अम्बेडकरनगर |
| 321. विजय बहादुर यादव, श्री | गोरखपुर | 349. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री | जौनपुर |
| 322. विजय सिंह, श्री | रामपुर | | |

- | | |
|--|---|
| 350. श्यामदेव राय चौधरी
(दादा), श्री वाराणसी | 377. सीमा, श्रीमती जौनपुर |
| 351. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई | 378. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर |
| 352. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़ | 379. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा |
| 353. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा | 380. सुदामा प्रसाद, श्री महाराजगंज |
| 354. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर | 381. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद |
| 355. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर | 382. सुधाकर, श्री मऊ |
| 356. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ | 383. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव |
| 357. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़ | 384. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र |
| 358. संजय कपूर, श्री रामपुर | 385. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी |
| 359. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती | 386. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर |
| 360. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद | 387. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर |
| 361. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर | 388. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली |
| 362. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर | 389. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी |
| 363. सतीश कुमार निगम
'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर | 390. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर |
| 364. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर | 391. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर |
| 365. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर | 392. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद |
| 366. सत्य प्रकाश अग्रवाल
(कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ | 393. सुल्तान बेग, श्री बरेली |
| 367. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद | 394. सुशील सिंह, श्री चन्दौली |
| 368. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर | 395. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा |
| 369. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन | 396. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर |
| 370. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर | 397. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर |
| 371. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद | 398. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी |
| 372. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर | 399. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर |
| 373. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच | 400. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ
रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी |
| 374. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं | 401. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद |
| 375. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर | 402. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर |
| 376. सियाराम सागर, डा0 बरेली | 403. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत |
| | 404. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत |

महामहिम राज्यपाल

श्री बी0एल0 जोशी

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री अखिलेश यादव मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त एवं संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), सहकारिता, न्याय एवं विधायी, नियोजन, अर्थ एवं संख्या, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी एवं मद्यनिषेध, ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन, औद्योगिक विकास, भू-तत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, वन एवं जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, दुग्ध विकास, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पिछड़ा वर्ग कल्याण, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, मत्स्य, विकलांग कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, मनोरंजन कर, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, अवस्थापना, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, राजनैतिक पेंशन, भाषा, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन।
2	श्री मोहम्मद आजम खाँ	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, सिंचाई।
4	श्री अहमद हसन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
5	डा0 वकार अहमद शाह	श्रम एवं सेवायोजन
6	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	परिवहन

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
7	श्री आनन्द सिंह	कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर) कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य।
8	श्री अम्बिका चौधरी	राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन
9	श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया	खाद्य एवं रसद, कारागार
10	श्री बलराम यादव	पंचायती राज
11	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण
12	श्री ओम प्रकाश सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास
13	श्री पारस नाथ यादव	लघु सिंचाई, पशुधन
14	श्री रामगोविन्द चौधरी	बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा
15	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा
16	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा
17	श्री कामेश्वर उपाध्याय	वाह्य सहायतित परियोजना, डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम्य विकास, खेलकूद, युवा कल्याण।
18	श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामोद्योग
19	श्री राजकिशोर सिंह	उद्यान
20	श्री शिव कुमार बेरिया	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	ग्राम्य विकास
3	श्री भगवत शरण गंगवार	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
4	श्रीमती अरूण कुमारी कोरी	महिला कल्याण, संस्कृति

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री इकबाल महमूद	खाद एवं नागरिक आपूर्ति किराया नियंत्रण तथा कारागार
2	श्री महबूब अली	वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग
3	श्री शाहिद मंजूर	श्रम, सेवायोजन
4	श्री रियाज अहमद	खादी एवं ग्रामोद्योग
5	श्री फरीद महफूज किदवई	नियोजन
6	श्री वसीम अहमद	बाल विकास, पुष्पाहार व बेसिक शिक्षा
7	श्री नरेन्द्र सिंह यादव	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल व व्यावसायिक शिक्षा
8	श्री शिव प्रताप यादव	जन्तु उद्यान
9	श्री मूलचन्द्र चौहान	पर्यटन
10	श्री राजीव कुमार सिंह	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य
11	श्री अभिषेक मिश्रा	प्रोटोकाल
12	श्री विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह	राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन।
13	श्री नरेन्द्र वर्मा	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण
14	श्री राममूर्ति वर्मा	दुग्ध विकास
15	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	लोक निर्माण एवं सिंचाई
16	श्री चितरंजन स्वरूप	संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
17	श्री मानपाल सिंह वर्मा	परिवहन
18	श्री कमाल अख्तर	पंचायती राज
19	श्री शंखलाल मांझी	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण।
20	श्री कैलाश चौरसिया	बाल विकास एवं पुष्पाहार व बेसिक शिक्षा
21	श्री रामपाल राजवंशी	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण तथा कारागार।
22	श्री मनोज पारस	स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा
23	श्री रामकरन आर्य	वाह्य सहायतित परियोजना, डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास, खेलकूद व युवा कल्याण।
24	श्री जगदीश सोनकर	भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास

नेता विरोधी दल

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे**अधिष्ठाता मण्डल**

- 1-श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)
- 2-श्री आरिफ अनवर हाशमी, सदस्य, विधान सभा (बलरामपुर)
- 3-श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा (बलिया)
- 4-श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)
- 5-श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद)
- 6-श्री शिवाकान्त ओझा, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़)
- 7-डा० धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)
- 8-श्रीमती हेमलता चौधरी, सदस्य, विधान सभा (बागपत)
- 9-डा० राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर)
- 10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-356

1. अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री	देवरिया	28. अली यूसूफ अली, श्री	रामपुर
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत	29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ	
4. अजय मिश्र "टेनी" श्री	लखीमपुर खीरी	मंजू सिंह, श्री	गोण्डा
5. अजीत कुमार, श्री	फर्रुखाबाद	30. अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
6. अजीमुलहक पहलवान, श्री	अम्बेडकर नगर	31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
7. अताउर्रहमान, श्री	बरेली	32. अविनाश कुशवाहा, श्री	सोनभद्र
8. अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	33. अशफाक अली खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज	34. आदिल शेख, श्री	आजमगढ़
10. अनिल वर्मा, श्री	उन्नाव	35. आनन्द सिंह, कुंवर	गोण्डा
11. अनीसुरहमान, श्री	मुरादाबाद	36. आबिद रजा खां, श्री	बदायूं
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद	37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री	बलरामपुर
13. अनुप्रिया पटेल, सुश्री	वाराणसी	38. आलमबदी, श्री	आजमगढ़
14. अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर	39. आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
15. अवरार अहमद, श्री	सुल्तानपुर	40. आशा किशोर, श्रीमती	छत्रपति शाहूजी महराज नगर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री	बलरामपुर	41. आशीष कुमार यादव, श्री	एटा
17. अभय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़	42. आशीष यादव, श्री	बदायूं
18. अभय सिंह, श्री	फैजाबाद	43. इकबाल महमूद, श्री	भीमनगर
19. अभिषेक मिश्र, श्री	लखनऊ	44. इन्दल कुमार, श्री	लखनऊ
20. अमर पाल शर्मा, श्री	गाजियाबाद	45. इन्द्रजीत कोरी, श्री	कानपुर नगर
21. अमित गौरव यादव, श्री	एटा	46. इन्द्रपाल सिंह, श्री	रमाबाईनगर
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर	47. इन्द्राणी देवी, श्रीमती	श्रावस्ती
23. अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज	48. इरफान सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
24. अरूण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर	49. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री	लखीमपुर खीरी
25. अरूण कुमार, डा0	बरेली	50. उदयराज, श्री	उन्नाव
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती	कानपुर नगर		

51. उदय लाल मौर्या, श्री	वाराणसी	82. गुलाब चन्द, श्री	जौनपुर
52. उपेन्द्र तिवारी, श्री	बलिया	83. गुलाम मौहम्मद, श्री	मेरठ
53. उमाकान्ती, श्रीमती	जालौन	84. गेंदा लाल चौधरी, श्री	महामायानगर
54. उमाशंकर, श्री	बलिया	85. गोरख पासवान, श्री	बलिया
55. उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ	86. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
56. ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	87. चन्द्रा रावत, श्रीमती	लखनऊ
57. ओम कुमार, श्री	बिजनौर	88. चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
58. ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	89. छोटेलाल वर्मा, श्री	आगरा
59. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री	जौनपुर	90. जगतम्बा सिंह, श्री	मिर्जापुर
60. ओम प्रकाश वर्मा, श्री	फिरोजाबाद	91. जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
61. कमाल अख्तर, श्री	ज्योतिबाफूले नगर	92. जगपाल, श्री	सहारनपुर
62. कमाल युसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर	93. जगराम पासवान, श्री	बलरामपुर
63. कलराज मिश्र, श्री	लखनऊ	94. जन्मेजय सिंह, श्री	देवरिया
64. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर	95. जफर आलम, श्री	अलीगढ़
65. कामेश्वर, श्री	देवरिया	96. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
66. काली चरन सुमन, श्री	आगरा	97. जमीर उल्ला खां, श्री	अलीगढ़
67. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव	98. जमील अहमद कास्मी, श्री	मुजफ्फरनगर
68. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री	झांसी	99. जय प्रकाश निषाद, श्री	गोरखपुर
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर	100. जय प्रकाश अंचल, श्री	बलिया
70. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री	कौशाम्बी	101. जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
71. कैलाश, श्री	गाजीपुर	102. जाकिर अली, श्री	गाजियाबाद
72. कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर	103. जाहीद बेग, श्री	सन्त रविदास नगर (भदोही)
73. कौशल सिंह कुंवर, श्री	महराजगंज	104. जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
74. गंगा, श्री	कुशीनगर	105. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
75. गजराज सिंह, श्री	पंचशील नगर	106. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी
76. गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर	107. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री	फैजाबाद
77. गयाचरण दिनकर, श्री	बांदा	108. तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
78. गयादीन अनुरागी, श्री	हमीरपुर	109. त्रिभुवन राम, श्री	वाराणसी
79. गायत्री प्रसाद, श्री	छत्रपति शाहूजी महराज नगर	110. त्रिलोकीराम, श्री	अलीगढ़
80. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद	111. दयाशंकर वर्मा, श्री	जालौन
81. गुटियारी लाल दुवेश, श्री	आगरा	112. दलजीत सिंह, श्री	बांदा

113. दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	145. प्रदीप चौधरी, श्री	सहारनपुर
114. दिलनवाज खान, श्री	बुलन्दशहर	146. प्रदीप कुमार यादव, श्री	औरैया
115. दीपक कुमार, श्री	उन्नाव	147. प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
116. दीपक पटेल, श्री	इलाहाबाद	148. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री	मेरठ
117. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री	झांसी	149. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री	औरैया
118. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़	150. प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
119. देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	महाराजगंज	151. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
120. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री	महामायानगर	152. फतेह बहादुर, श्री	गोरखपुर
121. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली	153. फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
122. धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा	154. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी	देवरिया
123. धर्मराज, श्री	बाराबंकी	155. फेरन लाल, श्री	ललितपुर
124. धर्मसिंह सैनी, डा0	सहारनपुर	156. बंशी सिंह पहड़िया, श्री	बुलन्दशहर
125. धर्मेश सिंह तोमर, श्री	पंचशील नगर	157. बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महाराजगंज
126. नजीवा खान जीनत, श्रीमती	कांशीराम नगर	158. बदलू खां, श्री	उन्नाव
127. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती	गोण्डा	159. बब्बन, श्री	चन्दौली
128. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	160. बाबूलाल, श्री	गोण्डा
129. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर	161. बावन सिंह, श्री	गोण्डा
130. नवाजिश आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	162. विमला सिंह सोलंकी, श्रीमती	बुलन्दशहर
131. नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री	प्रतापगढ़	163. वृज लाल सोनकर, श्री	आजमगढ़
132. नारद राय, श्री	बलिया	164. वृजेश कटेरिया, इंजी0	मैनपुरी
133. नितिन अग्रवाल, श्री	हरदोई	165. वृजेश कुमार, श्री	हरदोई
134. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहांपुर	166. वेचई सरोज, श्री	आजमगढ़
135. नूर सलीम राणा, श्री	मुजफ्फरनगर	167. वैजनाथ, श्री	मऊ
136. पंकज कुमार मलिक, श्री	प्रबुद्धनगर	168. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री	कुशीनगर
137. परवेज अहमद (टंकी), हाजी	इलाहाबाद	169. भगवत सरन गंगवार, श्री	बरेली
138. पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर	170. भगवती प्रसाद, श्री	अलीगढ़
139. पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित	171. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
140. पीतमराम, श्री	पीलीभीत	172. भाई लाल कोल, श्री	मिर्जापुर
141. पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद	173. भीम प्रसाद सोनकर, श्री	अम्बेडकरनगर
142. पूनम सोनकर, श्रीमती	चन्दौली	174. मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
143. पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा	175. मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
144. पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर	176. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री	औरैया
		177. मधुबाला, श्रीमती	सन्त रविदास नगर (भदोही)

178. मनबोध, श्री	देवरिया	210. मो0 अलीम खां, श्री	बुलन्दशहर
179. मनीष असीजा, श्री	फिरोजाबाद	211. मो0 इरफान, श्री	मुरादाबाद
180. मनीष रावत, श्री	सीतापुर	212. मोहम्मद युसुफ अंसारी, श्री	मुरादाबाद
181. मनोज कुमार, श्री	चन्दौली	213. यासर शाह, श्री	बहराइच
182. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री	रायबरेली	214. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री	आगरा
183. मनोज कुमार पारस, श्री	बिजनौर	215. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री	रमाबाईनगर
184. ममतेश शाक्य, श्री	काशीराम नगर	216. योगेश प्रताप सिंह	
185. महबूब अली, श्री	जे0पी0नगर	‘योगेश भइया’, श्री	गोण्डा
186. महावीर सिंह, कुं0	हरदोई	217. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री	कानपुर नगर
187. महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	218. रघुराज प्रताप सिंह	
188. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा	“राजा भैइया” श्री	प्रतापगढ़
189. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ		219. रघुराज सिंह शाक्य, श्री	इटावा
झीन बाबू, श्री	सीतापुर	220. रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
190. महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद	221. रणजीत सुमन, श्री	एटा
191. माइकल चन्द्रा, श्री	जे0पी0नगर	222. रमेश चन्द्र, श्री	मिर्जापुर
192. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर	223. रमेश चन्द्र दुबे, श्री	सोनभद्र
193. माधुरी वर्मा, श्रीमती	बहराइच	224. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री	ललितपुर
194. मानपाल सिंह, श्री	काशीराम नगर	225. रविदास मेहरोत्रा, श्री	लखनऊ
195. मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद	226. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री	सहारनपुर
196. मुकुट बिहारी, श्री	बहराइच	227. रविन्द्र जायसवाल, श्री	वाराणसी
197. मुकेश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	228. रविन्द्र भडाना, श्री	मेरठ
198. मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ	229. रश्मि आर्य, डा0	झांसी
199. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री	कानपुर नगर	230. राकेश कुमार, श्री	अलीगढ़
200. मुसरत अली बिट्टन, श्री	बदायूं	231. राकेश प्रताप सिंह, श्री	छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
201. मुहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर	232. राघव लखनपाल, श्री	सहारनपुर
202. मुहम्मद रमजान, श्री	श्रावास्ती	233. राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
203. मूलचन्द्र चौहान, डा0	बिजनौर	234. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री	मैनपुरी
204. मो0 अयूब, डा0	सन्तकबीर नगर	235. राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
205. मो0 आसिफ जाफरी, श्री	कौशाम्बी	236. राजनारायण बुधौलिया उर्फ	
206. मो0 मुस्लिम, श्री	छत्रपति शाहूजी महाराज नगर	रज्जू महाराज, श्री	महोबा
207. मो0 रेहान, श्री	लखनऊ	237. राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
208. मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर	238. राजमती, श्रीमती	गोरखपुर
209. मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद	239. राजाराम, श्री	प्रतापगढ़

- | | | | | | |
|------|--|------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------|
| 240. | राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी | 275. | लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 | मेरठ |
| 241. | राजेन्द्र, श्री | गोरखपुर | 276. | लक्ष्मी गौतम, श्रीमती | भीमनगर |
| 242. | राजेन्द्र सिंह राणा, श्री | सहारनपुर | 277. | लालमुन्नी सिंह, श्रीमती | सिद्धार्थनगर |
| 243. | राजेश अग्रवाल, श्री | बरेली | 278. | लोकेन्द्र सिंह, श्री | विजनौर |
| 244. | राजेश त्रिपाठी, श्री | गोरखपुर | 279. | लोकेश दीक्षित, श्री | बागपत |
| 245. | राजेश यादव, श्री | शाहजहांपुर | 280. | वकार अहमद शाह, डा0 | बहराइच |
| 246. | राजेश्वरी, श्रीमती | हरदोई | 281. | वसीम अहमद, श्री | आजमगढ़ |
| 247. | राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 | गोरखपुर | 282. | विजया यादव, श्रीमती | इलाहाबाद |
| 248. | राधेलाल रावत, श्री | उन्नाव | 283. | विजय कुमार पासवान, श्री | सिद्धार्थनगर |
| 249. | राधेश्याम, श्री | छत्रपति शाहूजी
महाराज नगर | 284. | विजय मिश्र, श्री | सन्त रविदास
नगर (भदोही) |
| 250. | राधेश्याम सिंह, श्री | कुशीनगर | 285. | विजय कुमार, डा0 | गोरखपुर |
| 251. | राम करन आर्य, श्री | बस्ती | 286. | विजय कुमार मिश्र, श्री | गाजीपुर |
| 252. | रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री | भीमनगर | 287. | विजय बहादुर पाल, श्री | कन्नौज |
| 253. | रामगोपाल, श्री | बाराबंकी | 288. | विजय सिंह, श्री | रामपुर |
| 254. | राम गोविन्द, श्री | बलिया | 289. | विनय तिवारी, श्री | लखीमपुर खीरी |
| 255. | रामचन्द्र चौधरी, श्री | सुल्तानपुर | 290. | विनोद कुमार उर्फ
पण्डित सिंह, श्री | गोण्डा |
| 256. | रामचन्द्र यादव, श्री | फैजाबाद | 291. | विवेक कुमार सिंह, श्री | बांदा |
| 257. | रामपाल यादव, श्री | सीतापुर | 292. | विशम्भर सिंह, श्री | बांदा |
| 258. | रामपाल राजवंशी, श्री | सीतापुर | 293. | वीरपाल राठी, श्री | बागपत |
| 259. | राम मगन, श्री | बाराबंकी | 294. | वीर सिंह, श्री | चित्रकूट |
| 260. | राममूर्ति वर्मा, श्री | अम्बेडकर नगर | 295. | वीरेन्द्र सिंह, श्री | बरेली |
| 261. | राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री | शाहजहांपुर | 296. | वीरेश यादव, श्री | अलीगढ़ |
| 262. | रामलाल अकेला, श्री | रायबरेली | 297. | वेदराम भाटी, श्री | गौतमबुद्ध नगर |
| 263. | रामवीर उपाध्याय, श्री | महामाया नगर | 298. | शंखलाल मांझी, श्री | अम्बेडकरनगर |
| 264. | रामवीर सिंह, श्री | फिरोजाबाद | 299. | शमशेर बहादुर उर्फ
शेरू भैया, श्री | लखीमपुर खीरी |
| 265. | रामशरन, श्री | लखीमपुर खीरी | 300. | शमीमुल हक, श्री | मुरादाबाद |
| 266. | राम सिंह, श्री | प्रतापगढ़ | 301. | शहजिल इस्लाम, श्री | बरेली |
| 267. | रामस्वरूप सिंह, श्री | रमाबाई नगर | 302. | शाकिर अली, श्री | देवरिया |
| 268. | रामहेत भारती, श्री | सीतापुर | 303. | शारदा प्रताप शुक्ला, श्री | लखनऊ |
| 269. | रामेश्वर सिंह यादव, श्री | एटा | 304. | शाह आलम उर्फ
गुड्डु जमाली, श्री | आजमगढ़ |
| 270. | रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत | 305. | शाहिद मंजूर, श्री | मेरठ |
| 271. | रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 | लखनऊ | | | |
| 272. | रूबी प्रसाद, श्रीमती | सोनभद्र | | | |
| 273. | रोशन लाल वर्मा, श्री | शाहजहांपुर | | | |
| 274. | लक्ष्मीकान्त उर्फ
पप्पू निषाद, श्री | सन्तकवीर नगर | | | |

306. शिव कुमार बेरिया, श्री	रमाबाई नगर	333. सिवगतुल्ला अंसारी, श्री	गाजीपुर
307. शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा	334. सियाराम सागर, डा0	बरेली
308. शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर	335. सीमा, श्रीमती	जौनपुर
309. शिवाकान्त ओझा, प्रो0	प्रतापगढ़	336. सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
310. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महाराजगंज	337. सुदामा प्रसाद, श्री	महाराजगंज
311. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर	338. सुधाकर, श्री	मऊ
312. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी	339. सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
313. श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई	340. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री	सोनभद्र
314. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री	आजमगढ़	341. सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी
315. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा	342. सुभाष पासी, श्री	गाजीपुर
316. श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर	343. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
317. संगीत सिंह सोम, श्री	मेरठ	344. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
318. संग्राम यादव, डा0	आजमगढ़	345. सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद
319. संजय कपूर, श्री	रामपुर	346. सुल्तान बेग, श्री	बरेली
320. संजय प्रताप जयसवाल, श्री	बस्ती	347. सुशील सिंह, श्री	चन्दौली
321. सईद अहमद, श्री	इलाहाबाद	348. सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा
322. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर	349. सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
323. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्ध नगर	350. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
324. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री	कानपुर नगर	351. सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
325. सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर	352. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
326. सत्यदेव पचौरी, श्री	कानपुर नगर	353. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
327. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ	354. हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
328. सत्यवीर मुन्ना, श्री	इलाहाबाद	355. हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
329. सन्त प्रसाद, श्री	गोरखपुर	356. हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत
330. सन्तराम कुशवाहा, श्री	जालौन		
331. सन्तोष पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर		
332. सर्वेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद		

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव) एवं राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

आयुष डाक्टरों पर हुए लाठीचार्ज आदि विषयक सूचनाएं उठाये जाने का प्रयास

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल जो डाक्टरों पर लाठीचार्ज हुआ है....

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आपकी सूचना नियम-51 में स्वीकार हो गई है। अब आप बैठ जाएं।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी इतनी कृपा चाहता हूँ कि जो डाक्टरों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है उसकी निन्दा करते हुए....

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं, पहले 11.00 बजे विनियोग विधेयक पेश हो जाय।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ क्योंकि आज नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी विनियोग विधेयक पेश करने जा रहे हैं जैसा कि मान्यवर सूखा के जो अब तक लक्षण है 18 जून से 22 जून तक मानसून आना चाहिए था आज 3 जुलाई हो गई मानसून नहीं आया जो सूखा के साफ संकेत दे रहे हैं इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

पहले विनियोग विधेयक पास हो जाए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

विनियोग विधेयक ला रहे हैं तो उसमें जो सूखा का प्रकोप बनने जा रहा है इसकी भी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करें जिससे कि उत्तर प्रदेश के किसानों का हित सुरक्षित रह सके। यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि विनियोग विधेयक के पहले इसको रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें पूरे प्रदेश के किसानों का हित सुरक्षित रहे।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी, अब पहले विनियोग विधेयक प्रस्तुत हो जाए।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुख्य मंत्री जी विनियोग विधेयक प्रस्तुत करें।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 को पुरः स्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बांट दी जाएं।

(प्रतियां वितरित की गई)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं उम्मीद यह कर रह था कि दो-चार शब्द माननीय मुख्य मंत्री जी कहेंगे। कम से कम हमारा इतना तो आग्रह है इतना बड़ा बजट समय के अन्दर आपने पास कराया तो क्या यह आश्वासन सरकार की ओर से नहीं आना चाहिए कि जो फाइनेंशिएल सेक्शनस हैं वह समय के अन्दर जिलों में पहुंच जाएं। कई काम रुके पड़े हैं वह काम तभी शुरू हो पाएंगे यह 403 सदस्यों का सदन जो है आज यह उम्मीद करता है कि जिस गति से आपने बजट पास कराया है उससे भी तीव्रगति से जितनी भी फाइनेंशिएल सेक्शनस आपकी हैं वह जिलों में चली जानी चाहिए, काम शुरू हो जाना चाहिए विकास का कार्य सब अवरुद्ध है बिजली आजकल पूरे प्रदेश में टप्प है इन कामों को करने के लिए समय के अन्दर फाइनेंशिएल सेक्शन जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

31 मार्च, 2013 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2012 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2012-2013 के लिए 210898,61,82,000 रुपये का निकाला जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2011) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 210898,61,82,000 रुपये (रुपये दो लाख दस हजार आठ सौ अट्ठानवे करोड़ इकसठ लाख बयासी हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

1 अनुदान/ क्रम- संख्या	2 सेवायें और प्रयोजन	3 निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	1267831	2000	1269831
		पूंजी :	28919	...	28919
02	आवास विभाग	राजस्व :	1384904	36588	1421492
		पूंजी :	4787624	70869	4858493
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	1187221	600	1187821
		पूंजी :	22001	...	22001
04	उद्योग विभाग (खाने और खनिज)	राजस्व :	228769	...	228769
		पूंजी :	70000	...	70000
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	640476	...	640476
		पूंजी :	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	1045020	...	1045020
		पूंजी :	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	697625	...	697625
		पूंजी :	1535607	...	1535607

1 अनुदान/ क्रम- संख्या	2 सेवायें और प्रयोजन	3 निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व : 1340307 पूंजी : 50000	...	1340307 50000
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व : 54793212 पूंजी : 31592500	394650 323787	55187862 31916287
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	राजस्व : 1866089 पूंजी : 82000	11062 ...	1877151 82000
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व : 26885544 पूंजी : 7160156	1520 ...	26887064 7160156
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व : 3060001 पूंजी :	3060001 0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व : 14209311 पूंजी : 21987800	1550 ...	14210861 21987800
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व : 38738704 पूंजी : 6224097	38738704 6224097
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व : 5012266 पूंजी : 171560	1379 ...	5013645 171560
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व : 564043 पूंजी : 200000	10 ...	564053 200000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व : 801107 पूंजी :	801107 0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व : 7435648 पूंजी : 225258	51728 103282	7487376 328540
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 88513 पूंजी : 90000	88513 90000
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व : 18847 पूंजी : ...	308800 500	327647 500
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व : 725834 पूंजी : 87962094	... 8776536	725834 96738630
22	खेल विभाग	राजस्व : 486491 पूंजी : 564545	-- ...	486491 564545

1 अनुदान/ क्रम- संख्या	2 सेवार्ये और प्रयोजन	3 निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व : 1413450 पूंजी : 400000	150 ...	1413600 400000
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व : 490234 पूंजी : 4200000	490234 4200000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व : 3859600 पूंजी : 1301031	1000 ...	3860600 1301031
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व : 96633309 पूंजी : 7141175	7500 ...	96640809 7141175
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व : 4765168 पूंजी : 133746	4765168 133746
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 1249214 पूंजी : 3000	1249214 3000
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व : ... पूंजी : ...	98976 ...	98976 0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभि-सूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 36014 पूंजी :	36014 0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व : 11684887 पूंजी : 6759558	11684887 6759558
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व : 32071424 पूंजी : 5836894	2000 ...	32073424 5836894
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व : 4829227 पूंजी : 353871	4829227 353871
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व : 2127553 पूंजी : 303174	2127553 303174
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व : 24768898 पूंजी : ...	1600 ...	24770498 0
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व : 4396947 पूंजी : 265300	200 ...	4397147 265300
37	नगर विकास विभाग	राजस्व : 11265081 पूंजी : 33881139	11265081 33881139

1 अनुदान/ क्रम- संख्या	2 सेवार्ये और प्रयोजन	3 निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व : 326786 पूंजी : 550000	326786 550000
39	भाषा विभाग	राजस्व : 112172 पूंजी :	112172 0
40	नियोजन विभाग	राजस्व : 1784997 पूंजी : 15494999	1784997 15494999
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व : 2185876 पूंजी :	2185876 0
42	न्याय विभाग	राजस्व : 11463619 पूंजी : 3567230	1960647 157951	13424266 3725181
43	परिवहन विभाग	राजस्व : 1157034 पूंजी : 69174	1157034 69174
44	पर्यटन विभाग	राजस्व : 222656 पूंजी : 981312	222656 981312
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व : 39650 पूंजी :	39650 0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व : 98214 पूंजी :	98214 0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व : 2361921 पूंजी : 2382388	102 ...	2362023 2382388
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व : 13780199 पूंजी : 6960674	205 ...	13780404 6960674
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व : 43074362 पूंजी : 280000	100 ...	43074462 280000
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व : 6501407 पूंजी : 1247679	1700 ...	6503107 1247679
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व : 6389306 पूंजी : 200000	6389306 200000
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 21405093 पूंजी : 79294	1878 1051	21406971 80345
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व : 12190 पूंजी : 100	12190 100

1 अनुदान/ क्रम- संख्या	2 सेवार्ये और प्रयोजन	3 निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व : 15076023 पूंजी : ...	400 ...	15076423 0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व : 585693 पूंजी : 409200	26534 10500	612227 419700
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व : ... पूंजी : 2700000	0 2700000
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व : 160000 पूंजी : 11890956	160000 11890956
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़के)	राजस्व : 17980800 पूंजी : 31341001	500 65500	17981300 31406501
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व : 1212152 पूंजी : 1005252	1212152 1005252
60	वन विभाग	राजस्व : 4122846 पूंजी : 1459297	1370 ...	4124216 1459297
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 69597828 पूंजी : 3314005	265017910 180440640	334615738 183754645
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	राजस्व : 133804756 पूंजी : 1500000	165139 ...	133969895 1500000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व : 2026201 पूंजी : 169934	2026201 169934
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व : 1649543 पूंजी : 800	1649543 800
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व : 228919 पूंजी : ...	1640613 ...	1869532 0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व : 296532 पूंजी : 1400	7879 ...	304411 1400
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व : 823279 पूंजी : 4200	10889 ...	834168 4200
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व : 2367713 पूंजी : 903579	2367713 903579
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व : 680597 पूंजी : 1020000	680597 1020000
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व : 236804677 पूंजी : 387150	236804677 387150

1 अनुदान/ क्रम- संख्या	2 सेवायें और प्रयोजन	3 निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व : 82286950 पूंजी : 1659008	270 ...	82287220 1659008
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व : 22874776 पूंजी : 2141853	100 ...	22874876 2141853
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व : 856127 पूंजी : 1003	856127 1003
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व : 10234540 पूंजी : ...	10 ...	10234550 0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व : 7713691 पूंजी : 2625	7713691 2625
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व : 4513026 पूंजी : 84500	4513026 84500
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व : 19120119 पूंजी : 1718990	19120119 1718990
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व : 33027946 पूंजी :	33027946 0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व : 547885 पूंजी : 226663	10 ...	547895 226663
82	सतर्कता विभाग	राजस्व : 338696 पूंजी : 35317	34537 ...	373233 35317
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व : 66269695 पूंजी : 34777728	66269695 34777728
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व : 646826 पूंजी :	646826 0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व : 44785 पूंजी :	44785 0
86	सूचना विभाग	राजस्व : 1449418 पूंजी :	1449418 0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व : 429406 पूंजी : 14388	429406 14388

1 अनुदान/ क्रम- संख्या	2 सेवार्ये और प्रयोजन	3 निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व : पूंजी	51051 ...	51051 0
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व : पूंजी ::	4676109 97174	654502 97174
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व : पूंजी ::	704345 ...	704345 0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व : पूंजी :	2323302 15300	4 15300
92	संस्कृति विभाग	राजस्व : पूंजी :	392358 358660	5 358660
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व : पूंजी :	21814280 30186205	150000 30336205
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व : पूंजी :	25144721 ...	5000 0
योग		राजस्व : पूंजी :	1265861862 382572087	270451617 190100616
महायोग :			1648433949	460552233 2108986182

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 में कुछ नहीं, मद संख्या-6 में कुछ नहीं, मद संख्या-7 में कुछ नहीं, मद संख्या-8 में कुछ नहीं है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज 301 में जितनी सूचनाएं हैं आखिरी दिन सब ली जाती हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, परम्परा यह है कि गिनी नहीं जाती हैं आज के दिन आखिरी दिन जितनी सूचनाएं आती हैं सब स्वीकृत की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये आज नियम-301 की 81 और नियम-51 की 101 जितनी सूचनाएं आई हैं सब स्वीकृत की गईं। नियम-301 की सूचनाएं निम्नवत् है:--

नियम-301

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
1	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	की इलाहाबाद विद्युत विभाग की लापरवाही से मानव तथा जानवरों की हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति कराने व दोषियों को दंडित किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	की जनपद बस्ती शहर के अन्तर्गत बस्ती सदर में सीवर लाइन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री मुकेश शर्मा	की विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर में मीणा समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने एवं अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री अमित गौरव यादव	की प्रदेश में बाल सेविका के पद एवं वेतन का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'	की जनपद लखनऊ में सर्वोदय नगर एवं सेक्टर 25 स्थित 33/11 के०वी० उपकेन्द्र से कुर्मांचल नगर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में लो वोल्टेज से निवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
6	श्री विजय मिश्र	की गाजीपुर जनपद में गोंड जाति एवं खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र न दिए जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री हाजी इरफान सोलंकी	की जनपद उन्नाव में दंबगों द्वारा दलित परिवार का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8	श्री गेंदालाल चौधरी	की जनपद महामाया नगर के विधान सभा क्षेत्र हाथरस के नाले व नालियों के चोक हो जाने तथा पानी का निकास न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9	श्री मदन गोपाल वर्मा	की जहानाबाद फतेहपुर में विद्युत तारों की जर्जर की स्थिति के कारण बदले जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री प्रभूदयाल वाल्मीकि	की जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में पूरन नगर तिराहे से मानक नगर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर हुए अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
11	श्री बृजलाल सोनकर	की जनपद आजमगढ़ की मेहनगर तहसील में आने वाली बाढ़ से सैकड़ों एकड़ जमीन तथा फसल की रक्षा किये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री बेचई सरोज	की विधान सभा क्षेत्र लालगंज, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत पिचरोड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
13	श्री पूर्णमासी देहाती	की विशाल खण्ड-1 गोमतीनगर लखनऊ के पार्क से अनाधिकृत कब्जा हटवाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री तेजपाल सिंह	की जनपद मथुरा के परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों से की जा रही अवैध वसूली एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
15	डा० रश्मि आर्य	की विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर जनपद झांसी के अन्तर्गत पिचरोड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
16	श्री विजय बहादुर यादव	की गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि को जबरन नोटिस देकर कब्जा लेने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में।
17	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	की उ०प्र० पुलिस रेडियो विभाग में 26-04-2005 को विज्ञापित रेडियो स्टेशन अधिकारी का परिणाम 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी न घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	की जनपद बहराइच के कैसरगंज के ग्राम गाजीपुर के गाटा संख्या 298-99 खतौनी में सीलिंग करते हुये भूमिहीनों को भूमि न दिये जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री अजय मिश्र "टेनी"	की विधान सभा क्षेत्र निघासन बेलरायां के दुधवा नेशनल पार्क से प्रवेश द्वार खोले जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री रविन्द्र जायसवाल	की उ०प्र० में बी०एड० प्रवेश-परीक्षा में स्ववित्त पोषित कालेजों में 15 प्रतिशत कोटा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्री बजरंग बहादुर सिंह	की महाराजगंज के फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र में शाहबाद के अन्तर्गत ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
22	श्रीमती विमला सोलंकी	की पटेल नगर योजना इन्दिरा नगर लखनऊ में स्थित नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्रीमती सीमा द्विवेदी	की मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर के तारडीह गांव पर कदम पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
24	डा० राधा मोहनदास अग्रवाल	की गोरखपुर-बस्ती मण्डल के 07 जनपदों के बीच मेट्रो रेल चालये जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री सुरेश कुमार खन्ना	की शाहजहांपुर नगर के कतिपय मोहल्लों की कच्ची सड़कों को डामरयुक्त/सी०सी० रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।
26	श्री आबिद रजा	की जनपद बदायूं में देशी व अंग्रेजी शराब की विक्री निर्धारित एवं प्रिन्ट रेट से अधिक दामों पर किये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री उमाशंकर	की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के गांव अजौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।
28	श्री जमील अहमद	की लखनऊ के चिनहट बाजार में सीवरीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
29	श्री राम मगन रावत	की हैदरगढ़ बाराबंकी में 20 राजकीय नलकूप व 02 पम्प नहर लगाकर सिंचाई कराये जाने के सम्बन्ध में।
30	श्री रविदास मेहरोत्रा	की प्रदेश के 992 माध्यमिक शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।
31	श्री श्याम बहादुर सिंह यादव	की निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर पवई में स्थित भदौला ताल से निकली ड्रेन की सफाई/खुदाई के सम्बन्ध में।
32	श्री शमीमुल हक	की बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सर्वशिक्षा अभियान में लगे अध्यापकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।
33	श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)	की वाराणसी स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डीय राजकीय चिकित्सालय में आईसीयू एवं अन्य चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
34	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया	की जनपद कुशीनगर में एस०डी०एम० द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०सं०</u>	<u>मा० सदस्य का नाम</u>	<u>विषय</u>
35	श्री मनीष रावत	की सिधौली जनपद सीतापुर में हिन्दू देवी के नाम से सामग्री का विक्रय कर धारा-157 'क' का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में।
36	श्री भीम प्रसाद सोनकर	की जनपद अम्बेडकर नगर में तैनात डी०एफ०ओ० द्वारा बड़े पैमाने पर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।
37	श्री जियाउद्दीन रिजवी	की बलिया जनपद के सिकन्दरपुर विधान सभा के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक सर्जन एवं महिला डाक्टर समेत अन्य कर्मचारियों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में।
38	श्री मनबोध प्रसाद	की विधान सभा सलेमपुर जनपद देवरिया की नगर पंचायत में एक विद्युत उपकेन्द्र लगाये जाने के सम्बन्ध में।
39	श्री आरिफ अनवर हाशमी	की उतरौला जनपद बलरामपुर स्थित स्वास्थ्य केन्द्र पर पुरुष एवं महिला डाक्टर मानक के अनुसार नियुक्त किये जाने तथा अन्य चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
40	श्री प्रमोद तिवारी	की जनपद प्रतापगढ़ में सरकारी वितरण प्रणाली की दुकानों से केरोसीन तेल उपलब्ध कराये जाने एवं कालाबाजारी रोके जाने के सम्बन्ध में।
41	श्री संजय कपूर	की रामपुर की तहसील बिलासपुर में परिवहन निगम का बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में।
42	श्री गयादीन अनुरागी	की सहारनपुर-मेरठ जिले की कोरी जाति के लोगों का जाति प्रमाण-पत्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में।
43	श्री पूरन प्रकाश	की मथुरा जनपद बल्देव में फ्लाई ओवर तथा बाईपास रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।
44	श्री भगवती प्रसाद सूर्यवंशी	की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा के गांव खण्डेहा में शुद्ध पेयजल हेतु टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
45	ठा० दलवीर सिंह	की जनपद अलीगढ़ के हिन्द एग्री इण्डस्ट्रीज में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
46	श्री त्रिलोकी राम	की जनपद अलीगढ़ में इगलास में पेयजल एवं खारे पानी की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
47	श्री राजेश अग्रवाल	की बरेली कैंटोमेन्ट क्षेत्र की मलिन बस्तियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
48	श्री जय प्रकाश निषाद	की गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में नाबालिग लड़की के अपहरण के बावजूद कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।
49	डा० रमेश चन्द्र बिन्द	की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
50	श्री रामहेत भारती	की जनपद सीतापुर के हरगांव विकास खण्ड एवं बेहटा के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
51	श्री ओम कुमार	की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नटहौर के प्रतिभावान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाये जाने तथा वेट लिफ्टिंग की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
52	चौ० गजेन्द्र सिंह	की राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयों का भुगतान किये जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
53	श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह	की गोरखपुर में स्थापित यूनिटों द्वारा सी०एस०आर० के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में।
54	श्री काली चरन सुमन	की आगरा ग्रामीण क्षेत्र के कतिपय सड़कों का लेपन एवं निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
55	श्री सतीश महाना	की कानपुर महानगर में बसे गांधी ग्राम क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
56	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज	की जनपद महोबा में जल निगम की निर्माण शाखा एवं वन विभाग द्वारा चेक डेमों में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
57	श्री महावीर सिंह राणा	की जनपद सहारनपुर में ग्राम रण्डोल में पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।
58	श्री कमाल यूसुफ मलिक	की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में लोक निर्माण विभाग से बनगवां नानकार नहर के पुल का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
59	श्री प्रदीप माथुर	की मथुरा शहर में वृन्दावन छटीकरा राधाकुण्ड मार्ग पर बनने वाला ओवर ब्रिज का कार्य अत्यन्त धीमी गति से होने एवं गोविन्द नगर में फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
60	श्री राजबली जैसल	की जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र कोरांव में किसानों को सिंचाई हेतु लिफ्ट कैनाल लगाये जाने के सम्बन्ध में।
61	श्री आलम बदी	की निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
62	श्रीमती हेमलता चौधरी	की बागपत में यातायात की सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
63	श्रीमती पूजा पाल	की जनपद इलाहाबाद में राजपुर मोहल्ले की चकिया राजपुर मार्ग पर पाइप लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में।
64	श्री शारदा प्रताप शुक्ल	की लखनऊ पकरी ग्राम के नहर पर पुल बनवाये जाने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में।
65	श्री उदय राज यादव	की विधायक निवास बी ब्लाक पुराने में धोबी/दर्जी द्वारा पानी बिजली की बर्बादी किये जाने के सम्बन्ध में।
66	श्री धर्मपाल सिंह	की जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर की नहरों को पानी देने वाली मुख्य नहरों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०सं०</u>	<u>मा० सदस्य का नाम</u>	<u>विषय</u>
67	श्री वीरपाल राठी	की जनपद बागपत के ग्राम छपरौली की सड़क पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
68	श्री दलजीत सिंह	की जनपद बांदा के नरैनी कस्बे में भू-माफियाओं ने हरे-भरे खेत दर्शाकर एक दबंग को भूमि का अवैध कब्जा करवाये जाने के सम्बन्ध में।
69	श्री प्रभूदयाल बाल्मीकी	की जनपद हरदोई की पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
70	श्री गोरख पासवान	की विधान सभा क्षेत्र बल्थरा जनपद बलिया में 2 हासपावर का विद्युत मोटर कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।
71	डा० धर्म सिंह सैनी	की सहारनपुर के विकास खण्ड सरसावां के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
72	श्री मनोज कुमार	की निर्वाचन क्षेत्र सैय्यद राजा ब्लाक धानापुर में स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में।
73	श्री छोटे लाल वर्मा	की निर्वाचन क्षेत्र फतेहाबाद में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
74	श्री राजेश त्रिपाठी	की जनपद लखनऊ के गोमतीनगर में श्रीमती हेमलता गोपलानी द्वारा मीनाक्षी को भौतिक कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
75	श्री मदन चौहान	की जनपद पंचशीलनगर गढ़मुक्तेश्वर की भूमि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
76	श्री विजय कुमार दुबे	की जनपद कुशीनगर के खड्डा विकास खण्ड में साइफन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
77	श्री सन्त प्रसाद	की जनपद लखनऊ में जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में।
78	श्री अगयश राम सरन वर्मा	की जनपद पीलीभीत में राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न संकाय खोले जाने के सम्बन्ध में।
79	श्री प्रदीप चौधरी	की जनपद सहारनपुर के कतिपय ग्रामों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
80	श्री सुभाष पासी	की जनपद गाजीपुर में बाल विकास पुष्पाहार विभाग में किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
81	श्री शेर बहादुर सिंह	की जनपद अम्बेडकर नगर में खजुरी बाजार, हचपुरा बाजार व मालपुर आदि बाजारों में फोर्सेविन नामक इंजेक्शन बिना किसी डाक्टर के परामर्श के बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इलाहाबाद विद्युत विभाग की लापरवाही से मानव तथा जानवरों की हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति कराने व दोषियों को दंडित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय, इलाहाबाद में विद्युत विभाग में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता एवं शिथिलता के कारण 23 जून का दिन मानव तथा जानवरों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तथा क्रूर साबित हुआ है। 23 जून की सुबह नगर के बदलापुर अहिराना के राजनाथ यादव तथा दीपक यादव की काफी दूध देने वाली क्रमशः तीन तथा चार भैंसें, 22 जून की रात में हल्की आँधी से टूटे बिजली के तारों से लिपट कर सी0पी0 आई0 परिसर में मृत्यु हो गयी। जिससे उन लोगों का परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है, इसी प्रकार फूलपुर तहसील के श्रीरामपुर गाँव के श्री राममगन सिंह (65 वर्ष) की सुबह शौच जाते समय टूटे बिजली के तार में पैर लगने से दर्दनाक मृत्यु हो गयी। परिवार वालों के द्वारा सूचना देने के बावजूद भी विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। दोनों घटनाओं से लोगों में भारी आक्रोश है।

इलाहाबाद में विजनेस प्लान के अन्तर्गत लगभग 400 किलोमीटर जर्जर तार, ट्रान्सफार्मर जर्जर खम्भे बदलने की योजना को विभाग ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त घटनाओं से पीड़ित लोगों को 2/2 लाख की क्षतिपूर्ति कराने विजनेस प्लान में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच कराने तथा दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कराने की शासन से माँग करता हूँ।]

जनपद बस्ती शहर के अन्तर्गत बस्ती सदर में सीवर लाइन न होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

[महोदय, बस्ती शहर के मेरे विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर के अन्तर्गत सीवर लाईन न होने के कारण काफी जलभराव हो जाता है जिससे वहाँ के निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहाँ के स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इन सभी शहर वासियों के

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समस्या के समाधान के लिए बस्ती शहर में सीवर लाईन की व्यवस्था हो जाने से वहां के स्थानीय लोगों में जो अक्रोश व्याप्त है वह समाप्त हो जायेगा।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त प्रकरण पर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में मीणा समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने एवं अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश शर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र शिकारपुर की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। शिकारपुर में मीणा समाज के व्यक्ति हजारों की संख्या में निवास कर रहे हैं जिनका जीवन यापन स्तर काफी नीचे है। मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने वर्ष 2012 के सामान्य चुनाव में इन जतियों की अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की घोषणा भी की थी। मान्यवर, सरकार बने लगभग तीन माह पूरे होने को है परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी जिससे जनमानस काफी आक्रोशित हैं।

अतः उपरोक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए मीणा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने एवं तह0 में प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में बाल सेविका के पद एवं वेतन का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमित गौरव यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान महिला कल्याण विभाग की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। उ0प्र0 महिला कल्याण विभाग में बाल सेविका के कुल 3 पद हैं। बाल सेविकाओं का मुख्य कार्य प्राइमरी स्तर पर बच्चों को शिक्षित करना है। इनके कार्य के अनुरूप इन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। बाल सेविकाओं के उच्च पदों पर प्रोन्नति के कोई अवसर नहीं है तथा इस्टीमेशन की स्थिति बनी रहती है। पूरी सेवाकाल में एक ही पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति हो जाती है। जिससे कर्मचारी में काफी असंतोष व्याप्त है।

मान्यवर, जनहित में महिला कल्याण विभाग के बाल सेविका के एक पद को उच्चीकृत कर मुख्य बाल सेविका कर दिया जाय तथा उनका वेतनमान बाल विकास पुष्टाहार विभाग में कार्यरत मुख्य सेविका के बराबर कर दिया जाय तथा शेष दो बाल सेविकाओं के वेतनमान कार्य की समानता के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के बराबर किये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ में सर्वोदय नगर एवं सेक्टर 25 स्थित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र से कुर्माचल नगर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में लो-वोल्टेज से निवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान लखनऊ में सर्वोदय नगर एवं सेक्टर 25 स्थित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र से कुर्माचल नगर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की लो-वोल्टेज की समस्या की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि उक्त के सम्बन्ध में सदन को पूर्व में सूचित किया गया था कि जिन स्थानों पर लो-वोल्टेज की समस्या है उन स्थानों को चिन्हित करके नये परिवर्तक स्थापित करने तथा क्षमता वृद्धि का कार्य किया गया है। इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि लो-वोल्टेज की समस्या में विगत दो माह में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। विशेषकर ऐसे स्थान जहाँ टर्मिनल पोल लगे हुए हैं, उदाहरण स्वरूप पोल संख्या-एसएनएमएन/टीओ1/सी/5/ए/11/बी/1/एलए-2 पोल से आच्छादित आवास संख्या बी-36, बी-37, 40, 41 एवं 42 पर वोल्टेज 50 से 140 के मध्य ही रहने से इन घरों में विद्युत उपकरणों का संचालन नहीं हो पर रहा है।

अतः मैं उपर्युक्त लो-वोल्टेज की समस्या की ओर इस सूचना के माध्यम से अविलम्ब कार्रवाई कराये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

जनपद गाजीपुर में गोड़ जाति एवं खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री विजय मिश्र-

[महोदय, भारत सरकार के संविधान 10/2003 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में गोड़ जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2007 तक इसके अनुसार गोड़ जाति को समस्त संविधान सम्मत सुविधायें प्रदान की गयी तथा इस जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया, किन्तु बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय में वर्ष 2007 के पश्चात् गाजीपुर जनपद में गोड़ जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण दिया जाना रोक दिया गया। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी गाजीपुर को दिनांक 07 अप्रैल, 2012 व 16 मई, 2012 को मार्ग दर्शक आदेश जारी किए जाने के उपरान्त भी स्थानीय स्तर पर इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

आरक्षण व्यवस्था लागू होने के समय से ही खरवार जाति अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक-46 पर अंकित है तथा इस जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र एवं शासन से मिलने वाली समस्त सुविधाएं प्राप्त होती रही है। भारत सरकार द्वारा संशोधित एक्ट 2002 संख्या 10 जनवरी, 2003 द्वारा खरवार जाति को उत्तर प्रदेश के वाराणसी, सोनभद्र, बलिया, देवरिया एवं गाजीपुर जनपदों में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया था। अनुसूचित

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाति/जनजाति संघर्ष समिति, गाजीपुर के अध्यक्ष श्री बेचई राम द्वारा दिनांक 06-11-2007 को दिए गए एक पत्र के आधार पर इस जाति के व्यक्तियों को तथा कथित रूप से अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र दिये जाने पर अघोषित रोक लगा दी गयी।

महोदय, लोकमहत्व के इस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए गाजीपुर जनपद के गोड़ जाति व खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करा करके उत्तर दिये जाने की मांग करता हूं।]

**जनपद उन्नाव में दबंगों द्वारा दलित परिवार का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

[मान्यवर, मैं, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये नगर पंचायत मोहान, जनपद उन्नाव की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। श्रीमती मायादेवी मकान नं0 9/8 मोलवी धराना पकरा नवाबन टोला स्थित कस्बा मोहान परगना मोहान तहसील हसनगंज जिला उन्नाव की स्वामिनी है। श्रीमती मायादेवी जो कि गरीब दलित एवं विधवा हैं को इलाके का एक दबंग धनीराम न्यायालय के आदेश के बाद भी उनके उक्त मकान पर कब्जा नहीं दे रहा है और पूर्णतया अवैध तरीके से उक्त मकान पर आज भी काबिज है।

अतः सदन के माध्यम से श्रीमती मायादेवी की उक्त दयनीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब मकान में कब्जा दिलाये जाने हेतु निर्देश देने की मांग करता हूं।]

**जनपद महामाया नगर के विधान सभा क्षेत्र हाथरस के नाले व नालियों के चोक हो जाने तथा पानी का
निकास न होने के कारण बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री गेंदालाल चौधरी-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद हाथरस कस्बे के अन्तर्गत आने वाले घनी आबादी वाले क्षेत्र जैसे मधूगढ़ी, रमनपुर, खौड़ा हजारी, वाला पट्टी नई बस्ती मधूगढ़ी, नगला किलाखाई, सिद्धार्थनगर नेहरू कालोनी, तन्दला गगला, गड्डेवाला मोहल्ला आदि इलाकों में बने नाले नालियों के चोक हो जाने से स्थानीय निवासी नारकीय जीवन जीने के लिये मजबूर हैं। इन इलाकों में ज्यादातर दलित, मुस्लिम व पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं। नालियों की निरन्तर सफाई न होने से पालीथीन व अन्य कचरा नालियों में फेंके जाने के कारण नालियां बन्द पड़ी रहती हैं जिस कारण गन्दगी का अम्बार नालियों में जमा रहता है तथा पानी का निकास न होने के कारण गन्दा पानी घरों के भीतर भी घुस जाता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर स्थानीय लोगों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये नाले-नालियों की सफाई कराये जाने एवं पानी के समुचित निकास हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जहानाबाद फतेहपुर में विद्युत तारों की जर्जर की स्थिति के कारण बदले जाने के सम्बन्ध में
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री मदन गोपाल वर्मा-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र 238, जहानाबाद फतेहपुर में जहानाबाद क्षेत्र में विद्युत के तार अत्यन्त जर्जर स्थिति में हैं। जिससे गरमी के दिनों में तार टूट कर गिरने के कारण किसानों की फसल जलकर राख हो जाती है। फलस्वरूप उनके सामने जीवकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और फसल नष्ट हो जाने के कारण उन्हें क्षतिपूर्ति भी नहीं मिल पाती है। अतः जनहित में यह नितान्त आवश्यक है कि जहानाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर विद्युत के तारों को तत्काल बदलाया जाये।

अतः लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त जनहित उक्त कार्य को तत्काल कराये जाने की मांग करता हूँ।]

**जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में पूरन नगर तिराहे से मानक नगर स्टेशन की ओर जाने वाली
सड़क पर हुए अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री प्रभूदयाल वाल्मीकि-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान मोहल्ला आलमबाग, लखनऊ के पूरन नगर तिराहे से मानकनगर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर हुए स्थायी तथा अस्थायी अतिक्रमण तथा उससे जनता को होने वाली परेशानी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। आलमबाग, लखनऊ में पूरन नगर तिराहे से मानकनगर स्टेशन जाने वाली सड़क पर स्थित मुकेश डिपार्टमेंटल स्टोर के आगे 5 मकान तथा उसके सामने स्थित मकानों, सेन्ट एन्स डे इन्टर कालेज तथा उसके दाये-बाये के 15 मकान तथा मानकनगर स्टेशन के सामने श्री कृष्णा मिष्ठान भण्डार, सिटी साइबर कैफे, सिटी बिजनेस सेन्टर तथा उसके साथ के 5 अन्य मकानों के स्थायी निर्माण कराकर सड़क को सकरा कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त सड़क के दोनों ओर बिना भू-उपयोग परिवर्तन तथा बिना नक्शा पास कराये अनेकों व्यवसायिक काम्प्लेक्स बना दिये गये हैं तथा नालियों को बन्द करके फुटपाथ को ऊंचा कर दिया गया है। इससे बरसात के मौसम में सड़क पर जलभराव होता है तथा सड़क सकरी होने से मोहल्ले के दोनों ओर स्थित लगभग 10 मोहल्लों तथा स्टेशन को जाने वाले यात्रियों को असुविधा हो रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया नगर निगम लखनऊ के किसी उच्चाधिकारी से जांच कराकर समस्त स्थायी तथा अस्थायी निर्माण हटाने तथा फुटपाथ को सड़क से नीचा करने तथा नालियों को खोलने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

**जनपद आजमगढ़ की मेंहनगर तहसील में आने वाली बाढ़ से सैकड़ों एकड़ जमीन तथा फसल की रक्षा
किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री बृजलाल सोनकर-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि विधान सभा मेंहनगर, आजमगढ़ के मेंहनगर तहसील के आस-पास के हजारों एकड़ जमीन का पानी बरसात के दिन में एकत्र होकर प्रारम्भ में एक नाले के रूप में बहता है जो आगे जाकर लोनी नदी के नाम से

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जानी जाती है जो चौड़ाई और गहराई कम होने के कारण बरसात में विकराल रूप धारण कर लेती है और आस-पास के सैकड़ों एकड़ फसल तथा घटिया, जमकी, अमारी, धिरजीपुर, सेरा, लोहानपुर, फत्तेपुर, खड़गपुर, कोटवारी, देवरिया इत्यादि गांवों के चारों तरफ पानी भर जाता है जिससे गांव के अन्दर आने-जाने में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सम्मानित सदन के संज्ञान में लाकर यथाशीघ्र प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं जिससे इस नदी के बाढ़ के प्रकोप से सैकड़ों एकड़ जमीन की फसल की रक्षा तथा प्रभावित गांवों की समस्या का निदान हो सके।]

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालगंज में पिचरोड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र लालगंज, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत निम्नलिखित पिच रोड जनहित में निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है:--

- 1-पल्हना तरवां पिचरोड के बीच से ग्राम सभा सुल्तानपुर नवापुरा चिल्लर सिंह के घर तक।
- 2-टेकवा बाजार मेन रोड के दोनों पटरियों पर 2-2 कि0मी0 नाला का निर्माण कार्य।
- 3-निहोरगंज रामपुर कठेरवा सम्पर्क मार्ग से नहर पटरी होते हुए राम जनम यादव के घर तक 1.5 कि0मी0 पिचरोड ।
- 4-आजमगढ़ जौनपुर मेन रोड के बीच से टेकवा भगवानपुर नहर की पटरी पर मंहगूपुर तक 6 कि0मी0 पिचरोड ।
- 5-पल्हना ब्लाक के अन्तर्गत चिलबिला नहर से बासदेव सिंह के घर तक 1 कि0मी0 पिचरोड का कार्य।
- 6-पल्हना ग्राम सभा चिलबिला बब्लू सिंह के घर से रिकू सिंह के ट्यूबवेल तक 1 कि0मी0 तक पिचरोड।
- 7-आजमगढ़-जौनपुर मार्ग के बीच से किशोरी के गोदाम से अहिरौली ग्राम सभा तक 800 मी0 पिचरोड।
- 8-तरवां ब्लाक के अन्तर्गत सिहुका अबीरपुर जितमी चौहान के घर से काली जी के स्थल तक 700 मी0 पिचरोड।
- 9-ग्राम सभा बीबीपुर पहिया पर विजयी यादव के खेत से ग्राम सभा सलेमपुर तक पिचरोड का निर्माण, लं0-2 कि0मी0।
- 10-आजमगढ़-जौनपुर मेन रोड से भीरा बाजार बुझारत चौहान की दुकान से यादव बस्ती होते हुए पिचरोड तक 1 कि0मी0 पिचरोड।
- 11-तरवां ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम सभा सुम्ही स्व0 रामदास यादव के घर से चिल्लर प्रधान के घर तक पिच रोड 700 मी0 ग्राम सभा उबारपुर लालगंज ब्लाक के अन्तर्गत भूमिहार बस्ती होते हुए मंदिर तक 1 कि0मी0 पिचरोड।]

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विशाल खण्ड-1 गोमतीनगर लखनऊ के पार्क से अनाधिकृत कब्जा हटवाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, विशाल खण्ड-1 गोमती नगर, लखनऊ में भवन संख्या 1/813 से 1/823 तथा भवन संख्या 1/843 से 1/847, शहीद भगत सिंह विद्या मन्दिर स्कूल के सामने लगभग एक एकड़ का पार्क है इस पार्क का एक कोने पर डिगडिगा ग्राम के एक आटा-चक्की वाले का मकान है जिसके घर के सामने पार्क का एक गेट है। इस परिवार ने अपने घर में काफी संख्या में गाय-भैंस पाल रखी है। इस पार्क के सुन्दरीकरण हेतु कई बार टेका हुआ, किन्तु टेकेदार एवं इंजीनियरों ने सांठ-गांठ करके पार्क में जरा सा काम दिखा कर पूरे पैसों का गबन कर लिया। पार्क का गेट कालोनी की तरफ न बना कर चक्की वाले के घर के सामने बना दिया है, जिसे खोलकर वह अपनी गायों, भैंसों को शाम को पार्क में डाल देता है जो जानवर साड़, भैंसे आदि पार्क में नहीं आ पाते हैं उन्हें कालोनी के तरफ खदेड देते हैं जो लड़ते झगड़ते हैं जिससे लोगों को चोट भी लग जाती है तथा कालोनी की सड़क गोबर एवं गन्दगी से पट जाती है। कालोनी के लोगों का सड़क पर निकलना दूभर हो गया है, जानवरों को पार्क एवं सड़कों पर रखने से मना करने पर लोग गोलबन्द होकर झगड़ा व मार-पीट पर आ जाते हैं। आम आदमी का पार्क में जाना तो दूर सड़कों पर ही निकल पाना मुश्किल हो गया है। पार्क के कोने में एक इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगा था वह भी खराब हो गया है लोगों की पेयजल समस्या उत्पन्न हो गयी है। इस सम्बन्ध में बताया गया था कि पार्क में घुमावदार गेट लगवाने एवं सुन्दरीकरण कराने हेतु लगभग 65 हजार का आगणन दिया गया है तथा पशुपालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है किन्तु मौके पर कुछ नहीं हुआ है सम्बन्धित कर्मचारी गुमराह कर रहे हैं। उक्त परिस्थिति से जनमानस काफी आक्रोशित है।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं उक्त पार्क के गेटों को बन्द कराकर भवन संख्या 1/818 से 1/821 के सामने घुमावदार एक गेट लगवाने, पार्क का सुन्दरीकरण कराने, झूला लगवाने, पार्क के चारों तरफ पौधे लगवाने, तथा पार्क एवं सड़कों को स्वच्छ रखने हेतु मवेशियों को अन्यत्र हटवाने तथा हैण्डपम्प लगवाने हेतु सदन के माध्यम से मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों से की जा रही अवैध वसूली एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजपाल सिंह-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मान्यवर, जनपद-मथुरा के परिवहन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गोवर्धन मेला जाने वाले श्रद्धालू-यात्रियों से अवैध किराया वसूल किया जा रहा है। मथुरा से गोवर्धन जाने वाली सरकारी बस जिसका नम्बर-यू0पी0 85 एक्स 9073 है उक्त बस के परिचालक ने श्रद्धालुओं को

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

0167556, 0167557 एवं 0167558 नं0 के सिरीज के टिकट दिये जिनका साधारण किराया आने-जाने का मात्र 16.00 रुपये है परन्तु बस परिचालक व ड्राइवर द्वारा 20.00 रुपये का किराया वसूल किया गया एवं गोवर्धन से मथुरा वापसी का किराया रु0 25.00 वसूल किया गया, यात्रियों की वापसी का टिकट नं0 2839001, 2839002, 2839003 सीरीज के दिये गये। जिसकी सूचना कुछ श्रद्धालुओं द्वारा मथुरा-गोवर्धन के बीच चेक पोस्ट पर बैठे अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गयी परन्तु उनके द्वारा यह कहा गया कि यह किराया मेले की वजह से बढ़ा है। मान्यवर, श्रद्धालुओं को जो टिकट दिया जा रहा है वह सम्भवतः विभाग द्वारा बन्द किया जा चुका है उसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है कि यह टिकट कहां से कहां तक का मान्य है, मान्यवर, जबकि वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को कम्प्यूराइज्ड टिकट दिया जा रहा है, इस प्रकार लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ परिवहन विभाग खिलवाड़ करके उनसे अवैध धन वसूली करने का काम कर रहा है। मेले की वजह से यदि किराया बढ़ाया गया है तो उसका शासनादेश संख्या क्या है ?

मान्यवर, उक्त गंभीर व जनहित के विषय पर लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके साथ खिलवाड़ करने वाले जनपद-मथुरा के दोषी अवैध वसूली करने वाले सभी परिचालक व प्रश्नगत मामले में लिप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को तात्कालिक प्रभाव से ब्लैक लिस्टेड करके उक्त प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर उन्हें चेतावनी न देकर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र मउरानीपुर, जनपद झांसी के अन्तर्गत पिच रोड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रश्मि आर्य-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मउरानीपुर, जनपद झांसी के अन्तर्गत निम्नलिखित पिच रोड जनहित में निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इन पिच रोडों के बन जाने से जनहित में बहुत राहत मिलेगी।

- 1-हनुमानगढ़ी से लठवारा तक पिच रोड बनवाने का कष्ट करें 4 कि0मी0।
- 2-विजना तिराहे से नोटा तक 3 कि0मी0।
- 3-वीरा से चेमाई (मऊ ब्लॉक) 4 कि0मी0।
- 4-देवरिया खाट से मेन रोड से पुरवा तक मऊ ब्लॉक मे आता है 2 कि0मी0।
- 5-गढ़वा से मढ़वा तक मऊ ब्लॉक में आता है 3 कि0मी0।
- 6-गुडसराय रामनगर रोड से सरसेडा तक (बामोर ब्लॉक) में आता है 5 कि0मी0।
- 7-दिलावली गांव से मवई तक (बामोर ब्लॉक) में आता है 5 कि0मी0।
- 8-कदोरा से नया भानपुरा (मऊ ब्लॉक) में आता है 6 कि0मी0।
- 9-बड़ागांव से भदवारा (मऊ ब्लॉक) में आता है 3 कि0मी0।

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

10-धायपुरा बाईपास से बसइया रोड तक राजपूत ढेरा होकर 2 कि0मी0।

11-धकरवारा से विजयपुरा तक पिच रोड 3 कि0मी0।

12-कदौरा से पटा तक पिच रोड 3 कि0मी0।

इस सभी विधान सभा क्षेत्र में पिच रोड बनवाने का कष्ट करें।]

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि को जबरन नोटिस देकर कब्जा लेने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोरावार के ग्राम सभा खोरावार व जंगल सिकरी में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण की नोटिस दी जा रही है जो कि पिछले पांच वर्षों से इस पर कार्यवाही की जा रही है। काश्तकारों और अधिकारियों के बीच जमीन के दाम आपसी सामंजस्य न बैठने का कारण जमीन का रेट प्रधानमंत्री चतुर्भुज योजना अन्तर्गत जो काश्तकारों को ताल और खाल के जमीन का रेट प्रति डिस्मिल 35 हजार, 45 हजार व समतल भूमि का 55 हजार रुपया प्रति डिस्मिल दिया जा रहा है वहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मात्र 11,400/- रु0 प्रति डिस्मिल ग्रीन बेल्ट के उपजाऊ भूमि का दिया जा रहा है ऐसे में काश्तकारों की मांग है कि हमें प्रधानमंत्री चतुर्भुज योजना के अन्तर्गत जो रेट मिल रहा है उसी के समतुल्य रेट हमें चाहिए। ऐसे में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा वहां जाकर भूमि को जबरन वह नोटिस देकर कब्जा लेना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में काश्तकारों वे विभागीय कर्मचारियों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 पुलिस रेडियो विभाग में 26-04-2005 को विज्ञापित रेडियो स्टेशन अधिकारी का परिणाम 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी न घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल “कैलाश डेरी वाले”-

[महोदय, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पुलिस रेडियो विभाग ने रेडियो स्टेशन अधिकारी (आर0एस0ओ0) तथा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी (आर0एम0ओ0) के पद पर भर्ती हेतु दिनांक 26-04-2005 को विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने पर दिनांक 06-08-06 को प्रारम्भिक परीक्षा एवं 30-11-06 को शारीरिक परीक्षा लखनऊ में हुई तथा दिनांक 28-02-07 को मुख्य परीक्षा हुई। शारीरिक नाप-तौल की सत्यता जांच दोबारा 03-07-10 को हुई। लेकिन समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भी आज तक इस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। रेडियो स्टेशन अधिकारी एवं रेडियो अनुरक्षण अधिकारी की भर्ती का विज्ञापन से अन्त तक प्रक्रिया एक साथ पूर्ण हुई लेकिन रेडियो स्टेशन अधिकारी का परिणाम आज तक जारी नहीं किया गया है जबकि रेडियो अनुरक्षण अधिकारी का परिणाम जारी कर नियुक्तियां दे दी गई हैं। रेडियो स्टेशन

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकारी का परिणाम 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्यों जारी नहीं किया गया ? विभाग में पद रिक्त चल रहे हैं, हजारों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बहराइच के कैसरगंज के ग्राम गाजीपुर के गाटा संख्या-298-99 खतौनी में सीलिंग करते हुये भूमिहीनों को भूमि न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी-

[महोदय, जनपद बहराइच तहसील कैसरगंज के ग्राम गाजीपुर का गाटा संख्या 298 व 299 खतौनी में सीलिंग के नाम दर्ज है तथा फल उद्यान विभाग के कब्जे में होने का उल्लेख है। यह बहुत बड़ा क्षेत्र 11.2140 हेक्टेयर है किन्तु इस उपजाऊ जमीन पर कोई कार्य नहीं होता है। कई वर्षों से न उस पर कोई फल, सब्जी लगाई गई न ही कोई खेती की गई है। वहां सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त हैं किन्तु वे भी निष्प्रयोज्य है। इस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। इस जमीन का उपयोग करके इस पर उद्यान विभाग उत्तम बीज या अच्छे फल, सब्जी पैदा कर सकता है किन्तु सरकार नहीं कर रही है। यदि सरकार नहीं करना चाहती है तो इस खाली पड़े उपजाऊ जमीन को भूमिहीन किसानों को पट्टे पर देकर खेती कराई जाये। इससे एक ओर भूमिहीन किसानों को रोजी रोटी का सहारा मिल जायेगा। दूसरी तरफ बेकार पड़ी जमीन का उपयोग भी हो और सरकारी धन की बचत भी होगी।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र निघासन बेलरायां (लखीमपुर) के दुधवा नेशनल पार्क से प्रवेश द्वार खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

[महोदय, मेरी विधान सभा निघासन के बेलरायां, वन क्षेत्र (दुधवा नेशनल पार्क) में गैंडा परियोजना, हाथियों के लिये बाड़ा निर्माण, छांगा नाला कोठी, चुरैला ताल, झाड़ीताल, रनवास ताल आदि कई तालाब व झीलें हैं जिससे झाड़ी ताल की विशेषता है कि यह कभी सूखता नहीं है जिसके कारण काफी पशु-पक्षी यहां डेरा डाले रहते हैं। प्रदेश का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा अपनी जैव विविधता, प्राकृतिक खूबसूरती के लिये प्रसिद्ध है। पार्क में बाघ, तेंदुआ, गैंडा, जंगली हाथी, चीतल, पाड़ा, हिरन, साबर, कांकड़ा, गुलदार व भालू तथा हिरन की बहुत सारी प्रजातियां पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। बेलरायां में सड़क व रेल यातायात की सुविधा उपलब्ध है। कम समय में सफर में पर्यटन पार्क तक पहुंच सकते हैं। बेलरायां जाने के लिये लखीमपुर, बरेली व लखनऊ से सीधी बस व रेल सेवा है तथा बेलरायां, यहां स्थित शुगर मिल के कारण अच्छा कस्बा है जहां पर्यटकों की जरूरत की हर सामग्री उपलब्ध है। पर्यटकों की आमद बढ़ने की पार्क प्रशासन को भी उम्मीद है। क्षेत्रीय जनता की यह पुरजोर मांग है तथा बेलरायां प्रवेश द्वार खोलने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे तथा लोगों से आर्थिक व सामाजिक उन्नति के साथ-साथ अधिक सुविधाजनक यात्रा होने/पर्यटकों की संख्या बढ़ने से राज्य सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी तथा पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ेगी।

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए बलरायां वन क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार शीघ्र शुरू करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

उ0 प्र0 में बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में स्व वित्तपोषित कालेजों में 15 प्रतिशत कोटा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र जायसवाल-

[महोदय, उत्तर प्रदेश में बी0एड0 प्रवेश 2012-13 की काउन्सलिंग सम्पन्न हुई है। लगभग 15000 सीटें उत्तर प्रदेश में खाली है। 15000 सीटों को भरने के लिए सरकार या तो दूसरी काउन्सलिंग के माध्यम से सीटें भरे अथवा जो छात्र जिनका आवंटन दूरस्थ जिलों में हो गया है उन्हें अपने आसपास कालेजों में जहां सीटें रिक्त हैं वहां सीधे प्रवेश लेने की छूट प्रदान की जाय या 15 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटे के तहत स्व-वित्तपोषित कालेजों को दिया जाय जैसा कि अन्य तकनीकी कालेजों को दिया गया है। यह भी अवगत कराना है कि विगत सरकार द्वारा स्व-वित्तपोषित कालेजों के प्रबन्धकों का 15 प्रतिशत कोटा खत्म कर दिया था जो न्याय विरुद्ध था।

इससे 15000 छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन पूरा होगा तथा कालेजों की सीटें भी पूरी हो जायेंगी तथा उनके साथ न्याय होगा।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए स्व-वित्तपोषित कालेजों में 15 प्रतिशत कोटा बहाल किये जाने की मांग करता हूँ।]

महाराजगंज के फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र में शाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

[महोदय, जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा अन्तर्गत ब्लाक वृजमनगंज की ग्राम सभा शाहाबाद में ग्राम समाज की खाली पड़ी हुई जमीन पर वकील अहमद नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इस कब्जे को रोकने हेतु वर्तमान ग्राम प्रधान ज्योति देवी द्वारा प्रार्थना-पत्र देकर मुंसिफ मजिस्ट्रेट फरेन्दा से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया और इस आदेश की प्रति एस0ओ0 वृजमनगंज को भी दिया गया। इस प्रकरण पर सी0ओ0 द्वारा विवेचना के उपरान्त किये जा रहे कब्जे को रूकवा दिया गया था परन्तु एस0ओ0 वृजमनगंज द्वारा सी0ओ0 के जाने के बाद अवैध धन लेकर उस पर तीन शेड डलवा/कब्जा करा दिया गया जबकि मुंसिफ मजिस्ट्रेट का स्थगन भी था उसे भी अनदेखी करके अवैध रूप से कब्जा दिलाया गया। इसकी शिकायत एस0पी0 से भी पत्र द्वारा एवं दूरभाष पर दी गयी परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ग्राम समाज द्वारा वर्तमान से एस0ओ0 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं ग्राम समाज की भूमि का खाली कराये जाने की मांग की जा रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं ग्राम समाज की भूमि पर किये गये कब्जे को हटाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**पटेल नगर योजना, इन्दिरा नगर लखनऊ में स्थित नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, मैं निम्नलिखित लोकमहत्व की सूचना के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ:--

श्रीमन्, लखनऊ पूर्वी के अन्तर्गत स्थित पटेलनगर योजना, इन्दिरा नगर, लखनऊ में दो नाले हैं। प्रथम मकान नं0 72 के निकट से टेलीफोन एक्सचेंज होते हुए इस्माईलगंज के पीछे स्थित तालाब तक जाता है और दूसरा जी0ए0 एकेडमी से श्री अच्छेलाल वर्मा के मकान होते हुए उक्त तालाब तक जाता है। उक्त दोनों नालों के द्वारा इन्दिरा नगर के सेक्टर-8, 9, 10 तथा 12 शालीमार इंक्लेव, वैशाली इंक्लेव, पानी गांव, हरिहर नगर एवं इस्माईलगंज आदि कई मोहल्लों के पानी की निकासी होती है। उक्त दोनों नालों की गत लगभग तीन वर्षों से सफाई नहीं हुई है। बरसात का मौसम सन्निकट है। उक्त मोहल्लों में जलभराव की समस्या बनी रहती है।

अतः आपके माध्यम से मेरा मा0 नगर विकास मंत्री से अनुरोध है कि कृपया उक्त लोक महत्व के विषय को दृष्टिगत रखते हुए दोनों नालों की सफाई तत्काल किए जाने हेतु व्यवस्था कराने का कष्ट करें।]

मुगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर के तारडीह गांव पर कदम पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा-

[महोदय, जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर अन्तर्गत विकास खण्ड मुगरा बादशाहपुर में करकोली माइनर पर खण्ड 39 इलाहाबाद बार्डर पर तारडीह गांव में कदम पुलिया न होने के कारण किसानों को काफी दूर तक चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ रहा है जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को अपने खेतों तक पहुंचने में काफी समय लगने के साथ ही देखभाल एवं कृषि कार्य करने में भी कठिनाई हो रही है। इसलिए जनहित में तारडीह गांव के पास एक पुलिया का निर्माण व्यापक जनहित में आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए करकोली माइनर पर तारडीह गांव में कदम पुलिया बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

गोरखपुर-बस्ती मण्डल के 07 जनपदों के बीच मेट्रो रेल चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर-बस्ती मण्डल के 7 जनपदों के करीब 2½ करोड़ नागरिकों का व्यवसायिक, शैक्षणिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से अत्योग्यात्रित सम्बन्ध है। प्रतिदिन दसियों लाख की संख्या में नागरिक अपने वैवाहिक कार्यों से एक जनपद से दूसरे जनपद में आने-जाने का कार्य करते हैं।

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवागमन के लिये एक दूसरे के बीच में देवरिया-गोटाप्कर-बस्ती को छोड़कर रेल मार्ग भी नहीं है। रेलमार्ग पर ट्रेने भी घनत्व कम है तथा हमेशा भीड़ से भरी होती हैं। करीब 10 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से अलग-अलग जनपदों में अवश्य बंटा हुआ है, लेकिन अभी आधार पर यह पूरी तरह से एक महाजनपद है तथा पहले गोरखपुर जनपद का ही हिस्सा हुआ करता था।

आवागमन की सही सुविधा न होने के कारण कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, संतकबीर नगर में अपेक्षित विकास भी नहीं हो पाया है और इन क्षेत्रों के नागरिक बड़ी संख्या में गोरखपुर से आकर स्थाई रूप से निवास करते हैं।

यह पूर्व क्षेत्र कुम्बिनी-कुशीनगर-भगदर-बाबा गोरखनाथ का क्षेत्र होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों (विशेष रूप से बुद्धदेस्ट) के लिये विशेष आकर्षण का केन्द्र है। अतः यहां पर एक सम्मिलित मेट्रो-रेल सुविधा प्रारम्भ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बीय तथा निश्चित विषय पर नियम-301 के तहत सरकार से जवाब देने के लिये निर्देशित है।]

शाहजहांपुर नगर के कतिपय मोहल्लों की कच्ची सड़कों को डामरयुक्त/सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला (1) सुभाष नगर (2) अजीजगंज (3) फत्तेपुर रेती (4) नई बस्ती ख्वाजा फिरोज (5) हाथीथान (6) गदियाना की काफ़ी सड़कें आज भी कच्ची हैं। इन पर धूल उड़ती है। इन मोहल्लों के कई मार्ग खड़न्जा युक्त हैं। कच्चे मार्गों व खड़न्जा युक्त मार्गों पर चलने में आज भी बहुत असुविधा होती है। आवागमन अत्यन्त कष्टदायक होता है। जनहित में इन उपरोक्त मोहल्लों के मार्गों को डामर युक्त/सी0सी0 रोड बनना आवश्यक है।

लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं आपके माध्यम से उक्त मोहल्लों के कच्चे तथा खड़न्जे युक्त मार्गों को डामर युक्त या सी0सी0 बनवाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बदायूं में देशी व अंग्रेजी शराब की बिक्री निर्धारित एवं प्रिन्ट रेट से अधिक दामों पर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आविद रजा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 115 बदायूं में देशी व अंग्रेजी शराब सरकारी निर्धारित दरों एवं प्रिन्ट रेट से अधिक दामों पर बिक रही है जिससे आये दिन वाद-विवाद व झगड़े होते रहते हैं जो कभी भी विकराल रूप ले सकते हैं। जिससे शहर का शांतिपूर्ण माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। इस आशय का एक पत्र मेरे द्वारा जिला प्रशासन को दिनांक 26-6-12 को लिखा जा चुका है।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मा0 सदन से अनुरोध है कि जनहित में उक्त अवैध बिक्री को रोकने एवं दोषियों के विरुद्ध तत्काल ठोस कार्यवाही हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के गांव अजौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विधान सभा रसड़ा (बलिया) अन्तर्गत ग्राम सभा अजौली जो कि रसड़ा तहसील का एक बड़ा गांव होने के साथ ही यहां की आबादी 12000 से अधिक है। इतनी बड़ी आबादी के बीच कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण यहां के लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है तथा सही उपचार न मिल पाने की दशा में अनेक विसंगतियों से रूबरू होना पड़ता है। जनहित में इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्याओं को देखते हुए सरकार से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

लखनऊ के चिनहट बाजार में सीवरीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जमील अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से मा0 सदन के संज्ञान में यह लाया जाना है कि जनपद लखनऊ के चिनहट बाजार के मध्य से गहरी सीवरीकरण का कार्य पिछले वर्ष तेजी से तो कराया गया परन्तु बाजार के मध्य भाग से विधायक चौराहा के मध्य भाग का कार्य छोड़ दिया गया है तथा इसके दायें व बायें स्थित गलियों में स्थित मकानों में सीवर लाइन नहीं जोड़ी गई है तथा उसे छोड़ दिया गया है। यहां पर सप्ताह में दो दिन बाजार भी लगता है। सड़क गड़ढानुमा तथा नीची-ऊंची हो जाने के कारण जल भराव बना रहता है तथा होने वाली बारिश के दौरान जल भराव से आवागमन बाधित होने के साथ ही कस्बा बीमारियों की चपेट में आ जायेगा। इसके अलावा विधायक चौराहा से दस मीटर बाजार की ओर दाहिने स्थित छोटे से भाग पर दूध व खोया की मण्डी सुबह से दो बजे तक लगती है। इसी गली में 10 मीटर अन्दर गली के छोर पर अभी तक पोस्ट आफिस चिनहट का कार्यालय था जो अब अन्यत्र स्थानान्तरित हो गया है। इस पुराने पोस्ट आफिस से बायें तरफ लगभग 100 मीटर तक रास्ते में नाली खड़न्जा टूट जाने के कारण हमेशा जल जमाव बना रहता है। यह मुस्लिम बाहुल्य गरीब लोगों का मुहल्ला है। यह दूषित पानी आस-पास के घरों में जाता रहता है। इससे बीमारियों के फैलने का डर हमेशा बना रहता है। अतएव सीवरीकरण के अधूरे कार्यों को पूरा करना, गलियों में स्थित मकानों के सीवरों को जोड़ना, सड़क को पक्का करना तथा पुराने पोस्ट आफिस के सामने से बायीं तरफ स्थित गली को आर0सी0सी0/पक्का रास्ते का निर्माण कराना तथा बन्द हो गयी नालियों को पुनः निर्माण कराना, कूड़ा-मलवा हटाना व बेहतर साफ-सफाई कराना अपेक्षित है।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूँ।]

हैदरगढ़ बाराबंकी में 20 राजकीय नलकूप व 2 पम्प नहर लगाकर सिंचाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन रावत-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ जो कि गोमती नदी के दोनों तरफ लगभग 50 कि0मी0 की लम्बाई में स्थित है। नदी के दोनों तरफ लगभग 5 कि0मी0 क्षेत्र ऊंचा-नीचा होने के कारण नहरें सफल नहीं हैं। इस कारण सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस ज्वलंत समस्या पर ध्यान नहीं दिया। जिसके कारण इस क्षेत्र के किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के हितों के लिए सदैव काम करती आयी है। इस क्षेत्र की जनता सपा की सरकार से उम्मीद करती है कि गोमती नदी के किनारे सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजकीय नलकूप व पम्प नहर (लिफ्ट कैनाल) बनाकर किसानों के अपनी कृषि कार्य को उन्नत करने हेतु 20 राजकीय नलकूप व दो पम्प नहर (लिफ्ट कैनाल) लगाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान करने की कृपा करें।]

प्रदेश के 992 माध्यमिक शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[महोदय, प्रदेश के 992 माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षक पिछले 23 वर्षों से माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि विषय विशेषज्ञों को विनियमित नहीं किया गया है।

माध्यमिक विद्यालयों में काफी पद भी रिक्त हैं तथा यह 992 माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षकों को विनियमित/आमेलन न होने से इन शिक्षकों की बहुत दयनीय स्थिति हो गयी है।

यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है। जिस पर वक्तव्य देने के साथ-साथ मांग करता हूँ कि इन माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षकों को विनियमित किया जाये।]

निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर पवई में स्थित भदौला ताल से निकली ड्रेन की सफाई/खुदाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक पवई में स्थित भदौला ताल जिसमें बरसात के दिनों में किसानों की लगभग 500 एकड़ उपजाऊ भूमि जलमग्न हो जाती है, जिससे धान की फसल सम्पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती है एवं जल भराव के कारण आगे रबी की फसल की बुवाई नहीं हो पाती है जिससे किसानों की दोनों फसलों का निरन्तर नुकसान होता चला आ रहा है। जबकि ताल के मध्य से ड्रेन लगभग 5 कि0मी0 तक बना पड़ा है, परन्तु उसकी सफाई/खुदाई न हो पाने के कारण वह पूरी तरह से बन्द पड़ा है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पाती है।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, लोकहित के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या ड्रेन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हुई है, तो बताने का कष्ट करें यदि नहीं तो उक्त भदौला ताल से 5 कि0मी0 लम्बी ड्रेन की सफाई/खुदाई कराने की कृपा करें, जिससे किसानों की फसलों को जल भराव से हो रही बर्बादी से बचाया जा सके।]

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सर्वशिक्षा अभियान में लगे अध्यापकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमीमुल हक-

[महोदय, मैं मा0 सदन का ध्यान एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं लोकमहत्व के विषय की ओर अवगत कराना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्/सर्वशिक्षा अभियान, लखनऊ में संविदा (सीधी भर्ती) विभिन्न वेतनमानों (छटा वेतनमान प्रतीक्षित) में कार्यरत समस्त कर्मचारी जो विगत 14-18 वर्षों से निरन्तर विभागीय सेवा में कार्यरत हैं। विभागीय सेवा करते-करते कर्मचारियों की आयु 40 वर्ष से अधिक की हो चुकी है, परन्तु आज तक विभाग व शासन के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के हित में कोई भी उचित निर्णय नहीं लिया गया। जबकि विभाग में लगातार पत्र दिया जा रहा है। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड सरकार (देहरादून), कार्मिक अनुभाग-2 ने अपने अधिसूचना संख्या-1412/XXX(2)/2011-3-(1)/2006, दिनांक 21 नवम्बर, 2011 द्वारा दैनिक वेतन, संविदा कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण किया जा चुका है। उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा देने वाली इस परियोजना के कर्मचारियों के बच्चे शिक्षा के अभाव में घरों में बैठने को मजबूर हैं क्योंकि इतने कम वेतन में खाने को ही पूरा नहीं हो पा रहा है। इन समस्त कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए इनका नियमित करने हेतु आदेश निर्गत कराये ताकि इनका भविष्य खराब न हो।

अतः मैं जनहित के उक्त लोकमहत्व के विषय पर मा0 अध्यक्ष महोदय, सरकार को निर्देश देने की कृपा करें।]

वाराणसी स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय राजकीय चिकित्सालय में आई0सी0यू0 एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[महोदय, वाराणसी स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय राजकीय चिकित्सालय में जिले के ही नहीं अपितु पूर्वांचल के आस-पास के कई जिलों के गरीब मरीज रोजाना बड़ी संख्या में आते रहते हैं। इनमें दिल के मरीज भी होते हैं, कई बार आवश्यकतानुसार मरीज को आई0सी0यू0 की सुविधा प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। चिकित्सालय में आई0सी0यू0 कक्ष अथवा वार्ड बना हुआ है, बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है लेकिन खेद है कि भर्ती होने वाले मरीजों को गहन चिकित्सा प्रदान करने हेतु उक्त कक्ष में कोई भी उपकरण नहीं है। पूरे चिकित्सालय में एक मात्र कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आई0सी0यू0 हेतु कोई अलग से नर्सों की व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप गरीब मरीज को आई0सी0यू0 की सुविधा

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राप्त नहीं होती और वे लौटा दिये जाते हैं। अपनी गरीबी के कारण से मंहगी चिकित्सा वे बाहर नहीं करा पाते। यह गरीबों का दुर्भाग्य होता है। उक्त परिस्थिति में जनहित में आवश्यक है कि उक्त आई0सी0यू0 वार्ड के लिए अलग से एक कार्डियोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स तथा दिल के मरीजों को गहन चिकित्सा में रखने हेतु आवश्यक आधुनिक उपकरण अवश्य ही उपलब्ध कराया जाय। पूरे अस्पताल में लगभग 350 बेड हैं जिनको स्वच्छ रखने हेतु अस्पताल में ही धुलाई की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे गन्दे बेड होने की शिकायत हमेशा बनी रहती है। उक्त प्रयोजन हेतु एक मॉडर्न लान्ड्री मशीन भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मैंने अपने विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि द्वारा अस्पताल हेतु दो यूनिट डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराया है लेकिन खेद है कि चिकित्सक एवं टेक्निशियन के अभाव में वह आपरेट नहीं होता और आने वाले मरीजों को निराश होकर लौट जाना पड़ता है। मेरी मांग है कि गरीब मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्था किया जाय।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभावी कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर में एस0डी0एम0 द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या-

[महोदय, अवगत कराना है कि दिनांक 27-5-2012 को ग्राम दुबौली, पो0-लगड़ी, तहसील-हाटा, जनपद-कुशीनगर में दो अराजक तत्वों के कहने पर एस0डी0एम0 व स्थानीय पुलिस द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर की स्थापित मूर्ति चबूतरा सहित जे0बी0सी0 मशीन से उठवाकर ट्रैक्टर द्वारा कोतवाली उठवा ले गये तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया। जिसकी सूचना सम्बन्धित थाने में दी गयी परन्तु अभी तक दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूँ कि डा0 भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायें।]

सिधौली जनपद सीतापुर में इन्दू देवी के नाम से भूमि का विक्रय कर धारा-157 'क' का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष रावत-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र सिधौली-सीतापुर के अन्तर्गत सिधौली क्षेत्र में ग्राम नवागांव, परगना मनवां, तहसील सिधौली, सीतापुर की खतौनी खाता सं0-60 की गाटा सं0-76के/0.263 व 77क/0.130 जो दर्ज खातेदार को भूमि आवंटन में मिली थी। तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा धारा-157'क' के प्राविधानों के तहत जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं उनका उल्लंघन करते हुए अपने माता

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन्दूदेवी पत्नी अमरनाथ जो मकान नं0-सी/98 साउथसिटी रायबरेली रोड, लखनऊ को विक्रय स्वीकृति देकर अनुचित लाभ पहुंचाते हुए भूमि को क्रय कराया गया है विक्रेता अनुसूचित जाति के हैं।

यह भी अवगत कराना है कि खतौनी खाता सं0-372 की गाटा सं0-77ग/0.646 पर दर्ज खातेदार जो अनुसूचित जाति के हैं धारा-1 में वर्णित प्रक्रिया को अपना कर अपने माता के नाम भूमि विक्रय अनुमति प्रदान कर करायी गयी है। ग्राम की खतौनी खाता सं0-381 पर दर्ज गाटा सं0-72/0.60 व 78/0.101 पर दर्ज खातेदार जो अनु0 जाति के हैं का भूमि विक्रय अनुमति देकर अपने माता के नाम से कराये हैं।

यह कि सम्बन्धित ग्राम की वर्तमान खतौनी के खाता सं0-668 की गाटा सं0-79/0.263 व खाता सं0-253 की गाटा सं0-77 घ/0.809 पर दर्ज खातेदारान जो अनुसूचित जाति के हैं तथा भूमि को आवंटन में मिली थी को अवैधानिक रूप से अपने पुत्र रोहता पुत्र राम प्रकाश निवासी 32ए सेनानी बिहार रायबरेली रोड, तेलीबाग, लखनऊ के हक में क्रय करायी गयी है।

उपरोक्त जमीनों/नम्बरों को भूमि को क्रय कराकर बैनामे करवा लिया गया है जो कि स्वतः इसका लाभ लिये हुए हैं। यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है और लोक महत्व का है। पूरे प्रकरण की जांच होना अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते उपरोक्त नम्बर जो अवैध रूप से बैनामें करवाकर लाभ ले लिये हैं की तत्काल जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराते हुए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं तथा पूरे प्रकरण की जांच कराते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर में तैनात डी0एफ0ओ0 द्वारा बड़े पैमाने पर शासकीय धनराशि का इस्तेमाल किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद अम्बेडकर नगर में तैनात डी0एफ0ओ0 वर्तमान द्वारा बड़े पैमाने पर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। पेड़ों के रख-रखाव में बड़े पैमाने पर अनियमिततायें की गयी हैं। पेड़ केवल कागजों पर लगे हैं, मौके पर बिल्कुल नहीं है, उनके रख-रखाव के लिए लगाये गये ईंट जो बहुत ही घटिया किस्म की है। उसमें लगायी मौरंग, सीमेन्ट की गुणवत्ता बहुत खराब है। उसमें बड़े पैमाने पर अनियमिततायें हुई हैं। मेरे द्वारा यह प्रकरण पूर्व में कई बार सदन में उठाया गया है और प्रश्न सं0-11 दिनांक प्रथम सत्र, 2012 के चतुर्थ बुधवार हेतु लगा था जिसके उत्तर में कहा गया कि निरीक्षण/सत्यापन में कोई कमी नहीं पायी गयी। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि न तो कोई उच्च स्तरीय अधिकारी ने मौके पर निरीक्षण किया और न ही सत्यापन किया। वर्तमान में डी0एफ0ओ0 भीमसेन जो पिछली सरकार में एजेण्ट के रूप में कार्य करते थे और इनकी छवि विभाग में बहुत खराब है। इनके द्वारा लाइसेन्स जारी करने में लूट की गयी है, आरा मशीन मालिकों से अवैध कटान के नाम पर धन वसूली की जाती है। यह गम्भीर विषय है और पूर्व में भी शासन के संज्ञान में आ चुका है।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल वर्तमान डी0एफ0ओ0 को हटाकर ही विभाग द्वारा संदर्भित जांच जो किसी अधिकारी को दी गयी है, कराये जाने की मांग करता हूं।]

बलिया जनपद के सिकन्दरपुर विधान सभा के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक सर्जन एवं महिला डाक्टर समेत अन्य कर्मचारियों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि बलिया जनपद के सिकन्दरपुर विधान सभा के अन्तर्गत एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्दरपुर में है। जहां पर 200 बेड का हास्पिटल स्वीकृत हुआ था। परन्तु इस चिकित्सालय में न तो एक भी सर्जन डाक्टर हैं और न तो कोई महिला डाक्टर हैं मात्र तीन डाक्टर के रहते यह चिकित्सालय चल रहा है। इस चिकित्सालय में डाक्टरों के रहने के लिए आवास भी नहीं बनाये गये हैं। मात्र 4 डाक्टरों के रहने के लिए आवास बनाये गये हैं। 6 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, एक अन्य डाक्टर टेक्निशियन हास्पिटल के जो कि बहुत दूर प्राइवेट आवास लेकर रहते हैं। इनके आवास भी सरकारी व्यवस्था न होने से मरीजों को बहुत कठिनाई होती है। रात में कोई मरीज आता भी है तो कोई भी कर्मचारी या डाक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते मरीजों की भर्ती नहीं हो पाती है। इस चिकित्सालय में एक्सरे मशीन भी चालू नहीं है विद्युत ट्रांसफार्मर न लगने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं होती है। वार्डों में बेड भी ठीक नहीं है। पूरे हास्पिटल में गन्दगी होने के कारण मरीज एवं तीमरदार का वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है और जनहित से जुड़ा है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि बलिया जनपद के सिकन्दर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तत्काल एक सर्जन डाक्टर एवं एक महिला डाक्टर की नियुक्ति एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति शीघ्र किये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा सलेमपुर, जनपद देवरिया की नगर पंचायत में एक विद्युत उपकेन्द्र लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनबोध प्रसाद-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर, जनपद देवरिया के नगर पंचायत मझौली राज में विद्युत उपकेन्द्र न होने से स्थानीय लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत मझौली राज की आबादी लगभग 40 हजार है और काफी दूर में है। विद्युत उपकेन्द्र न होने के कारण बिजली की समस्या बनी रहती है। तत्काल एक विद्युत उपकेन्द्र लगाये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस जनहित के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए नगर पंचायत मझौली राज में एक विद्युत उपकेन्द्र लगाये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं, यह भी

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवगत कराना है कि नगर पंचायत मझौली में एक एकड़ जमीन भी रिक्त है जहां पर विद्युत उपकेन्द्र लगाया जा सकता है।]

उतरौला जनपद बलरामपुर स्थित स्वास्थ्य केन्द्र पर पुरुष एवं महिला डाक्टर मानक के अनुसार नियुक्त किये जाने तथा अन्य चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर के सादुल्लानगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पुरुष एवं महिला डाक्टर मानक के अनुसार नियुक्त नहीं किये गये हैं। पैथालोजी लैब कार्य नहीं कर रहा है। एम्बुलेन्स एवं घातक बीमारियों से निपटने के लिए दवायें उपलब्ध नहीं है जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ में सरकारी वितरण प्रणाली की दुकानों से केरोसीन तेल उपलब्ध कराये जाने एवं कालाबाजारी रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद तिवारी-

[मान्यवर, मिट्टी के तेल/केरोसिन के तेल की ग्रामीण में नितान्त आवश्यकता रहती है क्योंकि बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण लोगों के घरों को रोशन करने का एक मात्र साधन मिट्टी का तेल ही है।

मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास, जनपद प्रतापगढ़ के अंतर्गत मिट्टी का तेल लोगों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकारी वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं वे लोगों को आवश्यकतानुसार केरोसिन का तेल उपलब्ध नहीं करा पा रही है, मजबूर होकर लोगों को 'ब्लैक' में मिट्टी का तेल बाजार से खरीदना पड़ रहा है। जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मिट्टी का तेल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं बाजार में मिट्टी का तेल बढ़ी हुई कीमत पर खुलेआम बेचा जा रहा है। चूंकि यहां पर बिजली भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। अतः ऐसी परिस्थिति में केरोसिन के तेल की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है, इसका फायदा ब्लैक मार्केटिंग एवं काला बाजारी करने वाले बिचौलिये बढ़ी हुई कीमत पर केरोसिन का तेल बेचकर खुलेआम उठा रहे हैं। मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता के कारण जहां लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानी हो रही है वहीं बच्चों की शिक्षा का कार्य भी बाधित हो रहा है। मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करने वाले इस परिस्थिति का फायदा उठाकर 30-35 रुपये प्रति लीटर की दर से लोगों से कीमत वसूल रहे हैं जबकि सरकारी दुकानों पर इसकी कीमत लगभग 15 रुपये प्रति लीटर है। सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की कालाबाजारियों से मिलीभगत होने के कारण उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण एवं बाजार पर प्रदेश

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरकार का नियंत्रण समाप्त होने के कारण लोगों को बढ़ी हुई कीमत पर मिट्टी का तेल कालाबाजारियों के माध्यम से बढ़ी हुई कीमत पर बाजार में खरीदना पड़ रहा है। मिट्टी की तेल की अनुपलब्धता के कारण लोगों में चिन्ता है। अतः आवश्यक आवश्यकता की वस्तु मिट्टी के तेल/केरोसिन तेल को लोगों तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

रामपुर की तहसील बिलासपुर में परिवहन निगम का बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद-रामपुर की तहसील-बिलासपुर में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का बस अड्डा न होने की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। यह तहसील राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पर स्थित है तथा नैनीताल व उत्तरांचल राज्य को जाने वाले मार्ग की प्रमुख तहसील है तथा यह तहसील उत्तरांचल राज्य से पूर्व की आखरी तहसील है तथा यहां पर रोडवेज का बस अड्डा न होने के कारण जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा नैनीताल व उत्तरांचल राज्य जाने वाले यात्रियों को 4-5 घण्टे तक जाम में फंसना पड़ता है। यहां पर उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन का बस अड्डा बनाने के लिए भूमि उपलब्ध है तथा राजस्व विभाग को परिवहन विभाग को रुपये का भुगतान करना है मगर भुगतान न होने के कारण भूमि का अधिकार नहीं प्राप्त हो पा रहा है। जबकि इस भूमि पर राजस्व विभाग द्वारा अनापत्ति दे रखी है तथा यहां पर बस अड्डा बनवाने का सरकार द्वारा आश्वासन लौटाया जा चुका है। यहां पर परिवहन विभाग का बस अड्डा न बनने के कारण नैनीताल आदि उत्तरांचल राज्य जाने वाले यात्रियों व क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है तथा इस सम्बन्ध में जनता रोज ज्ञापन देती रहती है।

मैं इस अविलम्बनीय व लोकमहत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

सहारनपुर-मेरठ जिले की कोरी जाति के लोगों का जाति प्रमाण-पत्र न बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयादीन अनुरागी-

[महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना है कि सहारनपुर व मेरठ मण्डल के जिलों में कोरी जाति के लोगों को हिन्दू जुलाहा जाति व कोरी जाति तसदीक नहीं हुई लिखकर साजिश के तहत जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। जबकि समाज कल्याण विभाग द्वारा 17 फरवरी, 2011 व उसके पूर्ववर्ती आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि कोरी जाति के प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे हिन्दू जुलाहा जो कोरी जाति के हैं, के जांच पड़ताल कर कोरी जाति के प्रमाण-पत्र जारी किये जाते रहेंगे। उक्त आदेश के बावजूद भी राजस्व अधिकारियों द्वारा सांठ-गांठ करके आवेदकों के आवेदन-पत्र पर गलत रिपोर्ट लगाकर प्रमाण-पत्र नहीं

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बनने दे रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके पिता का जाति प्रमाण-पत्र कोरी है, परन्तु उनके बेटों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। कई में जांच रिपोर्ट में पूर्व में लेखपाल व राजस्व निरीक्षक जिन व्यक्तियों को लिखा है कि ये कोरी हिन्दू जुलाहा है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु आज साजिश के तहत वही लेखपाल रिपोर्ट में लिखते हैं कि इनकी जाति हिन्दू जुलाहा है ये कोरी नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि जाति प्रमाण-पत्र में जाति के कालम में कोरी के स्थान पर कोरी लिख दे रहे हैं। जिसके कारण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन होने के उपरान्त भी जाति प्रमाण-पत्र के अभाव में ज्वानिंग व प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। जिससे भ्रान्ति व असमन्जस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जाति प्रमाण-पत्र निर्गत न होने के कारण लाखों अनुसूचित जातियों का भविष्य अंधकारमय है।

इस अत्यन्त लोकमहत्व के विषय पर माननीय सदन में बहस की मांग करता हूँ। लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़े हुए इस विषय के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कि पूरे प्रदेश में स्पष्ट निर्णय दिये जायें ताकि जो व्यक्ति कोरी जाति का जाति प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु आवेदन करता है उनके जाति प्रमाण-पत्र बनाये जायें।]

मथुरा जनपद बल्देव में फ्लाईओवर तथा बाईपास रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद तिवारी-

[मान्यवर, जनपद-मथुरा में मेरे क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत कस्बा राया आता है जो कि नगर पंचायत (टाउन एरिया) भी है इस कस्बा राया से ही होकर जनपद-हाथरस, जनपद-अलीगढ़, जनपद-बरेली, सादाबाद एवं बल्देव को जाना पड़ता है आने जाने के लिये यहीं एक राया से होकर मुख्य सड़क मार्ग है इस राया कस्बे में सड़क के बायीं तरफ रेलवे लाईन है तथा सड़क के दायीं तरफ मार्केट है, जो कि लगभग 1.50 कि0मी0 की लम्बाई में है इस मार्ग पर अत्यधिक वाहन ट्रैफिक बस, ट्रक ट्रैक्टर इसी रोड से आते-जाते हैं अत्यधिक वाहन, पैदल नागरिकों को एवं विद्यालय के छात्र-छात्राओं को इसी मार्ग से आवागमन रहता है इस मार्ग पर अत्यधिक भीड़ के कारण रोजाना दिन हो या रात हो तीन से चार घण्टे तक जाम बना रहता है इसके निदान के लिए सरकार से फ्लाईओवर अथवा बाई-पास रोड निर्माण कराने के लिये जनता में भारी आक्रोश है।

अतः उपरोक्त जनहित व लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से फ्लाईओवर अथवा बाई-पास के निर्माण की अविलम्ब मांग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा के गांव खण्डेहा में शुद्ध पेयजल हेतु टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद सूर्यवंशी-

[महोदय, जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के गांव खण्डेहा के पेयजल समस्या से अवगत कराना है कि खारी पेयजल समस्या से जूझ रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है घर के बहू एवं बेटियों को गांव से बाहर दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है यहां के लोगों में

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काफी आक्रोश है क्योंकि यहां के लोगों के बच्चों की शादी भी बड़ी मुश्किलों से हो पाती है तथा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। अगर यहां शुद्ध पेयजल के लिये कोई टंकी निर्माण करा दी जाये। जनहित में पानी की समस्या से निजात मिलेगी और लोगों का आक्रोश भी समाप्त हो जायेगा।

अतः मैं उपरोक्त अविलम्बनीय प्रकरण पर टंकी का निर्माण कराये जाने की अविलम्ब मांग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

ठाकुर दलवीर सिंह-

[महोदय, मेरे जनपद अलीगढ़ में सेन्ट्रल डेरी फार्म के नाम से सन् 1880 में एक संस्था अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई जिसके पास लगभग 800 एकड़ जमीन थी और यहां मक्खन, घी, पनीर और सुअर का मीट पूरे देश और विदेश तक सप्लाई किया जाता था जिसके लिये ये विश्वविख्यात थे इसी भूमि में से कृषि विज्ञान केन्द्र के लिये भू-खण्ड दिया गया उसके बाद अधिकारियों व सरकार से सांठ-गांठ कर यहां हिन्द एग्रो के नाम से कट्टी घर को काफी बड़ा भू-खण्ड उक्त संस्था को लाभ पहुंचाते हुए उनकी शर्तों के आधार पर दे दिया गया तथा वह सेन्ट्रल डेरी फार्म के निकट स्थापित हो गयी तथा हिन्द एग्रो ने अपने व्यवसायिक उद्देश्य के लिये सेन्ट्रल डेरी फार्म द्वारा बनाये जा रहे सुअर के मीट के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में तरह-तरह की अफवाहें प्रचलित की तथा तत्कालीन अधिकारियों की मिली भगत से सेन्ट्रल डेरी जैसी नामी संस्था को बन्द करा दिया आज की स्थिति में हिन्द एग्रो में निर्धारित संख्या से अधिक मवेशियों का कटान हो रहा है तथा काटे जा रहे पशुओं का कचरा व खून आदि सीधे जमीन में उतारा जा रहा है जिसके कारण क्षेत्र में पीने का पानी दूषित हो रहा है तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं वर्तमान में दुधारू पशुओं को अपनी निर्धारित आयु से पहले ही कटान किया जा रहा है दुधारू पशुओं की कटान के कारण शुद्ध दूध की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम हो रही है।

हिन्द एग्रो को भूमि उपलब्ध कराते हुए राज्य सरकार के साथ अनुबन्ध में लाभांश का हिस्सेदार बनाया गया था परन्तु उक्त संस्थान में आज तक कोई लाभांश राज्य सरकार को नहीं दिया है साथ ही क्षेत्रीय लोगों को रोजगार की बात एवं पशुधन के स्वास्थ्य सुविधाओं एवं विकास तथा प्रदूषण नियंत्रण की बात अनुबन्ध के समय राज्य सरकार से कही थी।

अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त संस्था की निम्न बिन्दुओं पर जांच करायी जाये।

1-लाभांश का लेखा-जोखा।

2-क्षेत्रीय जनता को रोजगार की संख्या।

3-जनपद-अलीगढ़ में पशुधन के स्वास्थ्य एवं विकास के क्रिया-कलापों का अब तक लेखा-जोखा।

4-सेन्ट्रल डेरी फार्म के सेल प्वाइन्ट कनाट प्लेस दिल्ली, हजरतगंज, लखनऊ आदि को सस्ते रेटों पर बेचे जाने की जांच।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

5-प्रदूषण संयंत्रों की जांच एवं कचरा निस्तारण की प्रक्रिया।

6-काटे जा रहे पशुओं की स्वास्थ्य उम्र व संख्या की जांच।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण पर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ में इगलास में पेयजल एवं खारे पानी की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[महोदय, जनपद-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास की पेयजल समस्या से अवगत कराना है कि खारे पेयजल समस्या से जूझ रहे क्षेत्र के लोगों की बहू एवं बेटियों को गांव से बाहर दूर-दूर से पानी की पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती है। खारा पानी होने के कारण लोगों को गम्भीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है खारा पानी होने के कारण चर्म रोग का काफी प्रकोप रहता है। क्षेत्रवासियों को अपने बच्चों के रिश्तों में काफी परेशानियां करनी पड़ती है। खारा पानी के अन्तर्गत ग्राम सूरजा, कारौली, टुण्डा नगला, मररकपुर, देवनगला, बिचपुरी, टमोटिया, चिन्ता का वास, बास सुदामा आदि गांव खारे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों में काफी आक्रोश है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाये तो जनहित में पेयजल समस्या का संकट समाप्त हो जायेगा और जनता को खारे पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी।

अतः उपरोक्त जनहित व लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बरेली कैन्टोन्मेन्ट क्षेत्र की मलिन बस्तियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश अग्रवाल-

[मान्यवर, बरेली उत्तर प्रदेश का नामचीन शहर है। किन्तु खेद है कि 125-बरेली कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कुछ इलाके आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बरेली महानगर क्षेत्र होने के बावजूद यहां की गणेश नगर, शान्ति विहार, गंगा नगर कालोनी, बंशी नगला, अशोक नगर, दामोदरपुरम्, राजीव कालोनी आदि मलिन बस्तियां जहां अधिकांशतः दलित बाल्मीकि आदि निर्धन परिवार रहते हैं तथा पुराना शहर की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियां हरू नगला, आजाद नगर, फाइक इन्क्लेव आदि इलाकों में पेयजल, बिजली, सड़क व जलभराव आदि की समस्यायें हैं। पेयजल और विद्युत का समुचित प्रबन्ध नहीं है। कहीं-कहीं विद्युत आपूर्ति बांस व बल्लियों के सहारे हो रही है जो कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इन इलाकों में सड़कों का भी कोई पुरसाहाल नहीं है। सड़कों के बीच दो-दो, तीन-तीन फिट के गड्ढे हैं जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती हैं साथ ही इन इलाकों में जल निकासी का उपयुक्त प्रबन्ध न होने के कारण जलभराव की भी समस्या निरन्तर बनी रहती है और बरसात के दिनों में स्थिति नरकीय हो जाती है।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः व्यापक लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए 125-बरेली कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र की मलिन बस्तियां-गणेश नगर, शान्ति विहार, गंगा नगर कालोनी, बंशी नगला, अशोक नगर, दामोदरपुरम्, राजीव कालोनी तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियां हरू नगला, आजाद नगर, फाइक इन्क्लेव आदि में सड़क, बिजली, पानी, जल भराव की समस्या तत्काल दूर कराये जाने की मांग करता हूँ।]

गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में नाबालिग लड़की के अपहरण के बावजूद कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद-

[महोदय, अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद-गोरखपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के थाना-चौरी-चौरा के अन्तर्गत ग्राम बेलवा बाबू के निवासी श्री खिरई मौर्या की नाबालिग पुत्री कु0 शोभा उम्र लगभग 13 वर्ष दिनांक 29-06-2012 को सायं लगभग 7.30 बजे शौच के लिए गयी थी, ग्राम सभा मलमलिया के निवासी राकेश पुत्र रामवचन आदि लोगों ने मिलकर कु0 शोभा का अपहरण कर लिया। जिसकी सूचना पुलिस को दी गयी, परन्तु थानाध्यक्ष/स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गयी परन्तु अभी तक अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने एवं दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र बिन्द-

[महोदय, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड-पहाड़ी के अन्तर्गत माधवपुर रोड से वेदौली सम्पर्क मार्ग तक की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं जीर्णक्षीण अवस्था में है। जीर्णक्षीण अवस्था में है एवं उक्त मार्ग पर कई जगह पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। वर्षा के दिनों में उक्त सड़क पर पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। उस सड़क पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन क्षेत्रीय जनता एवं वाहनों का आवागमन होता है। उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आने-जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया, परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण किये जाने की भी मांग करता हूँ।]

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के हरगांव विकास खण्ड एवं बेहटा के मध्य पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र हरगांव के विकास खण्ड-बेहटा तथा विकास खण्ड-हरगांव के मध्य घघरिया नदी निकलती है। इस नदी के दोनों तरफ तकिया सुल्तानपुर तथा सलारपुर, चंदेसुवा, बेलसुवा के मध्य कोई पुल न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को काफी असुविधा व परेशानी उठानी पड़ती है। बाढ़/वर्षा के दिनों में पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। जिससे सलारपुर, चंदेसुवा, बेलसुवा सहित सैकड़ों से अधिक ग्रामीणों को काफी चक्कर लगाकर तहसील लहरपुर अपने कार्यों के लिए आना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय लोगों का काफी समय व धन की बरबादी होती है तथा अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा नदी पार करते समय नदी धारा में बह जाते हैं और लोगों की जान भी चली जाती है।

अतएव इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित के लिए सलारपुर तथा तकिया सुल्तानपुर के मध्य घघरिया नदी पर पुल बनवाये जाने की भी मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नटहौर के प्रतिभावान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाये जाने तथा वेट लिफ्टिंग की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 21 नटहौर जनपद बिजनौर के अन्तर्गत ग्राम गिलारी के खिलाड़ी जसवन्त सिंह पुत्र श्री करने सिंह ने सीनियर चैम्पियनशिप, 2012 नेपालगंज नेपाल से गोल्ड मैडल हासिल किया जिससे हमारे प्रदेश व देश का नाम गर्व से ऊंचा हुआ है। इससे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में देश व प्रदेश का नाम रोशन कर चुका है और इस खिलाड़ी के पिताजी पूर्ण रूप से विकलांग हैं। इस खिलाड़ी को आगे तैयारी करने के लिए वेट लिफ्टिंग सेट तक और न ही कोई कोच की व्यावस्था है। इतने प्रतिभावान खिलाड़ी को सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन एवं सहयोग न दिये जाने से प्रतिभावान खिलाड़ियों का मनोबल गिर रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं जनक्रोध व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाये जाने एवं वेट लिफ्टिंग सेट की सुविधा दिये जाने की मांग करता हूँ।]

राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयों का भुगतान किये जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री0 गजेन्द्र सिंह-

[महोदय, मैं सदन और सरकार का ध्यान राज्य कर्मियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/अपर निदेशक, चिकित्सा उपचार एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के स्तर पर बरती जा रही लापरवाही और विलम्ब की

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। राज्य कर्मियों द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों में उपचार के उपरान्त व्यय की गयी धनराशि की नियमानुसार प्रतिपूर्ति के हजारों दावों अधिकारियों की संवेदनहीनता व उदासीनता तथा उनके कार्यालयों की दूषित कार्य-प्रणाली के कारण समय से निस्तारित नहीं किये जा रहे हैं। यहां तक की हृदय रोग, गुर्दा रोग व कैंसर जैसी गम्भीर तथा व्ययसाध्य बीमारियों से ग्रस्त राज्य कर्मियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के कई माह पूर्व प्रेषित आवेदन-पत्र भी इन कार्यालयों में लम्बित पड़े हुए हैं जिससे रोगी राज्य कर्मियों को गम्भीर आर्थिक संकट के साथ ही मानसिक यंत्रणा का सामना भी करना पड़ रहा है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से राज्य कर्मचारियों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक है। अतः लोकमहत्व एवं जनहित के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए तत्काल राज्य कर्मियों के लम्बित दावों का निस्तारण कराये जाने तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

गोरखपुर में स्थापित यूनितों द्वारा सी0एस0आर0 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह-

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना विगत 25 वर्ष पूर्व हुई थी। गीडा में स्थापित यूनितों द्वारा पर्यावरण संरक्षण मजदूरी नियम एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है जिससे वहां के जन जीवन में बहुत ही नुकसान हो रहा है जिसके कारण एक आक्रोश की भावना ग्रामीण क्षेत्रों में हो गयी है ये कभी भी उग्र रूप ले सकती है। सरकार से आग्रह है कि सी0एस0आर0 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करायी जाय एवं उसका अनुपालन न करने वाले यूनितों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय जिससे कि जन आक्रोश को शान्त किया जा सके एवं बाल मजदूरी रोकने हेतु पर्यावरण के संरक्षण में विकास हो सके। इसी के साथ ही इतने सालों से लम्बित कॉमन ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (टोस एवं तरल पदार्थ के प्रदूषण) की स्थापना गीडा गोरखपुर द्वारा यथाशीघ्र लगाये जाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें। लोक हित का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे वहां की नदियों एवं लगभग 50 गांव को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं।]

आगरा ग्रामीण क्षेत्र के कतिपय सड़कों का लेपन एवं निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन सुमन-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-आगरा, 90 आगरा ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत निम्न सड़कें जगनेर रोड, अजीजपुर से सौहल्ला रेलवे फाटक तक, जगनेर रोड, अजीजपुर से टपरा नैनाना ब्रह्मण ग्वालियर रोड तक, कहरई रोड से कौलक्खा नगलाकली देवरी रोड तक, भोले बाबा डेयरी समसाबाद रोड से रजरई नौवरी, सैमरी, देवरी रोड तक कौलक्खा पुलिया से पचगाई खेड़ा नहर की माइनर रोहता नहर तक, नौमील से जगनेर रोड से खालखलौआ बरारा तक, नेशनल हाई-वे रोड से अरतौनी बस्ती तक, फतेहपुर सीकरी से बाबू बिहार सुचेत बस्ती तक, नगला परमाल नहर की पटरी नगला कारे तक,

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फतेहाबाद रोड बमरौली कटारा से नगला गाड़े परिक्रमा मार्ग आदि सड़क क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन बाधित है। आये दिन अनेक सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों में काफी जनक्रोध है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का लेपन कार्य एवं निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

**कानपुर महानगर में बसे गांधी ग्राम क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सतीश महाना-

[महोदय, लगभग 60 वर्ष पूर्व महाराजपुर विधान सभा अन्तर्गत कानपुर महानगर में बसे गांधी ग्राम क्षेत्र में न तो आज तक किसी प्रकार की अवस्थापना सुविधायें हैं और न ही इस ओर कोई ध्यान दिया गया। यहां के निवासी शुरू से ही सभी प्रकार के कर चाहें वह स्थानीय निकायों से सम्बन्धित हों, जल संस्थान से सम्बन्धित हो अथवा अन्य किसी भी विभाग से सम्बन्धित हो, देते चले आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कम से कम इस गांधी ग्राम क्षेत्र में सड़कों एवं नालियों का निर्माण होना जनहित में आवश्यक है जिससे यहां पर लोगों को आने-जाने की सुविधा हो सके। इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 50 हजार से अधिक लोग नारकीय जीवन में रहने के लिए विवश न हों।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

**जनपद महोबा में जल निगम की निर्माण शाखा एवं वन विभाग द्वारा चैकडेमों में हो रही
अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

[महोदय, अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र एवं जनपद-महोबा में जल निगम की निर्माण शाखा सी0 एण्ड डी0एस0 एवं वन विभाग द्वारा चैकडेमों का निर्माण पूर्व में किया गया है। जिसमें अनेक अनियमिततायें कर गलत टेण्डर प्रक्रिया अपना कर चहेतों को ठेके देकर भारी भ्रष्टाचार किया गया है। जिसके कारण सभी कार्य अत्यन्त घटिया स्तर के मानकों के विपरीत किये गये हैं।

इसी प्रकार अभी वर्तमान में भी दोनों ही विभागों द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया अपना कर पुनः चहेते ठेकेदारों द्वारा भारी भ्रष्टाचार करते हुए चैकडेमों के निर्माण हेतु ठेके गलत प्रक्रिया अपनाकर दिये गये हैं। जिसमें स्थानों का चयन भी पूर्णतः गलत किया गया है तथा जो निर्माण जल निगम की सी0 एण्ड डी0एस0 निर्माण इकाई एवं वन विभाग द्वारा चैकडेमों का निर्माण कराया जा रहा है। वह अत्यन्त ही घटिया किस्म की सामग्री द्वारा कराया जा रहा है, जो कभी भी पानी के दबाव में ढह सकता है। वन विभाग में चैकडेम निर्माण के अलावा अन्य कार्यों जैसे पूर्व में किये गये वृक्षारोपण एवं ट्री गार्ड लगाने में भी बड़ा भारी घोटाला एवं भ्रष्टाचार हुआ है। उदाहरण के तौर पर ग्राम-शाहपहाड़ी चुरबुरा रोड पर लगाये गये ट्री गार्ड की हालत देखी जा सकती है तथा वृक्षारोपण का कार्य भी वहीं पर भी देखा जा सकता है हर जगह अनेक बड़ी कमियां मिलेगी।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जल निगम की निर्माण शाखा सी0 एण्ड डी0एस0 एवं वन विभाग द्वारा चैकडेमों के सम्पूर्ण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराकर बेईमान अधिकारियों/ठेकेदारों पर दण्डात्मक कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर में ग्राम रण्डोल में पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना
श्री महावीर सिंह राणा-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेहट संख्या-01 जनपद-सहारनपुर में एक मात्र शाकम्बरी शुगर मिल है। मेरे क्षेत्र में गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है। मेरे इस क्षेत्र के ग्राम रण्डोल से टोडरपुर मार्ग के बीच से मसखरा नदी बहती है जिस पर कोई पुल नहीं है जिससे क्षेत्र के किसानों को चीनी मिल में गन्ना ले जाने में लगभग 25 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है। इस पुल का प्राक्कलन तैयार होकर शासन में भेज दिया गया है परन्तु अभी शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में लोक निर्माण विभाग से बनगवां नानकर नहर के पुल का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मान्यवर, उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दो महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनका निर्माण कार्य कराया जाना व्यापक जनहित में आवश्यक है। इन सम्पर्क मार्गों के निर्माण हो जाने से कई गांव सम्पर्क मार्गों से जुड़ जायेंगे। इस सम्पर्क मार्ग पर शून्य से लेपन स्तर तक का कार्य होना है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जनहित में उपरोक्त दोनों सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य शून्य से लेपन स्तर तक कराये जाने की कृपा करें।]

मथुरा शहर में वृन्दावन छटीकरा राधाकुण्ड मार्ग पर बनने वाला ओवर ब्रिज का कार्य अत्यन्त धीमी गति से होने एवं गोविन्द नगर में फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[महोदय, मथुरा शहर में वृन्दावन-छटीकरा-राधाकुण्ड मार्ग पर राजकीय सेतु निगम, उ0प्र0 द्वारा रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य पिछले 5-6 वर्षों से कुछ आ गति से चल रहा है, जिसके कारण हजारों यात्रियों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण बचा हुआ रास्ता भी अत्यन्त ही भयावह स्थिति में क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों, तीर्थयात्रियों को अत्यन्त परेशानी हो रही है। अतः इस रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से श्री कृष्ण जन्म स्थान जाने वाले मार्ग पर रेलवे का फाटक बंद होने पर देश विदेश से आये हजारों श्रद्धालु, तीर्थ यात्रियों एवं स्थानीय नागरिकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फाटक बन्द होने पर यात्रियों को एक बार में 5 से 6 घण्टे तक फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ता है। यह रेलवे लाइन दिल्ली-मुम्बई-कोलकाता जाने वाले मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित है। अतः शीघ्र ही कार्यवाही कर गोविन्द नगर रेलवे फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज बनवाया जाय। यह स्वीकृत हो चुका है।

मथुरा से अलीगढ़ जाने वाले इस मार्ग पर वर्षों पुराना पुल अत्यन्त ही जर्जर और दयनीय अवस्था में है। इसकी स्थिति अत्यन्त ही भयावह है, यह पुल कभी भी धाराशायी हो सकता है। इस पुल के धाराशायी होने से हजारों लोगों की जान-माल की चिन्ता निरन्तर बनी रहती है, क्योंकि इस पुल पर आवागमन में ट्रक, बस, ट्रैक्टर, टैम्पो, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं साइकिल तथा पैदल जाने वाले यात्रियों की संख्या हजारों में है। यह भी अत्यन्त व्यस्ततम मार्ग है। अतः शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग द्वारा इस पुल का (मथुरा-अलीगढ़ मार्ग पर पुल) सुदृढीकरण करवाया जाय।

मथुरा-अलीगढ़ मार्ग पर आवागमन भारी मात्रा में होता है। प्रतिदिन जाम होने की स्थिति में 6-7 घण्टे तक हजारों लोगों को जाम खुलने का इंतजार करना पड़ता है। चूंकि यह पुल जर्जर अवस्था में है, इसलिए इसका सुदृढीकरण अत्यन्त आवश्यक है, जोकि शीघ्र कराया जाना चाहिए। परन्तु इसके समानान्तर एक नये पुल का निर्माण किया जाना नितान्त ही आवश्यक हो गया है। अतः इस संदर्भ में सम्बन्धित विभाग द्वारा उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम को शीघ्र ही धनराशि अवमुक्त करके मथुरा-अलीगढ़ मार्ग पर समानान्तर नये पुल का निर्माण जनहित में कराया जाय।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र कोरांव में किसानों को सिंचाई हेतु लिफ्ट कैनल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र 265, कोरांव जो अधिकांश भाग पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। वहां पर सिंचाई की व्यवस्था मात्र बेलन नहर प्रखण्ड ही सहारा है। उसके अलावा सिंचाई की कोई अन्य व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश किसान प्रकृति यानि बरसात पर ही निर्भर है। जिससे किसानों को सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है मेरे विधान सभा क्षेत्र में बेलन नदी एवं टौस नदी स्थित है। यदि बेलन नदी में ग्राम सिरावल/केडवर तथा टौस नदी में ग्राम शाहपुर कला/इसौटा के सामने लिफ्ट की परियोजना लगा दी जाय तो किसानों को सिंचाई की काफी सुविधा हो सकती है। कई बार के प्रयास के बावजूद लिफ्ट की परियोजना नहीं लगाई जा रही है जिससे उक्त पहाड़ी क्षेत्र के किसानों तथा क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं जनक्रोध व्याप्त है।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त दोनों नदियों में लिफ्ट की परियोजना लगाये जाने की मांग करता हूँ।]

निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलम बदी-

[श्रीमान्, मैं आप द्वारा लोक निर्माण विभाग मंत्री की सेवा में निर्वाचन क्षेत्र 348 निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में क्षतिग्रस्त मार्गों की सूची प्रेषित कर रहा हूँ। जनहित में इन मार्गों का विशेष मरम्मत अति आवश्यक है।

आपसे आशा करता हूँ कि इसे अतिशीघ्र स्वीकृत कराने का कष्ट करें। इसके लिए मैं और मेरे क्षेत्र की जनता आभारी होंगे।

विधान सभा 348 निजामाबाद के अन्तर्गत विशेष मरम्मत हेतु मार्गों की सूची।

1-कोइनहा से ओरा सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 2 कि0मी0।

2-नेवादा से बनकट लम्बाई 2.5 कि0मी0।

3-कप्तानगंज, तहवरपुर, मोहम्मदपुर मार्ग कि0मी0-1 से 4 कुल लम्बाई 4 कि0मी0।

4-कप्तानगंज कोइनहा सम्पर्क मार्ग कि0मी0-1 से 6 कुल लम्बाई 6 कि0मी0।

5-संजरपुर, मोहनपुर कि0मी0 4, 5 कुल लम्बाई 2 कि0मी0।]

बागपत में यातायात की सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती हेमलता चौधरी-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान नवगठित जनपद बागपत में यातायात सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में आकृष्ट कराना चाहती हूँ। बागपत शहर में कोई राजकीय बस स्टेशन न होने के कारण शहर को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बसों की संख्या पर्याप्त न होने से बागपत से बाहर जाने वाले यात्रियों व आम जनता को अत्यधिक परेशानी है। इससे बागपत शहर में आम जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बागपत नगर (जिला मुख्यालय) में एक राजकीय बस स्टेशन की स्थापना व समुचित संख्या में यात्री बसों की व्यवस्था किये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद इलाहाबाद में राजरूपपुर मोहल्ले की चकिया राजरूपपुर मार्ग पर दुर्गा मन्दिर के बगल की सड़क पर पाइप लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती पूजा पाल-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि जनपद इलाहाबाद में मेरे विधान सभा शहर पश्चिमी क्षेत्र के राजरूपपुर मुहल्ले की मुख्य सड़क चकिया राजरूपपुर मार्ग पर स्थित दुर्गा मन्दिर के बगल की सड़क जो लगभग 100 मीटर है जिस पर 10-15 घर प्रजापति समाज के हैं, पर

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभी तक पानी की पाइप लाइन नहीं डाली गई है, वहां के निवासी कई वर्षों से मुख्य सड़क से पानी के कनेक्शन लिये हैं जिससे पीने के पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है तथा इसी सड़क पर खड़न्जा व नाली की स्थिति भी दयनीय है जिससे बरसात में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है जबकि इसी सड़क के अगल-बगल की सड़कें जो मुख्य मार्ग से जुड़ी हैं वहां की सड़कें सीमेन्टेड हैं एवं पानी की पाइप लाइनें भी पड़ी हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत उक्त सड़क पर पानी की पाइप लाइन बिछवाने एवं नाली-सड़क के निर्माण सम्बन्धी लोक महत्व की इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्बन्धित कार्य को अविलम्ब कराये जाने की मांग करती हूँ।]

**लखनऊ के पकरी ग्राम में नहर पर उपरिगामी पुल बनाये जाने एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री शारदा प्रताप शुक्ल-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। ग्राम पकरी, आलमबाग, लखनऊ का पुल जिसे अंग्रेजों द्वारा 86 वर्ष पूर्व बनाया गया था। पकरी ग्राम नहर के निकाले जाने पर पकरी ग्राम दो भागों में विभाजित हो गया था नहर के बाईं तरफ मुख्य ग्राम तथा नहर के दाईं ओर पकरी खेड़ा ग्राम विभाजित हो गया था। चूंकि गांव दो भागों में विभाजित हो रहा था जिससे किसानों की जमीन नहर के दायीं तरफ बहुतायत थी और किसानों को अपने कृषि कार्य करने के लिए कोई रास्ता न होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने पकरी के पुल का निर्माण कराया था जिसे बहुजन समाज पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने तोड़ दिया है। जिससे आलमबाग गीतापल्ली कैंट विधान सभा क्षेत्र तथा सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के आशियाना एवं एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड के निवासियों का आवागमन बाधित हो गया। गीतापल्ली आदि मोहल्लों में जाने के लिए आशियाना के लोग अवध नर्सिंग होम चौराहे से या बंगला बाजार पुल से आठ-आठ किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाते हैं इसके पीछे मायावती सरकार का साफ भेदभाव झलकता है क्योंकि डा0 राममनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय तथा लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय एल0डी0ए0 कालोनी के बरगवां ग्राम में स्थित है तथा सी0एम0एस0 स्कूल और अन्य तमाम विद्यालय जहां छोटे बच्चों का आवागमन वही लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों का आना जाना शामिल है इसलिए पकरी के पुल का बनाया जाना नितान्त आवश्यक है यदि यह संभव न हो तो उपरगामी सेतु बना दिया जाय जिससे वहां के निवासियों को आवागमन की सुविधा मिल सके।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

**विधायक निवास बी-ब्लाक पुराने में धोबी/दर्जी द्वारा पानी बिजली की बर्बादी किये जाने के सम्बन्ध में
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री उदयभान करवरिया-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि विधायक निवास बी ब्लाक पुराना में बने हुए गैराज जिनमें धोबी और दर्जी तथा कपड़ा प्रेस करने वाले

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रह रहे हैं जो बिजली और पानी की बर्बादी मनमाने तरीके से करते हैं। नालियों में धुले हुए पकड़ों का गन्दा पानी भरा रहता है जिसमें मच्छरों का प्रकोप बना रहता है। जिससे गम्भीर वीमारी फैलने का डर बना रहता है। छतों पर बनी हुई टैंकियों में माननीय सदस्यों के लिए आवश्यकता पड़ने पर नहाने धोने के लिए पानी भरा जाता है। परन्तु कपड़े धोने वाले गैराजों के धोवियों द्वारा उसे भी बर्बाद किया जाता है। जिससे पानी की कभी-कभी ट्यूबवेल खराब होने पर भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में बिजली की गम्भीर समस्या बनी हुई है। ऐसे में इन गैराजों में बर्बाद हो रही बिजली और पानी को रोका जाना नितान्त आवश्यक है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी माननीय सदस्य गैराजों में गाड़ियां नहीं खड़ी करते हैं। गाड़ियां पाकों में खड़ी होती हैं जिनमें गेट लगे हुए हैं। मा0 सदस्य गैराजों में गाड़ियां खड़ी करें। धोवी और दर्जियों को तत्काल हटाए। जिससे बिजली और पानी की बचत हो सके। अन्यथा गैराजों में कामर्शियल बिजली कनेक्शन दिये जायें और पानी के बिल का मीटर लगाया जाए।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए प्रदेश हित में बिजली एवं पानी की बचत करने के लिए तत्काल कार्यवाही किये जाने एवं सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर की नहरों को पानी देने वाली मुख्य नहरों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[महोदय, उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि जनपद आगरा के अन्तर्गत एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र में आने वाली नहरें हाथरस, फिरोजाबाद एवं निचली मांट शाखा से संचालित होती हैं। सिंचाई खण्ड हाथरस शाखा के सहपऊ रजवाह एवं पैसई, उस्मानपुर, आंवलखेड़ा, नगला बेल, एत्मादपुर, अहारन एवं हेमराजपुर माइनर तथा फिरोजाबाद शाखा से मुरथर माइनर एवं निचली मांट शाखा मथुरा से कुरसण्डा, धगैटा तथा खंदौली रजवाह से एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र को सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति की जाती थी। खंदौली विकास खण्ड 'डार्क' घोषित हो जाने के कारण किसानों के सामने सिंचाई के एक मात्र विकल्प नहरें ही हैं। खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए मांट फीडर, समान्तर हाथरस, समान्तर मांट से एत्मादपुर की नहरों को अतिरिक्त पानी दिया जाता था लेकिन इन नहरों की सफाई पिछले कई वर्षों से नहीं हुई है इसके कारण अपनी क्षमता के अनुसार पानी नहीं ले पा रही है। नहरों में पानी न आने के कारण एत्मादपुर का किसान सिंचाई के लिए मोहताज हो चुका है, फसलें सूख रही हैं। इन नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाये जाने हेतु इनकी सफाई की अति आवश्यकता है। अतः समान्तर हाथरस, समान्तर मांट एवं मांट फीडर की सफाई की तुरन्त व्यवस्था कराने की आवश्यकता है।

लोकमहत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद बागपत के ग्राम छपरौली की सड़क पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री वीरपाल राठी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व की एक सूचना की ओर दिलाना चाहता हूँ।

मेरी विधान सभा क्षेत्र छपरौली की ग्राम भडल व ग्राम किरठल में क्रमशः लोक निर्माण विभाग के रास्ते।

1-बड़ौत बुढ़ाना मार्ग।

2-रमाला टान्डा मार्ग।

उक्त दोनों मार्गों पर ग्राम भडल व ग्राम किरठल में सड़क पर पुलिया बनी है जो अन्दर से टूटकर गांव के पानी का बहाव रुक गया है। जिस कारण पानी अन्दर घरों में घुस गया है व गन्दगी पैदा हो गयी है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। गांव में मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी पैदा हो गई है। गांव के कूड़े करकट से गांव का नाला रुक गया है।

अतः मैं आपसे उक्त विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए नाले की सिल्ट सफाई व पुलिया दोनों गांवों में बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बांदा के नरैनी कस्बे में भू-माफियाओं ने हरे-भरे खेत दर्शाकर एक दबंग को भूमि का अवैध कब्जा करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[महोदय, जनपद बांदा के नरैनी कस्बे में सत्तर वर्षों से बसे शास्त्री नगर को वर्ष 2008 में भू-माफियाओं ने हरे भरे खेत दर्शाकर एक दबंग को रजिस्ट्री कर वहां बसे लोगों को बेदखल करने का प्रयास किया गया। इस रजिस्ट्री के विरोध में लोगों ने अनशन किया। प्रशासन इस मामले में छानबीन करके आजादी मिलने के पूर्व से बसे इन लोगों को न्याय देने का कार्य करने की बजाय इन्हें प्रताड़ित करने का कार्य कर रहा है, जिसका प्रमाण नोटिस है। जिस व्यक्ति ने आबादी को खेत बनाकर रजिस्ट्री करायी, उस पर प्रशासन ने लगभग पचासी लाख रु0 की स्टाम्प ड्यूटी की कमी की रिकवरी जारी कर दी है, प्रशासन को खरीद ढूँढे नहीं मिल रहा तो नरैनी के राजस्व अधिकारियों ने सत्तर वर्षों से इन लोगों के घरों में पचासी लाख रु0 की वसूली की नोटिस चस्पा कर दी है, जिससे यहां रहने वालों में हड़कम्प मचा है। यहां पर यह उल्लेखनीय बात है कि नरैनी के पूर्व जागीरदार हरवंश प्रसाद जी ने लिखित करार लिखकर सत्तर वर्ष पूर्व लोगों को बसाया था, लगभग पचास मकान बने हैं, जो टाउन एरिया में दर्ज हैं। गृहकर अदा कर रहे हैं, बिजली का कनेक्शन लिए हैं। टाउन एरिया के चेयरमैन द्वारा प्रशासन को लिखित अवगत कराया जा चुका है कि गाटा सं0-823 में आबादी बसी है और टाउन एरिया में दर्ज है। तकनीकी गड़बड़ी यह है कि राजस्व अभिलेखों में शास्त्री नगर की आबादी दर्ज नहीं है, इसी के चलते जब क्षेत्र में सूखा पड़ा तो राजस्व विभाग ने बिना जांच पड़ताल

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किये सूखा राहत का चेक काट दिया। इस मामले में शास्त्री नगर का स्थलीय निरीक्षण कर राजस्व अभिलेखों में आबादी दर्ज की जानी चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

**जनपद हरदोई की पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। थाना कासिमपुर जनपद हरदोई अन्तर्गत ग्राम पिंजरावा निवासी गंगा प्रसाद पुत्र स्व0 श्री शिवराम की आबादी की जमीन पर शोरेपुशती के बल पर सूबेदार पुत्र स्व0 गजोधर निवासी ग्राम पिंजरावा थाना कासिमपुर द्वारा बढ़ाकर निर्माण कार्य करा रहे हैं। दिनांक 30-6-2012 को गंगा प्रसाद घर से बाहर गये हुए थे उनकी पत्नी ने जब विरोध किया तो सूबेदार व उसकी पत्नी ने सुमित्रा देवी पत्नी श्री गंगा प्रसाद को मारा-पीटा तथा गन्दी-गन्दी गालियां दी तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए बेइज्जती भी की। उक्त आशय की सूचना सुमित्रा देवी द्वारा दिनांक 30-6-2012 को ही थाना कासिमपुर को दी थी परन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण उपरोक्त सूबेदार का मनोबल बढ़ गया है और सुमिता देवी व उनके पति को जान-माल की धमकी दे रहा है। सूबेदार प्रभावशाली, दवंग व पैसा वाला व्यक्ति है जो कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकता है। यह एक गम्भीर विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल दोषी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

**विधान सभा क्षेत्र बल्थरा जनपद बलिया में दो हार्स पावर का विद्युत मोटर कनेक्शन दिये जाने के
सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री गोरख पासवान-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्थरा रोड एवं पूरे बलिया जनपद में दो हार्स पावर विद्युत मोटर पम्पसेट से कृषि कार्य हेतु कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। जबकि दो हार्स पावर का कनेक्शन कामर्शियल के लिए दिया जा रहा है। जबकि इस जनपद से सटे जनपद-गाजीपुर, मऊ इत्यादि जिलों में कृषि कार्य हेतु दो हार्स पावर मोटर पम्पसेट का कनेक्शन कृषि कार्य हेतु दिया जा रहा है। जिले के सम्बन्धित अधिकारियों से वार्ता करने पर कहते हैं कि कोई शासनादेश नहीं है। जनपद बलिया में अधिकांश छोटे एवं अत्यन्त निर्धन किसान हैं, जिनका मुख्य पेशा कृषि है। यदि दो हार्स पावर का विद्युत मोटर कनेक्शन कृषि कार्य हेतु दे दिया जाता है तो कृषकों को सुविधानुसार सिंचाई की समस्या का समाधान हो जाता। यह जनहित का विषय है।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में दो हार्स पावर विद्युत कनेक्शन कृषि कार्य हेतु दिये जाने की मांग करता हूं।]

सहारनपुर के विकास खण्ड सरसावां के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्म सिंह सैनी-

[महोदय, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-सहारनपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के विकास खण्ड सरसावा के अन्तर्गत ग्राम-ढिक्का टपरी में विद्युतीकरण हेतु ग्राम में विद्युत खम्भे, विद्युत तार आदि सामान पहुंच गया है और उक्त गांव का विद्युतीकरण किये जाने हेतु शासन द्वारा धनराशि भी भेजी जा चुकी है, परन्तु उपरोक्त सभी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है। गांव का विद्युतीकरण न होने से ग्रामवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों/समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता ग्रामवासियों द्वारा ग्राम का विद्युतीकरण किये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक उक्त गांव का विद्युतीकरण नहीं हो रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

निर्वाचन क्षेत्र सैय्यदराजा ब्लाक धानापुर में स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र सैय्यदराजा की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, पूर्व ब0स0पा0 सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने में प्रदेश के युवा वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। इस युवा वर्ग ने ही आज समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से प्रदेश की सत्ता में लायी है। यह युवा वर्ग प्रदेश सरकार से कुछ उम्मीदें भी रखता है। यह युवा वर्ग आज खेल विभाग के माध्यम से कुछ उम्मीदें भी रखता है और आगे बढ़ना चाहता है।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सैय्यदराजा के अन्तर्गत आने वाला धानापुर ब्लाक जिसकी आबादी पच्चीस हजार से ऊपर है यह पूरे जिले की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। यहां एक भी स्टेडियम नहीं है जिससे युवा वर्ग काफी आक्रोशित है।

अतः जनहित के उक्त गम्भीर विषय पर मैं सदन के माध्यम से ब्लाक धानापुर में एक स्टेडियम बनाये जाने की मांग करता हूं।]

निर्वाचन क्षेत्र फतेहाबाद में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल वर्मा-

महोदय, अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 93, फतेहाबाद आगरा में ग्रामीण मार्ग काफी क्षतिग्रस्त है जिससे जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयां हो रही हैं। जैसे समसाबाद राजखेड़ा मार्ग से मझहरा निबोहरा मार्ग आगरा ग्वालियर मार्ग से कुर्रा चित्तपुर दैवरी इरदतनगर मार्ग

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तक फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग व आगरा फतेहाबाद मार्ग से इधौन मार्ग, आगरा फतेहाबाद मार्ग से बाबा मुंशी दास मार्ग में मेवली खुर्द से यमुना नदी तक मार्ग फतेहाबाद पथर कूट मार्ग, आगरा फतेहाबाद मार्ग से कौलारा कला चितौरा शमसाबाद मार्ग, शमसाबाद राजाखेड़ा मार्ग से हिमाउपुर पलदुआपुरा खलकाकी मड़इया मार्ग, फतेहाबाद मार्ग से तासपुरा शमसाबाद रोड तक फतेहाबाद मार्ग से शिकरारा वरीपुरा मार्ग, मजारा मार्ग से रोहई खास मार्ग, शमसाबाद मार्ग से हीरापुर, नगरिया, चमरौली, बिलइपुरा मार्ग तक आदि मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों में काफी जनक्रोश व्याप्त है।

अतः महोदय इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्गों का मरम्मत कर लेपन कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के गोमतीनगर में श्रीमती हेमलता गोपलानी द्वारा मीनाक्षी को भौतिक कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-लखनऊ के गोमती नगर भू-खण्ड संख्या-2/324, विजय खण्ड, गोमती नगर, श्रीमती मिथिलेश श्रीवास्तव को आवंटित था, दिनांक 31-3-2006 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इनके पक्ष रजिस्ट्री कर दी परन्तु इन्होंने एल0डी0ए0 से और न डिवीजन से और न ही साइड पर कब्जा प्राप्त किया था। जिसे इन्होंने श्रीमती हेमलता गोपलानी एवं श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल को विक्रय कर दिया जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 5-4-2006 को हुई और दिनांक 27-7-2006 को दाखिल खारिज हुई। दिनांक 31-7-2006 को डिवीजन द्वारा कब्जा जारी कर दिया गया। उक्त लोगों को मौके पर कब्जा दिलाने हेतु तत्कालीन जे0ई0 मिश्रा जी द्वारा जमीन नपवाने के लिए भू-खण्ड पर बुलाया गया लेकिन भूमि की पैमाइश होने से पहले ही गांव वाले आ गये और यह कहकर कि यह भूमि गांव जाने का रास्ता है गांवों वालों ने जे0ई0 एवं अन्य लोगों को मौके पर से भगा दिया। बाद में विभाग द्वारा कहा गया कि भौतिक कब्जा डाक द्वारा भेज दिया गया है जबकि विभाग द्वारा भौतिक कब्जा मौके स्थल पर जाकर दिया जाता है लेकिन अभी तक विभाग द्वारा श्रीमती हेमलता गोपलानी एवं श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल को भौतिक कब्जा नहीं दिया गया है। उक्त प्रकरण में कई बार पत्राचार एवं अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से प्रार्थीगणों में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में प्रार्थीगणों को उपरोक्त भू-खण्ड संख्या-2/324, विजय खण्ड, गोमती नगर का भौतिक कब्जा दिलाने या उक्त विवादित भू-खण्ड कहीं गोमती नगर योजना समायोजित किये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद पंचशीलनगर के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे की भूमि पर माफियों द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री मदन चौहान-

[महोदय, गढ़मुक्तेश्वर में पवित्र गंगा किनारे हजारों एकड़ भूमि का सिजरा उपलब्ध न होने से भू-माफियों ने बड़ी-बड़ी कृषि भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तथा साठ-गांठ करके पत्रावली व रिकार्ड, नक्शे गायब करा दिये थे जिससे गरीब आदमी का उत्पीड़न कर जमीन पर कब्जा तथा क्रय विक्रय का कार्य अनाधिकृत तरीके से चल रहा है साथ-साथ जे0 पी0 नगर की सीमा से लगे होने से दो जनपदों का विवाद चलता रहता है। यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण व अविलम्बनीय है। कृपया इन सभी भूमि का सिजरा, नक्शा उपलब्ध कराकर बन्दोबस्त कराने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।]

**जनपद कुशीनगर के खड्डा विकास खण्ड में साइफन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री विजय कुमार दुबे-

महोदय, [जनपद-कुशीनगर के अन्तर्गत खड्डा विकास खण्ड के ग्राम-सांरग छपरा, सहिरीना के पश्चिम और ग्राम-सोनबरसा के उत्तर के क्षेत्र का हजारों एकड़ खेत का वह भू-भाग है जो जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण वर्ष के (सात) 7 माह जलमग्न रहते हैं जिससे किसान अपनी खेती नहीं कर पाते, कारण कई हैं, प्रथम तो उक्त क्षेत्र सिंचाई खण्ड प्रथम महाराजगंज जनपद के अधीन है, द्वितीय समस्या जलमग्न भू-भाग से जल निकासी हेतु पहले रेल लाइन के नीचे स्थित पुराना साइफन था, जो अब दशकों से बन्द पड़ा है। बन्द पड़े साइफन को पुनः चालू कर जल निकासी की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

इसी तरह खड्डा विकास खण्ड के ग्राम नौतार से ग्राम-माधी-भगवानपुर बन्धे पर एक साइफन न होने के कारण बन्धे से पश्चिम के हजारों एकड़ खेत वर्ष के (छः) 6 माह पानी में डूबे रहते हैं, किसान अपनी खेती पूरे साल नहीं कर पाते, बन्धे पर एक साइफन निर्माण से हजारों एकड़ भूमि पूरे साल खेती योग्य हो जायेगी। नौतार से माधी भगवानपुर के बन्धे के बीच में एक साइफन निर्माण किसान हित में नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अवलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ में जर्जर विद्युत तारों के बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संत प्रसाद-

महोदय, [संज्ञान में लाना है कि जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के नगर पंचायत अमेठी के मोहल्ला मुंशीगंज में लगभग 30 वर्षों से पुराने जर्जर विद्युत तारों से क्षेत्र में विद्युत की सप्लाई हो रही है। विद्युत तार काफी पुराने हो जाने के कारण आये दिन टूट कर गिर रहे हैं,

नोट :-[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसके कारण क्षेत्र में हमेशा विद्युत बाधित रहती है और वहां पर कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है। क्षेत्रीय जनता ने कई बार पुराने जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने हेतु उच्च अधिकारियों से अनुरोध भी किया है परन्तु अभी तक शासन द्वारा उक्त प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग के साथ-साथ उपरोक्त जर्जर विद्युत तारों को यथाशीघ्र बदल कर ए0वी0सी0 विद्युत तारों को लगाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत में राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न संकाय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय,

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत एकमात्र राजकीय महाविद्यालय बीसलपुर राजकीय शिक्षा से वंचित है। प्रारम्भ से अब तक लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी वाणिज्य संकाय, व्यवसायिक संकाय, विधि संकाय एवं तकनीकी संकाय जैसी उच्च शिक्षा से जनपद पीलीभीत उपेक्षित है। महाविद्यालय परिसर में पर्याप्त भवन एवं चहारदीवार का न होना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही साथ ही साथ सृजित पदों के अनुरूप प्राध्यापक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की नियुक्ति न होना भी उपेक्षा का द्योतक है। जनपद पीलीभीत में 12वीं कक्षा के 21 हजार 990 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं जबकि राजकीय एवं निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष के मात्र 3 हजार 630 स्थान हैं। जिससे स्पष्ट हो रहा है कि जनपद पीलीभीत में उच्च शिक्षा की उपेक्षा है तथा संवैधानिक व्यवस्था (अनुच्छेद-46) के अनुसार शिक्षा के मौलिक अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का भी सर्वथा अवज्ञा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर मांग करता हूँ कि उच्च शिक्षा में उपयुक्त व्यवस्था उपरोक्तानुसार कराने की कृपा की जाय।]

जनपद सहारनपुर के कतिपय ग्रामों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[महोदय,

जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत आने वाले गांव मछरौली, कम्हेड़ा, सनौली, कलसी, भनेड़ा, ठसका, बाड़ी माजरा, रादौर, लण्डौरा एवं लखनौती ग्रामों में हैण्ड पम्पों का पानी दूषित होने के कारण पीने योग्य नहीं है इसलिये इन गांवों में पानी की टंकियां बनाये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर में बाल विकास पुष्ठाहार विभाग में किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अतिलोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जनपद गाजीपुर में बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार विभाग द्वारा संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सरकार द्वारा चलायी जा रही समस्त योजनाओं में व्यापक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी कार्यक्रम अधिकारियों की पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बच्चों को मिलने वाला पौष्टिक आहार एवं खाद्यान्न सामग्री बच्चों को न बांटकर खुले आम बाजार में बेच दिया जाता है ऐसी स्थिति में जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं उनके साथ घोर अनियमितता एवं अन्याय व उत्पीड़न किया जा रहा है। यह बहुत गम्भीर प्रकरण है और लोक महत्व का प्रश्न है। जनहित से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये सम्पूर्ण प्रकरण जांच कराते हुये उक्त भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

अम्बेडकर नगर में खजुरी बाजार, हचपुरा बाजार व मालीपुर आदि बाजारों में फोर्टविन नामक इंजेक्शन बिना किसी डाक्टर के परामर्श के बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शेर बहादुर सिंह-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान जनपद अम्बेडकर नगर में खजुरी बाजार, हचपुरा बाजार व मालीपुर आदि बाजारों में “फोर्टविन” नामक इंजेक्शन (नशीली सुईयां) बिना किसी सरकारी डाक्टर के परामर्श के बिना बेचे जाने के कारण नवयुवकों द्वारा भारी मात्रा में इसका सेवन किया जा रहा है, जिससे उनके या उनके परिवार का भविष्य खतरे में होता जा रहा है। इस “फोर्टविन” नामक इंजेक्शन (नशीली सुईयां) के प्रयोग से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। जिसका एक ज्वलन्त उदाहरण संजय श्रीवास्तव, निवासी खजुरी बाजार, जिसकी जान इस इंजेक्शन से जा चुकी है। कई नवयुवक ऐसे हैं जो प्रतिदिन हचपुरा बाजार में जाकर नशीली सुईयां मेडिकल स्टोरों से खरीदकर बेधड़ल्ले के साथ बिना किसी डर से सेवन करते हैं जिससे उनका व उनके परिवार का भविष्य खतरे में है।]

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03 जुलाई, 2012 को नियम-51 की कुल 101 सूचनायें प्राप्त हुईं जो सभी स्वीकृत की जाती हैं। विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
1	श्री उदयरज	की 30 प्र० राज्य सेतु निगम लखनऊ में जीप चालक के पद से सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है,

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
2	श्री आबिद रजा	की जनपद बदायूं में रेता बालू के अवैध खनन के सम्बन्ध में है,
3	श्री जाकिर अली	की गाजियाबाद के लोनी में जलभराव की समस्या को दूर करने हेतु समुचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है,
4	श्री मदन गोपाल वर्मा	की फतेहपुर के जहानाबाद में विद्युत पोलों से तार की चोरी हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
5	डा० पूर्णमासी देहाती	की उ० प्र० में प्लाटों की रजिस्ट्री का विधिमानीकरण की समय-सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है,
6	श्री सत्यदेव पचौरी तथा श्री देव नारायण उर्फ जी०एम० सिंह	की जनपद सीतापुर के ब्लाक महोली में क्षतिग्रस्त मार्ग के सी० सी० रोड एवं नालियों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है,
7	श्री बैजनाथ पासवान	की लखनऊ में रसोई गैस उपभोक्ताओं को कम्प्यूटरीकृत बुकिंग सिस्टम के नाम पर परेशान किये जाने के सम्बन्ध में है,
8	श्री जगराम पासवान	की जनपद लखनऊ के विकास खण्ड काकोरी में वर्ष 2011-2012 में स्वीकृत आर०सी०सी० मार्ग का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में है,
9	श्री दीपक पटेल	की लखनऊ नगर में निर्मित आवासीय बहुखण्डी भवनों में नियमानुसार पार्किंग की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
10	श्री शेर बहादुर सिंह	की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में खजुरी बाजार तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
11	श्री सुखदेव लाल वर्मा	की लखनऊ जनपद के महानगर सचिवालय कालोनी में लो-वोल्टेज एवं फ्लक्च्यूवेशन से विद्युत उपकरणों की क्षति के सम्बन्ध में है,
12	श्री नजीबा खान	की लखनऊ के त्रिवेणीनगर सीतापुर रोड में सफाई कर्मियों के अभाव में नालियों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
13	श्री मनीष असीजा	की उ० प्र० सरकार द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के माध्यम से निर्माता निर्यातकों को माल भाड़े पर छूट सीमा की धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
14	श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि	की जनपद मेरठ के वि०स० क्षेत्र हस्तिनापुर में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है,
15	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	की जनपद आगरा के वि०स० क्षेत्र खेरागढ़ में गिरते हुए जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए गुंगावद बांध एवं रिछोहा बांध को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है,
16	श्री विजय कुमार पासवान	की जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खुनियांव के ग्राम गंगवार बुजुर्ग से सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में है,
17	श्रीमती मधुबाला	की महात्मा ज्योतिबा राव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, लखनऊ में प्रवक्ता के पद पर अनियमित नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है,
18	श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य	की जनपद शाहजहांपुर के वि०स० क्षेत्र जलालाबाद में विस्तारित बिजनेस प्लान के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
19	श्री कमाल यूसुफ मलिक	की जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड मिठवल के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है,
20	श्री सतीश महाना	की कानपुर में जे० एन० एन० आर० यू० एम० योजनान्तर्गत सीवर व पीने के पानी की पाइप लाइन डालने में मानक तय न किये जाने के सम्बन्ध में है,
21	श्री उमाशंकर	की जनपद बलिया के रसड़ा के अन्तर्गत विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है,
22	श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'	की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर में निर्मित सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
23	श्री राम मगन रावत	की जनपद बाराबंकी के वि०स० क्षेत्र हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तारीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
24	श्री रविदास मेहरोत्रा	की लखनऊ मध्य क्षेत्र के अधिकांश मोहल्लों में सीवर एवं पाइप लाइनें टूटी होने से दूषित जलापूर्ति के सम्बन्ध में है,
25	श्री आलम बदी	की जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद वि०स० क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
26	श्री रोशन लाल वर्मा	की जनपद शाहजहांपुर के थानाध्यक्ष निगोही श्री जीत सिंह द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेप से वि०स० की प्रतिष्ठा को टेस पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है,
27	डा० धर्मपाल सिंह	की जनपद आगरा के वि०स० क्षेत्र एत्मादपुर के विकास खण्ड खंदौली में दिनांक 13-6-2012 की रात में श्री रिंकू की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
28	श्रीमती पूजा पाल	की जनपद इलाहाबाद के वि०स० क्षेत्र शहर पश्चिमी में बने ससुर खदेरी नदी के जर्जर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
29	श्रीमती हेमलता चौधरी	की जनपद बागपत के जिला मुख्यालय पर सुलभ शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
30	श्री गायत्री प्रसाद	की संसदीय क्षेत्र अमेठी बाई पास की जर्जर सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,
31	श्री प्रदीप माथुर	की जनपद मथुरा में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिये जिला स्तरीय स्टेडियम स्व० श्री माहन पहलवान स्टेडियम को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है,
32	श्री जय प्रकाश निषाद	की जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युत वितरण उपखण्ड-3 इटवा में श्री जगमोहन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सेवानिवृत्त के लाभों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है,
33	श्री छोटे लाल वर्मा	की जनपद आगरा के निर्वाचन क्षेत्र फतेहाबाद में लगे हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है,
34	श्री कालीचरन सुमन	की जनपद आगरा के ग्रामीण वि०स० क्षेत्र अन्तर्गत मार्गों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
35	श्री रमेश चन्द्र बिन्द	की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत दिनांक 19-6-2012 की रात में श्री प्रह्लाद बिन्द की पेड़ के नीचे दबकर हुई मृत्यु के सम्बन्ध में है,
36	श्री राम चन्द्र यादव	की जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास कार्य हेतु सामग्रियों की आपूर्ति में असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
37	श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली	की जनपद आजमगढ़ के ब्लाक जहानागंज के अन्तर्गत जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
38	चौ० गजेन्द्र सिंह	की जनपद बुलन्दशहर के वि०स० क्षेत्र अनूपशहर के ब्लाक लखावटी बुलन्दशहर, जहांगीराबाद अनूपशहर के ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
39	डा० धर्म सिंह सैनी	की जनपद सहारनपुर के वि०स० क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत ग्राम बांधी व रानीपुर के मध्य बनी होम पाइप पुलिया के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
40	श्री लोकेश दीक्षित	की डा० महादेवी इंस्टीट्यूट आफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी मथुरा में अध्ययनरत सत्र 2011-2012 के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति शुल्क की प्रतिपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है,
41	श्री सन्त प्रसाद	की घाघरा नदी के तटबन्ध शाहपुर खडगपुर एवं सोपायी बंधे की तत्काल मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
42	श्री अगयश राम सरन वर्मा	की जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के उप निबन्धक कार्यालय में सुविधा शुल्क की वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
43	श्री कृष्णपाल राजपूत	की उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण में वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में है,
44	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	की जनपद लखीमपुर खीरी के वि०स० क्षेत्र मोहम्मदी के अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
45	श्री उमेश पाण्डेय	की जिला मऊ में कोपागंज भातकोल मोड़ पर दिनांक 10-5-2012 को रोहित मदेशिया की गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है,
46	श्री ओम कुमार	की जनपद बिजनौर के वि०स० क्षेत्र नटहौर अन्तर्गत ग्राम फरीदपुर मान में दिनांक 3-6-2012 की आगजनी की घटना के सम्बन्ध में है,
47	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज	की निर्वाचन क्षेत्र महोबा में दूसरा राजकीय बालिका इण्टर कालेज खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है,
48	श्री रामहेत भारती	की जनपद सीतापुर के किसानों का गेहूं क्रय केन्द्रों से भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है,
49	श्री मदन चौहान	की जनपद पंचशील नगर में गढ़ ब्रजघाट में पवित्र गंगा किनारे बेरीकेटिंग लगाये जाने के सम्बन्ध में है,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
50	श्री बंशी सिंह पहाड़िया	की लखनऊ में पाण्डेय के तालाब निवासी श्रीमती फूलमती गौतम के मकान पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है,
51	श्रीमती सीमा	की जनपद बाराबंकी के थाना देवां के अन्तर्गत श्री भगवान दीन से जबरदस्ती बैनामा कराये जाने के सम्बन्ध में है,
52	श्री विजय कुमार दुबे	की कुशीनगर में वित्तीय वर्ष 2012-13 में वि०स० क्षेत्र कुशीनगर रामकोला एवं हाटा के ग्रामीण मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
53	श्री मनोज कुमार	की चन्दौली में निर्वाचन क्षेत्र सैय्यद राजा के विकास खण्ड बरहनी में महिला डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में है,
54	श्री दयाशंकर वर्मा	की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड गंज मुरादाबाद अन्तर्गत मार्ग के डामरीकरण एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
55	श्री गेंदालाल चौधरी	की लखनऊ के अन्तर्गत थाना गोसाईगंज निवासी श्री मदन लाल गुप्ता आदि के विरुद्ध दर्ज फर्जी मुकदमें के सम्बन्ध में है,
56	डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	की 30 प्र० में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों पर किये गये लाठीचार्ज के सम्बन्ध में है,
57	श्री अनीसुरहमान	की जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है,
58	श्री वीरपाल राठी	की जनपद बागपत में नियमों के विरुद्ध पावर वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में है,
59	श्री गोरख पासवान	की जनपद बलिया वि०स० क्षेत्र बेलथरा रोड में मानक के अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
60	श्री पंकज कुमार मलिक	की जिला प्रबुद्धनगर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
61	श्री भीम प्रसाद सोनकर	की 30 प्र० सचिवालय प्रशासन द्वारा मुख्य मंत्री के आदेशों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में है,
62	श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद	की जनपद फतेहपुर में यमुना नदी में अवैध रूप से मौरंग के खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
63	श्री राजबली जैसल	की प्रतापगढ़ के तुलसी इण्टर कालेज बाबूगंज जमेटी कुण्डा के प्रबन्ध समिति में टकराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
64	श्री सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी	की जनपद जौनपुर के वि०स० क्षेत्र जफराबाद में उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
65	श्री आरिफ अनवर हाशमी	की जनपद बलरामपुर के वि०स० क्षेत्र उत्तरीला में वन माफियाओं द्वारा साखू व सागौन के पेड़ों के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
66	श्री जय प्रकाश अंचल	की मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद में तैनात सहायक अभियन्ता द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है,
67	श्री जियाउद्दीन रिजवी	की जनपद बलिया के सिकन्दरपुर मुख्यालय पर बस स्टेशन के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
68	श्री मनबोध प्रसाद	की तहसीलों में किसानों की खतौनी की नकल कम्प्यूटर द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में है,
69	श्री मनीष रावत	की जनपद सीतापुर वि०स० क्षेत्र सिधौली में भूमि की विक्रय अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है,
70	श्री संजय कपूर	की जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में ट्रांसपोर्टनगर बनाये जाने के सम्बन्ध में है,
71	श्री श्याम बहादुर सिंह यादव	की जनपद आजमगढ़ के फूलपुर पवई में विद्युत सब-स्टेशन पर एस०यू०वी० मशीन बदले जाने के सम्बन्ध में है,
72	श्री सुरेश बंसल	की ३० प्र० जल विद्युत निगम लि० के भूतपूर्व कर्मचारी श्री नन्दलाल जायसवाल के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है,
73	श्री सुनील कुमार सिंह यादव	की ३० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में है,
74	श्री प्रदीप चौधरी	की जनपद सहारनपुर के वि०स० क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
75	श्रीमती विमला सिंह सोलंकी	की ३० प्र० में बड़ी क्षमता की विद्युत ट्रान्समिशन लाइनों को ले जाने के लिए किसानों की भूमि पर खड़े किये जाने वाले बड़े खम्भों द्वारा घेरी जाने वाली भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है,

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
76	साध्वी निरंजन ज्योति	की गोमतीनगर के विकास खण्ड-5, लखनऊ के भवन संख्या-5/67 से लेकर दयाल कौंसिल तक क्षतिग्रस्त सड़क की ठीक मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
77	श्री शारदा प्रताप शुक्ला	की जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के ग्राम चिल्लावां में जल भराव की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में है,
78	श्री केशव प्रसाद मौर्य	की जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में पेयजल संकट को दूर करने के लिए 2000 हैण्डपम्पों का रि-बोर एवं 1000 नये हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में है,
79	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	की जनपद गोरखपुर महानगर की विद्युत आपूर्ति की अत्यन्त बदहाल व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
80	श्री सुरेश कुमार खन्ना	की शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम निजामपुर गौटिया खुर्दराई तथा ग्राम रज्जव नगर में बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु बन्धा बनवाये जाने के सम्बन्ध में है,
81	श्री अजय मिश्र 'टेनी'	की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के चिकित्सालयों में एक भी महिला चिकित्सक की तैनाती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
82	श्री रविन्द्र भड़ाना	की गोल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि0, मेरठ में पिछले पांच वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार एवं करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
83	श्री विजय बहादुर यादव	की जनपद गोरखपुर में जिला सहायक निबन्धक सहकारिता के द्वारा गेहूं क्रय केन्द्र जन आकांक्षाओं के विपरीत खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
84	श्रीमती कृष्णा पासवान	की जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत सिंचाई हेतु किसनपुर नगर के पास दो पम्पों की लिफ्ट कैनाल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है,
85	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	की वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभागीय प्रोन्नति एवं भर्ती में की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
86	डा0 अरुण कुमार	की उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के समस्त देयों का भुगतान अन्य शिक्षकों (कर्मचारियों) की भांति किये जाने के सम्बन्ध में है,

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
87	श्री जगन प्रसाद गर्ग	की विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त केन्द्रीयत/ अकेन्द्रीयत कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है,
88	श्री रविन्द्र जायसवाल	की वाराणसी शहर के सीवर एवं सड़कों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
89	श्री बजरंग बहादुर सिंह	की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के निर्माणाधीन पुलिया की छत एवं एप्रोच कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है,
90	श्री गंगा सिंह कुशवाहा	की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र के फाजिलनगर के थाना पटहेरवा से सुदूर के कुछ गांव को अलग कर नये थाने के सृजन किये जाने के सम्बन्ध में है,
91	श्री उपेन्द्र तिवारी	की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के कतिपय मार्गों का नवीनीकरण/सुदृढीकरण/ चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
92	श्री सुनील कुमार सिंह यादव	की जनपद सोनभद्र की विधान सभा क्षेत्र ओबरा के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
93	श्री गयादीन अनुरागी	की जनपद हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सी०एच०सी० में चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
94	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के ग्राम हल्लौर, नगरा, पड़री होते हुए कराह पीठिया, कमोखर के रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
95	ठा० दलवीर सिंह	की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र में कतिपय नालों की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
96	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट	की जनपद मथुरा में रिफाइनरी से प्रतिदिन हजारों ट्रक, टैंकर, कोल, तार, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, नेफथा पदार्थों को चोरी करके भण्डारण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
97	श्री भगवती प्रसाद	की जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत टप्पल के गांव घरवरा व मालव को नदी के कटान से रोके जाने के सम्बन्ध में है,
98	श्री राधेश्याम	की माध्यमिक विद्यालयों को धारा-7(क) के अन्तर्गत दी गई मान्यता के अनुसार शीघ्र अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में है,

<u>क्र०सं०</u>	<u>मा० सदस्य का नाम</u>	<u>विषय</u>
99	श्री प्रमोद तिवारी	की जनपद प्रतापगढ़ के तहसील मुख्यालय लालगंज पर बहु प्रतिक्षित मुंसिफ कोर्ट एवं सीनियर सिविल जज कोर्ट की स्थापना कराने के सम्बन्ध में है तथा
100	श्री दलजीत सिंह	की श्री नरेन्द्र अवस्थी, अधिवक्ता निवासी-कालू कुआ, थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा द्वारा पंजीकृत कराये गये अभियोग के फलस्वरूप दोषियों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने परम्परा के अनुसार नियम-51 की जितनी सूचनायें प्राप्त हुईं सब स्वीकार कर लीं, ठीक है लेकिन नियम-51 में मेरा निवेदन था मेरी सूचना को मुझे पढ़ने की अनुमति मिल जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया बाजपेयी जी।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों पर कितना बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुआ है। वह अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार के अन्तर्गत नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं कुछ और सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे अब सन्देश चला जायेगा पंडित जी। आप इतने सीनियर मेम्बर हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आप मेरा नियम-51 का विषय तो पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा आपका नियम-51 का विषय पढ़ दें। लाइये इनका नियम-51 की सूचना। आप कह रहे हैं तो पढ़ देते हैं अरे इतनी सारी हैं इसमें कहां खोज पायेंगे। आपने जो कहा है आयुर्वेदिक यूनानी डाक्टरों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में था। वही विषय तो है ना, आपने उस पर अपनी बात कह दी है अब वक्तव्य आ जायेगा आपको मिल जायेगा। हो गया। (माननीय सदस्य पूरन प्रकाश के बोलने पर) अब नहीं, सारी चीजें हो गईं।

अब वक्तव्य हैं इनको ले लेते हैं। यह वक्तव्य जितने आये हैं यह सब वक्तव्य पढ़े मान लिये जाते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

यह एक भी वक्तव्य की कापी हमारे टेबिल पर नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष-

अरे तो अब आयेगी ना, अभी तो विनियोग विधेयक बांटा जा रहा था। ठीक है, सर्वसम्मति से इन सब वक्तव्यों को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा में वर्ष 2007 में 7.53 करोड़ की स्वीकृत धनराशि से बांध का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के अन्तर्गत श्री बजरंग बहादुर सिंह द्वारा दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[श्री बजरंग बहादुर सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-56 के अधीन दिनांक 20-06-2012 को निम्नवत् सूचना दी गई है :-

वर्ष 2007 में 7.53 करोड़ की लागत से मेरी विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा जनपद महाराजगंज में बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु 15 किमी0 लम्बे बांध की स्वीकृति हुई थी। आवंटित धन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया। अभी भी केवल आधे बांध का निर्माण हुआ है, शेष काम पर कोई प्रगति किसी प्रकार की नहीं हुई है। जिसके परिणामस्वरूप बेलासपुर, राजपुर, कोमरवा समेत 10 गांव एकदम नदी के तट पर आ गये हैं शेष 20 गांव भी बाढ़ के खतरे में हैं। खेद है कि आवंटन के बावजूद बांध का काम पूर्ण नहीं किया जा रहा है तथा हजारों परिवार बेघर होने की स्थिति में आ गये हैं। एक ओर तो समस्त गांव की जनता का जीवन अस्तव्यस्त हुआ वहीं दूसरी ओर हजारों एकड़ भूमि भी कृषि योग्य नहीं रह पायेगी। ग्रामवासियों के पास जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब धन शेष नहीं है। निश्चित रूप से इस कार्य में भारी घोटाला हुआ है। बांध का निर्माण न करके करोड़ों रुपया अधिकारियों की जेब में गया है। कुछ ही दिनों में बरसात शुरू होने वाली है, यदि समय रहते रोकथाम न की गयी तो हजारों परिवार बेघर हो जायेंगे।

यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है। सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

2-श्री बजरंग बहादुर सिंह मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना पर वक्तव्य निम्नवत् है-

मा0 विधायक जी द्वारा दी गयी सूचना राजपुर-दौलतपुर तटबन्ध से सम्बन्धित है, जो जनपद महाराजगंज में, घोघी नदी के बायें तट पर बृजमनगंज तहसील में निर्माणाधीन है। प्रश्नगत राजपुर-दौलतपुर तटबन्ध का निर्माण 15.10 किमी0 लम्बाई में प्रस्तावित है। यह परियोजना स्थलीय आवश्यकता के अनुसार पूर्ण तकनीकी सर्वेक्षण एवं परीक्षण के उपरान्त तैयार की गई है। मूल परियोजना लागत रु0 493.71 लाख हेतु अनुमोदित की गयी थी। इस परियोजना के कार्य वर्ष 2005 से प्रारम्भ हुये थे तथा यह परियोजना वर्ष 2007 में पुनरीक्षित की गयी। पुनरीक्षित परियोजना लागत रु0 733.21 लाख हेतु अनुमोदित है। राजपुर-दौलतपुर तटबन्ध का निर्माण 6 किमी0 लम्बाई में हो चुका है तथा 3 अर्द्ध रेगुलेटर के निर्माण का कार्य भी पूर्ण हो गया है।

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्नगत तटबन्ध समरेखन तकनीकी मापदण्डों के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा निर्धारित समरेखन के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है। घोटाला होने एवं करोड़ों रुपया अधिकारियों की जेब में जाने जैसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।]

जिला कुशीनगर के थाना हाटा में दिनांक 17-12-11 को कु0 सिन्धू के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री गया चरन दिनकर, सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), उमाशंकर सिंह व श्री महावीर सिंह राणा द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर से प्राप्त की आख्या में यह अवगत कराया गया है कि वादी श्री जनार्दन यादव पुत्र श्री सत्य नारायण निवासी ग्राम परसौनी टोला मेहियवां थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर द्वारा अपनी पुत्री कु0 सिन्धू के अपहरण की घटना के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 31-12-2011 को अभियुक्त 1-राम निवास पुत्र जयश्री साकिन धनौली थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, 2-सच्चिदानन्द पुत्र शिवधारी, 3-असलम पुत्र सैयद व 4-गीता देवी पत्नी श्रीकान्त साकिन परसौनी टोला मेहियवां थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर के विरुद्ध मु0अ0सं0 1099/2011 धारा 363/366 भा0द0वि0 का अभियोग कोतवाली हाटा पर पंजीकृत किया गया। इस दौरान विवेचना अभियुक्त असलम पुत्र सैयद उपरोक्त दिनांक 03-05-12 को गिरफ्तार किया गया और वह जिला जेल देवरिया में निरुद्ध है। मुखबिर की सूचना पर कु0 सिन्धू की बरामदगी दिनांक 24-06-12 को देवडार पिपरा थाना क्षेत्र कोतवाली हाटा से की गयी है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध एन0वी0डब्लू0 दिनांक 21-06-12 को प्राप्त कर लिया गया है तथा धारा 82-83 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। क्षेत्राधिकारी कसया के नेतृत्व में टीम गठित करके शेष अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी किये जाने का सतत् प्रयास जारी है। वस्तुस्थिति पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।]

जनपद कुशीनगर थाना कप्तानगंज निवासी श्री बृज नारायण सिंह उर्फ भोला सिंह आदि लोगों के विरुद्ध थाना अहिरौली में मु0अ0सं0-208/2012 के अन्तर्गत फर्जी शिकायत के आधार पर फंसाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैया, श्री जय प्रकाश निषाद, चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री इन्द्रपाल सिंह व श्री रामप्रसाद चौधरी द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खां)-

[प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर से प्राप्त की गई आख्या में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 18-05-12 को रात्रि 8.30 बजे ग्राम हरकपुर थाना अहिरौली बाजार के पास वादी श्री सतेन्द्र कुमार दुबे निवासी पैकौली बाबू टोला मगुरही थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर से जाते समय पुरानी रंजिश को लेकर प्रतिवादीगण 1-बृज नारायण सिंह उर्फ भोला,

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-प्रदीप सिंह, ब्लाक प्रमुख मोतीचक व 3-चुन्नू उर्फ जुवेर अहमद जो अपनी सफारी गाड़ी के पास खड़े थे, उनके पास वादी के पहुंचते ही यह लोग जान से मारने की नियत से वादी श्री सतेन्द्र कुमार दुबे पर फायर करने लगे, जिससे उसके शरीर में कई गोलियां लगी। घायल अवस्था में सतेन्द्र कुमार दुबे को उसके घर वाले मेडिकल कालेज गोरखपुर ले गये। इस सम्बन्ध में थाना अहिरौली बाजार पर मु0अ0सं0-208/2012 धारा-307 भा0द0वि0 का अभियोग अभियुक्त जुवेर अहमद आदि उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 19-05-12 को पंजीकृत हुआ। विवेचना उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के दौरान दिनांक 19-05-12 को अभियुक्त बृज नारायण सिंह उर्फ भोला व चुन्नू उर्फ जुवेर अहमद को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं दिनांक 02-06-12 को प्रदीप सिंह ब्लाक प्रमुख मोतीचक मा0 न्यायालय में हाजिर हुये। विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 22-06-12 के अन्तर्गत धारा-307 भादवि0 में आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को राजनैतिक द्वेष के कारण परेशान किये जाने के सत्यता परिलक्षित नहीं हुई है। वस्तुस्थिति पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।]

जनपद-इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय 'गामा', के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14-06-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि कोहणार पेयजल योजना नदी पर आधारित है और इस पेयजल योजना से लगभग 30 गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता था, परन्तु यह पेयजल योजना पुरानी होने की वजह से इसकी क्षमता कम हो गयी है। इसकी क्षमता वृद्धि बहुत ही आवश्यक है।

योजना से आच्छादित गांवों में अनुसूचित जाति/जनजाति की बाहुल्यता तथा योजना पुरानी होने के कारण प्रश्नगत ग्रामों में टैंकों से पानी की आपूर्ति होने की दशा में प्रकरण को अविलम्बनीय अतिलोकमहत्व का विषय बताते हुये मा0 सदस्य द्वारा योजना की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोहणार पेयजल योजना वर्ष 1974 में निर्मित हुयी थी जिसकी मूल लागत रु0 85.80 लाख थी। यह योजना नदी श्रोत की है। इस योजना में कुल 107 ग्राम सम्मिलित थे जिसमें से 7 गांव वर्तमान में कोरांव पेयजल योजना में समाहित हो गये हैं। इस योजना में दो नलकूप है तथा एक नग 150 किली0 क्षमता का शिरोपरि जलाशय है। भूमिगत जलाशय जिसकी क्षमता 800 किली0 है, योजना में 32 एम0एम0 से 200 एम0एम0 तक की जी0आई0/एस0सी0 पाइप का प्रयोग हुआ था। लगभग 40 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण योजना के सभी पाइप जीर्ण-शीर्ण हो गये है। जगह-जगह टूट जाने अथवा सड़ जाने के कारण मात्र 6 ग्रामों (कोहड़ार नया, कोहड़ार पुराना, इसीटा नाला, बैरहना, ममौली एवं मदरहा) में पूर्णरूप से पेयजल

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आपूर्ति हो रही है तथा 5 ग्रामों (बेरी, गड़ेवरा, भटौली, डाबर पहाड़ी एवं पताई) में आंशिक जलापूर्ति हो रही है। योजना का जीवनकाल 30 वर्ष था जो पूर्ण हो चुका है।

2-वर्तमान में नदी से जो जल उपलब्ध हो रहा है उसमें उपरोक्त ग्रामों में ही जल आपूर्ति सम्भव हो पा रही है। अवशेष ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति हेतु योजना बनाया जाना तभी सम्भव हो सकेगा, जब सिंचाई विभाग द्वारा नदी से आवश्यक मात्रा में जल उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3-चूंकि कोहणार पेयजल योजना जनपद-इलाहाबाद के विकास खण्ड-मेजा के अन्तर्गत आता है तथा विकास खण्ड-मेजा में वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार कुल 2864 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जो कि निर्धारित मानक के अनुसार संतृप्त है। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड-मेजा के पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में 6 नग टैंकर से भी जलापूर्ति तहसील प्रशासन द्वारा करायी जा रही है।]

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की कराई गई जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललितेशपति त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें मंत्री जी ने पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इसको स्थगित रखा जाय। इसलिये इसको स्थगित रखा जाता है।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् इलाहाबाद द्वारा तेलियरगंज तथा मेहदौरी में गरीबों की झोपड़ियों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20-6-2012 को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् इलाहाबाद द्वारा तेलियरगंज तथा मेहदौरी में अवतार टाकीज के पास पुश्तैनी रूप से निवासित सैकड़ों गरीब दलित तथा मेहनतकश लोगों की झोपड़ियां, दुकान आदि बिना किसी नोटिस के 12 जून, 2012 को बर्बरतापूर्वक उजाड़ दी गयी। यह सभी लोग आवास परिषद् की योजना प्रारम्भ होने के पहले से वहां पर निवासित हैं। इनका आवास तथा रोजगार वहीं पर है, प्रतिदिन ठेले पर छोटे-छोटे कारोबार करके यह लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं।

परिषद् द्वारा इस आवासीय योजना के प्रारम्भ करने के समय रसूलाबाद, मेहदौरी, शिलाखाना, तेलियरगंज, जोधवल, पिताम्बर नगर, शंकरघाट तथा बारूदखाना में तमाम गरीब लोग झोपड़ियों में रहते आ रहे हैं। कालोनी बनने के बाद भी इनको कभी हटाया नहीं गया। कमजोर आय वर्ग के भवन भी निर्धारित संख्या व मानक के अनुसार न बनाने के कारण इनको रहने का कोई स्थान नहीं मिल पाया। अब एकाएक इस तरह बर्बरतापूर्वक उजाड़ दिये जाने से मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओल्गाटेलिस

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बनाम महाराष्ट्र सरकार आदि के मामले में जीने के अधिकार का खुला उल्लंघन है। इस अवैधानिक एवं अमानवीय कृत्य से सैकड़ों परिवार का भविष्य अंधकारमय हो गया है। रोजी रोटी आवास के छिन जाने से लोगों में भयंकर आक्रोश है और लोग आन्दोलनरत हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण करते हुये उजाड़े गये लोगों को आवासीय योजना प्रारम्भ करने के समय 1980 में गरीबों के लिये लागू साइड एण्ड सर्विसोज योजना, ई0डब्लू0एस0 आवास तथा फेरी नीति के अन्तर्गत आवास/रोजगार दिलाये जाने एवं सदन में शासन द्वारा वक्तव्य दिलाये जाने की मांग मा0 सदस्य द्वारा की गयी है।

2-प्रश्नगत प्रकरण में मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना दिनांक 20-06-2012 पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से आख्या प्राप्त की गयी, जिसमें अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित चन्द्रशेखर आजाद नगर (मेहदौरी/तेलियरगंज) में भू-खण्ड संख्या-ए-1 जिसका क्षेत्रफल लगभग 1214.63 वर्गमीटर है। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की विधिवत् अधिग्रहीत भूमि है तथा परिषद्/राजकीय सम्पत्ति है। वर्तमान में परिषद् द्वारा प्रश्नगत भूमि पर आफिस कम शापिंग काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रश्नगत भूमि पर कोई भी परिवार निवास नहीं कर रहा था और न ही कोई स्थायी दुकान ही थी। कुछ टेकेदारों द्वारा परिसर में बॉस/बल्ली/बालू इकट्ठा कर रखा था तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ टेले आदि रात्रि के समय में रख दिये जाते हैं। प्रश्नगत भूमि से न तो किसी व्यक्ति को निर्वासित किया गया है और न ही किसी व्यक्ति के साथ कोई जोर-जबरदस्ती की गयी है। प्रश्नगत भूमि के सामने की सड़क पर पटरियों पर अस्थायी दुकान लगाकर सुबह शाम व्यवसाय किया जा रहा है, जो आज भी कर रहे हैं। परिषद् द्वारा आवासीय योजना प्रारम्भ करने के समय मेहदौरी जोधवल व बारूदखाना की कुछ भूमि ली गयी है, परन्तु किसी भी गरीब व झोपड़ी को नहीं हटाया गया है। उक्त आवासीय योजना में गरीब लोगों के लिये परिषद् द्वारा स्वीकृत ले-आउट एवं मानक के अनुसार 104 नग दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण किया गया था, जिन्हें दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित भी किया जा चुका है, जो योजना में निवास भी कर रहे हैं।

उक्त के अतिरिक्त रसूलाबाद, शिलाखाना, पीताम्बर नगर तथा शंकरघाट आवास विकास परिषद् के कार्यक्षेत्र में नहीं है। अतएव परिषद् के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।]

जनपद अमेठी के छत्रपति शाहू जी महाराजनगर का नाम बदल कर पुनः अमेठी किये जाने के सम्बन्ध में श्री गायत्री प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[श्री गायत्री प्रसाद, मा0 सदस्य द्वारा सदन का ध्यान संसदीय क्षेत्र अमेठी की ओर आकृष्ट करते हुये अवगत कराया गया है कि इसका नाम परिवर्तित कर जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर कर दिया गया था, क्षेत्रीय जनपद के आक्रोश को दृष्टिगत रखते हुये इसका नाम बदलकर जनपद अमेठी किये जाने हेतु मा0 सदस्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 20-6-2012 के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर द्वारा यह अवगत कराया है कि जनपद “छत्रपति शाहूजी महाराजनगर” का नाम बड़ा होने के कारण आम जन मानस एवं विभिन्न किसान यूनियनों द्वारा लिखने पढ़ने व बोलने आदि में असुविधा होने की शिकायत की जाती रही है। अतः उक्त वर्णित स्थिति में जिलाधिकारी छत्रपति शाहूजी महाराजनगर द्वारा जनपद के नाम परिवर्तन पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3-चूंकि राजस्व परिषद्/जिलाधिकारी का इस सम्बन्ध में अभी कोई सुसंगत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सुसंगत प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथासमय यथोचित विचार किया जायेगा।]

इण्डियन गोरखा रेजीमेन्ट में भर्ती के लिये भारतीय गोरखा समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र तत्काल जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना हे कि सन्दर्भगत नियम-51 के अन्तर्गत भारतीय गोरखा समुदाय के लोगों को किस श्रेणी का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है, का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 में भारतीय गोरखा समुदाय का उल्लेख नहीं है। अतः जो जातियां उक्त अधिनियमों में उल्लिखित हैं, उन्हें ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशोधन का अधिकार भारत सरकार में निहित है।]

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि0 लखनऊ में कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उक्त सूचना में यह तथ्य उल्लिखित किये गये हैं कि उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ में मनमानी किये जाने की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक ने उ0 प्र0 सचिवालय के तर्ज पर पांच दिन का सप्ताह हेतु आदेश जारी कर दिया है जबकि सहकारिता विभाग के अन्य कार्यालय जैसे पी0सी0एफ0, भूमि विकास बैंक, भण्डारागार निगम, पी0सी0यू0, लेबर फेडरेशन आदि सभी कार्यालयों में छः दिन का सप्ताह है। उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ में पांच दिन का सप्ताह होने के कारण मुख्यालय के कर्मचारी/अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक अवकाश पर रहने के कारण प्रदेश की जो भी

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शाखायें हैं उनसे जिला प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक भी नदारद रहते हैं जबकि उपभोक्ता संघ का समस्त कार्य जनता एवं किसानों से जुड़ा हुआ है जिस कारण किसानों एवं आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उपलब्ध सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2004 से प्रदेश के सरकारी कार्यालयों के विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किये जाने का आदेश लागू किया गया है। उक्त आदेश के अनुक्रम में निबन्धक, सहकारी समितियां उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय तथा सहकारी शीर्ष संस्थाओं के मुख्यालय यथा उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन, उ0 प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 एवं पैकफेड में भी 5 दिवसीय सप्ताह लागू है जिसके साम्य में सहकारी शीर्ष संस्था उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 लखनऊ के मुख्यालय में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रभावी है।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 के क्षेत्रीय कार्यालय तथा जनपदीय कार्यालयों में 6 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। सप्ताह में मुख्यालय के अवकाश के दिन जिला प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक के नदारद रहने की कोई शिकायत संघ स्तर पर प्राप्त नहीं हुयी है।]

जनपद हरदोई की ग्राम सभा भगतपुर सन्तपुर में कोटेदार द्वारा खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल ब्लैक किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें मंत्री जी ने पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इसको स्थगित रखा जाय। इसलिये इसको स्थगित रखा जाता है।

उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के 800 से अधिक रिक्त पड़ें पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद एवं श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत श्री बाला प्रसाद अवस्थी एवं श्री रामवीर उपाध्याय, मा0 सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 29-6-2012 को यह सूचना दी गयी है कि उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला (सहायक) के 800 से अधिक पद रिक्त पड़े हुये हैं, किन्तु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही नहीं कर रहा है। विभाग द्वारा स्वयं ही इन रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित कराकर रिक्त पद विज्ञापित कराये गये हैं, फिर भी वह इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। यह प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी डेढ़ वर्ष से बेरोजगार बैठे हुए हैं और सेवायोजन की राह देख रहे हैं। विभाग की लापरवाही एवं उदासीनता के चलते इन प्रशिक्षितों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। यह निरन्तर धरना-प्रदर्शन करते रहे हैं और सरकार द्वारा शीघ्र ही इन्हें नियुक्त करने का आश्वासन दिया जाता रहा है, किन्तु इन्हें नियुक्ति प्रदान करने के नाम पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सबसे अधिक दयनीय दशा तो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की है। अतएव जनहित में आवश्यक है कि सामान्य श्रेणी तथा अन्य आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षण प्राप्त 721 अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्त कर इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात किया जाये ताकि एक ओर तो इनकी समस्याओं का निराकरण हो सके और दूसरी ओर ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो सके।

उपर्युक्त सूचना पर निर्धारित वक्तव्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के अन्तर्गत निदेशक, स्वास्थ्य हैं। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के प्रशिक्षण हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 17-12-2008 के प्रस्तर-7 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उक्त प्रशिक्षण इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों को सिर्फ प्रशिक्षित कराने के लिये है तथा यह प्रशिक्षण राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर सेवायोजन करने के लिये ग्राह्य नहीं होगा। वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के रिक्त पदों के सापेक्ष 721 पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस हेतु दिनांक 9-9-2011 को विज्ञापन जारी किया गया तथा इसमें दिनांक 19-9-2011 द्वारा शुद्धि-पत्र विज्ञापित किया गया। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) की नियमावली के नियमों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत अधिकृत सरकारी प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) का 06 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये तथा नियुक्ति हेतु दिनांक 11-1-2012 से प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22-12-2011 को जारी की गयी। विधान सभा चुनाव आचार संहिता दिनांक 24-12-2011 से प्रभावी हो जाने के कारण दिनांक 11-1-2012 से प्रारम्भ होने वाले साक्षात्कार को दिनांक 6-1-2012 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्थगित कर दिया गया तथा वर्तमान में सरकारी भर्तियों (लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने वाले भर्ती को छोड़कर) अन्य समस्त प्रकार की भर्तियों पर दिनांक 15-3-2012 से प्रतिबन्ध है। उक्त प्रतिबन्ध को प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) की तात्कालिक आवश्यकता के परीक्षणोपरान्त उक्त प्रतिबन्ध के शिथिलीकरण के विषय पर आवश्यकता के दृष्टिगत अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद फैजाबाद के बाबा बाजार विकास खण्ड मवई में साधन सहकारी समिति गणेशपुर में गेहूँ क्रय केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें मंत्री जी ने पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इसको स्थगित रखा जाय। इसलिये इसको स्थगित रखा जाता है।

जनपद महोबा में पत्थर मण्डी कबरई में प्रशासन के उत्पीड़न से बन्द हुये पत्थर व्यवसाय से हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य
(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना विषयक पत्र दिनांक 20-6-2012 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म, उ0 प्र0 लखनऊ एवं जिलाधिकारी, महोबा को दिये गये, उनके द्वारा

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवगत कराया गया कि दिनांक 9-6-2012 को मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष, कबरई द्वारा अभियुक्तगण नत्थू शाहू, लखन सिंह यादव व सोनू को ट्रक नं0-एम0पी0 09/एच0जी0 5464 से विस्फोटक पदार्थ (अमोनियम, नाइट्रेट) कस्बा कबरई में उतारते समय पकड़ा गया तो उनके कब्जे से 428 बोरी (लगभग 220 कुन्टल) अमोनियम नाइट्रेट तथा 06 अदद जिलेटिन राड 14 अदद इलेक्ट्रानिक डेटोनेटर तथा 20 लीटर डीजल बरामद किया गया। मौके से अभियुक्त सुरेश कुमार सोनी व राजेश कुमार सोनी भाग गये। यह विस्फोटक जगभान सचान, निवासी कस्बा कबरई के मकान में घनी आबादी के बीच रखा जा रहा था। यह विस्फोटक पदार्थ सूर्या केमिकल्स, सोनभद्र के मालिक श्री गनेश चन्द्र माथुर द्वारा कस्बा कबरई के श्री सुरेश कुमार सोनी व राजेश कुमार सोनी को अवैध रूप से भेजा गया था। उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना कबरई में अभियुक्तगण नत्थू शाहू, लखन सिंह यादव, सोनू कबीरपंथी, सुरेश कुमार सोनी, राजेश कुमार सोनी, जगभान सचान तथा गनेश चन्द्र माथुर के विरुद्ध मु0अ0सं0-723/12 धारा-4/5 (ख)/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वैड द्वारा बरामद विस्फोटक पदार्थ का परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ पाया गया।

इसी प्रकार दिनांक 10-6-2012 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जनपद महोबा द्वारा मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर ग्राम डहरा पहाड़ से अभियुक्तगण अन्नू पुत्र प्यारे लाल कुशवाहा निवासी डटहत, थाना कोतवाली महोबा एवं महिपाल पुत्र कालका प्रसाद निवासी ऐझो, थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर के कब्जे से 100 अदद जिलेटिन राड 50 इलेक्ट्रानिक डेटोनेटर, 02 लच्छी तार 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 02 ब्लास्टर रोल एवं मुरलीधर ग्रेनाइट से 1341 अदद जिलेटिन राड एवं 150 इलेक्ट्रानिक डेटोनेटर बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली महोबा में मुकदमा अपराध संख्या-1835/12 धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त सभी विस्फोटक अत्यधिक मात्रा में घनी आबादी के बीच में गोदामों से अलग रखे गये थे, जिनमें सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिससे कभी भी जनहानि की कोई घटना अथवा दुर्घटना हो सकती थी।

प्रदूषण नियंत्रण के तहत मानक पूरा न करने के कारण निम्न प्रतिष्ठान (क्रेशर) के विरुद्ध कार्यवाही हुई है। जय कलसहा बाबा भोला स्टोन मिल, मुकन्द ग्रेनाइट, शिवजी ग्रेनाइट, कबरई तथा जय मां दुर्गे ग्रेनाइट चरखारी।

जहां तक खनन कार्य बन्द होने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माह मई व जून, 2011-12 में कुल आय 66094314/-रुपया हुआ था जबकि इस वर्ष (2012-13) माह मई व 17 जून, 2012 तक 67532333/-रुपया का राजस्व प्राप्त हुआ है जो अपने आप में दर्शाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कार्य हो रहा है।

चूंकि माह मई व जून का राजस्व यह दर्शाता है कि पिछले वर्ष से अधिक कार्य हुआ है, अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में पत्थर मण्डी, कबरई में दहशत व आतंक का वातावरण व्याप्त नहीं है।]

जनपद बागपत से चमरवत मार्ग जाने वाली सड़क के जर्जर होने से उत्पन्न स्थित एवं गड्डों की मरम्मत के सम्बन्ध में श्रीमती हेमलता चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[उक्त के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद बागपत में बागपत-मुरादनगर (चमरावल) मार्ग की लम्बाई 22.225 कि०मी० है। यह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है तथा मार्ग की चौड़ाई 5.50 मीटर है। यह मार्ग बागपत से दिल्ली यमुनोत्री मार्ग के कि०मी० 39 से निकलता है। मार्ग क्षतिग्रस्त है। मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

पीलीभीत के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा प्रदूषण रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना पर अवगत कराना है कि मै० एल०एच० शुगर फैक्ट्रीज लि०, पीलीभीत, मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि०, बरखेड़ा, पीलीभीत मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि०, मकसूदापुर (शाहजहांपुर) एवं मैसर्स डालमिया चीनी मिल्स लि०, निगोही, (शाहजहांपुर) द्वारा गन्ने की पेराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। मैसर्स नोवेल शुगर लि०, बरखेड़ा, पीलीभीत द्वारा खाण्डसारी शुगर का उत्पादन किया जाता है। इन चीनी मिलों में साथ ही विद्युत को जनरेशन होता है। उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली के अधिकारियों द्वारा मैसर्स एल०एच० शुगर फैक्ट्रीज लि०, पीलीभीत, मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि०, बरखेड़ा, पीलीभीत, मैसर्स नोवेल शुगर लि०, बरखेड़ा, पीलीभीत का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 12-6-2012 को एवं मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि०, मकसूदापुर (शाहजहांपुर) तथा मैसर्स डालमिया चीनी मिल्स लि०, निगोही (शाहजहांपुर) का निरीक्षण दिनांक 13-6-2012 को किया गया। इन सभी चीनी मिलों में समुचित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। वायु प्रदूषण (राख) के नियंत्रण हेतु बोर्ड के मानकों के अनुरूप चिमनियां तथा वेट स्क्रबर स्थापित है। वर्तमान में आफ सीजन के कारण प्रश्नगत चीनी इकाइयां बन्द हैं। दिनांक 12-6-2012 एवं दिनांक 13-6-2012 को किये गये निरीक्षण के दौरान सड़कों के किनारे मैली (प्रेस मड) व बॉयलर की राख का भण्डारण नहीं पाया गया। मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान लि०, बरखेड़ा, पीलीभीत से लगभग 300 मीटर की दूरी पर जल भराव पाया गया। उक्त उद्योग को बोर्ड द्वारा दिनांक 25-6-2012 को शुद्धिकृत उत्प्रवाह को पुनः चकित किये जाने तथा शुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण उद्योग परिसर के बाहर नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर तथा पशु चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर द्वारा प्रदूषण के कारण पशु तथा जन को क्षति पहुंचने की पुष्टि नहीं की गयी है।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र 372 केराकत के अन्तर्गत गांगी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब चन्द्र सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :- [] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा श्री गुलाब चन्द सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 20-6-12 को मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को दी गयी सूचना में मा0 सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत गांगी नदी बारिश में या जब नदी में पानी आ जाता है तो गांगी नदी पर दो पुल न बनने से लगभग सैकड़ों गांव के लोगों को 30-35 कि0मी0 धूमकर आना पड़ता है। दो पुलों का निर्माण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

1-ग्राम सभा-भौंसिनपुर (करमौना, रसूलपुर, माधोपुर) दक्षिण पुरवा यादव बस्ती के उत्तर तरफ गांगी नदी पर पुल (चार पावा) का निर्माण, इससे लगभग 50-60 गांव को लाभ मिलेगा।

2-ग्राम सभा-सतमेसरा दक्षिण तरफ बनवारी राजभर छावनी का पुरवा (रामदत्तपुर) सतमेसरा मार्ग पर उत्तर तरफ गाय घाट गांगी नदी पर पुल निर्माण, इससे लगभग 50-60 गांवों को लाभ मिलेगा।

मा0 सदस्य द्वारा उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गांगी नदी पर ग्राम सभा-भौंसिनपुर (करमौना, रसूलपुर, माधोपुर) दक्षिण पुरवा यादव बस्ती के उत्तर तरफ गांगी नदी पर पुल की आवश्यकता है। जनपद आजमगढ़ के जीवली देवगांव मार्ग पर बहादुरपुर के पास नाउपुर से पिच रोड निकलकर गांगी नदी तक बनी हुई है। इस स्थान पर सेतु बन जाने से दोनों जिलों के आस-पास के गांव पिपरी, करमौना, रसूलपुर, माधोपुर, एकौना, पेसारा, भौंसिनपुर और सूरतपुर, मुर्की, सुल्तानपुर, पतौरा, बन्जारेपुर, पलिया, बगही, सरावां, सकरा, शिवपुर, खटहरा दूसरी तरफ आजमगढ़ जनपद के वालीपुर, रामचन्द्रपुर, बच्छनी, मरहटी, अवेहता, नाउपुर, घोरसहना, बहादुरपुर, सिकरौला, गोसाईगंज, कसड़े, सौटोली, गोपालपुर इत्यादि गांव के लोग लाभान्वित होंगे। उक्त सेतु लघु है। उक्त सेतु की 25 मी0 स्पान के निर्माण एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु लागत लगभग रु0 82.45 लाख आयेगी।

गांगी नदी पर सतमेसरा दक्षिण तरफ बनवारी राजभर छावनी का पुरवा (रामदत्तपुर) सतमेसरा मार्ग पर उत्तर तरफ गाय घाट गांगी नदी पर पुल की आवश्यकता है। इस स्थान पर सेतु बन जाने से दोनों जिलों के आस-पास के गांव सतमेसरा, भीमपुर, इटहरा, डीहा, देवार, सूरतपुर, करनेहुआ, कोइलारी तथा दूसरे छोर से देवगांव से मेहनाजपुर गांव होते हुए कपसेटा तक पड़ने वाले गांव रामगढ़, चकडीहा, कूबा, अच्छीहा इत्यादि के गांव के लोग लाभान्वित होंगे। उक्त सेतु लघु सेतु है। उक्त सेतु की 25 मी0 स्पान के निर्माण एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु लागत लगभग रु0 102.65 लाख आयेगी। उक्त दोनों पुलों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र 220 कालपी के अन्तर्गत जी0एस0बी0 द्वारा राज्य योजना

(सामान्य) वर्ष 2011-12 में कालपी-राठ के मार्ग के चौड़ीकरण हेतु कराये गये कार्य की

टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती उमाकान्ती सिंह द्वारा नियम-51

के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[श्रीमती उमाकान्ती सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 20-6-2012 को सदन में यह सूचना दी गयी है कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र 220 कालपी के अन्तर्गत जी0एस0वी0 के द्वारा राज्य योजना (सामान्य) वर्ष 2011-12 में कालपी-राठ (प्रमुख जिला राज्य मार्ग संख्या-10) के कि0मी0 से 10 कि0मी0 तक 5.500 मीटर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ है, जिसका आगणन रु0 3034.17 लाख (तीस करोड़ चौतीस लाख सतरह हजार रुपये) का है। मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य जो कराया जा रहा है, वह मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है जिसके कारण कुछ समय बाद ही मार्ग पुनः क्षतिग्रस्त हो जायेगा, क्योंकि इस मार्ग पर वाहनों का भारी दबाव रहता है और बड़े वाहन ट्रक आदि मौरंग लेकर जाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मार्ग की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी तो वह निरर्थक साबित होगी, क्योंकि इस पर बड़े वाहनों के भारी दबाव को देखते हुए ही इसे सी0सी0 रोड बनाया जा रहा है। मार्ग के आगणन के आइटम नम्बर-3 में क्लोज्ड जी0एस0वी0, ग्रेड-1 का प्राविधान किया गया है, जबकि मौके पर उक्त मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है, इससे जहां लोगों में असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त है, वहीं मार्ग की गुणवत्ता भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है और सरकार के पैसे में व्यापक पैमाने पर धांधली की जा रही है। अतः इसकी जांच टी0ए0सी0 अथवा तकनीकी विभाग के किसी सक्षम अधिकारी से करायी जाय तथा जांच के समय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी एक सप्ताह पूर्व सूचित किया जाना चाहिए, ताकि मैं भी उस समय मौके पर उपस्थित रह सकूं। अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ से प्राप्त आख्या के अनुसार शासनादेश सं0-119(1)/23-11-11-1/2(68)/2011, दिनांक 14-10-2011 द्वारा जनपद जालौन के अन्तर्गत कालपी-राठ (प्रमुख जिला मार्ग सं0-19) के कि0मी0-1 से 11 तक (लम्बाई 11.00 कि0मी0) मार्ग के चौड़ीकरण एवं आर0सी0सी0 पेवमेन्ट के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु0 3034.17 लाख की प्राप्त हुई। उक्त कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीकृति के मध्य निर्माण कार्य की दरों में वृद्धि हो जाने के कारण इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, झांसी के पत्रांक-20328/24 याता0-झां क्षेत्र 0/11, दिनांक 12-12-2011 द्वारा 10 कि0मी0 लम्बाई के कार्य कराये जाने हेतु प्रदान की गयी है। उक्त कार्य को अनुबन्ध सं0-23/एस0ई0-झांसी/11-12, दिनांक 17-12-2011 अधीक्षण अभियन्ता, झांसी वृत्त, लोक निर्माण विभाग, झांसी द्वारा गठित किया गया है। उक्त मार्ग का निर्माण कार्य तकनीकी स्वीकृत आगणन में निहित प्राविधानों के अनुरूप निम्नवत् कराया गया है :-

- 1-कि0मी0-1 से 10 तक मिट्टी तटबन्ध का कार्य पूर्ण।
- 2-कि0मी0-1 से 10 तक स्क्रैपिंग का कार्य पूर्ण।
- 3-कि0मी0 1 से 5 एवं 7, 8 चौड़ीकरण, जी0एस0वी0 का कार्य पूर्ण।
- 4-कि0मी0 1 व 2 में 1:3:6 कंक्रीट कार्य पूर्ण।

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्य मानक के अनुरूप ही किये जा रहे हैं। समय-समय पर कार्य की गुणवत्ता भी चेक की गयी है, जो ठीक पायी गयी है।

3-मा0 सदस्य द्वारा उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत शासन के पत्र सं0-07 नियम/23-6-2012, दिनांक 20-6-2012 द्वारा प्रकरण की स्थलीय/तकनीकी जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को निर्देशित किया गया है। प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य की स्थलीय/तकनीकी जांच के समय मा0 सदस्य को आमंत्रित करने हेतु भी निर्देश दिये गये हैं।]

जनपद इलाहाबाद की पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में रुके हुये विद्युतीकरण के कार्य को तुरन्त आरम्भ कराने के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद इलाहाबाद में उनके विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा मन्दर हेतु एक विद्युत उपकेन्द्र तथा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विस्तारित बिजनेस प्लान हेतु पत्रांक-391/वी0एस0सी0एम0, दिनांक 18 मई, 2011 द्वारा लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था। धन स्वीकृति के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया था परन्तु दिसम्बर, 2011 में आम चुनाव की घोषणा के बाद उक्त कार्य रोक दिया गया जिसे अभी तक शुरू नहीं कराया गया। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से इस भीषण गर्मी में जनता में त्राहि-त्राहि मची है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम सभा मंदर के मीरापुर ग्राम, ब्लाक कौड़िहार, जनपद इलाहाबाद में एक 33/11 के0वी0 (1x5 एम0वी0ए0) विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कन्ट्रोल रूम तथा 33 के0वी0 लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह सितम्बर, 2012 तक पूर्ण कराकर ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विस्तारित बिजनेस प्लान हेतु पत्रांक-391/वी0एस0सी0एम0, दिनांक 18-5-2011 द्वारा रु0 145 लाख की कोई स्वीकृति अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्रांक-195, दिनांक 5-3-2011 द्वारा रु0 145 लाख की स्वीकृति 22 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु दी गई थी, परन्तु यह कार्य वर्ष 2011-12 में उ0 प्र0 विधान सभा चुनाव, 2012 की आचार संहिता लागू होने के कारण नहीं हो सके थे। यह प्रकरण वर्तमान में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में विचाराधीन है।]

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ नियुक्त शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 सदस्य, श्री प्रमोद तिवारी द्वारा 29 जून, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 10 हजार से भी अधिक संख्या में तदर्थ शिक्षकगण विगत 10 वर्षों से अद्यतन कार्यरत हैं, इन सभी शिक्षकों की नियुक्तियां मौलिक रिक्तियों के सापेक्ष है, शिक्षकगण आवश्यक अर्हताधारी है और राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इनकी नियुक्तियां प्रबन्धकीय चयन समिति द्वारा मण्डलीय चयन समितियों द्वारा तथा अद्यतन विद्यालयों में शासन द्वारा नियत समय पर शिक्षकों की व्यवस्था न कर पाने के फलस्वरूप प्रबन्ध तंत्रों द्वारा नियमानुसार की गयी है और ये शिक्षकगण पूरी मेहनत एवं निष्ठा के साथ अध्यापन कार्य कर रहे हैं। लम्बी अवधि से कार्यरत शिक्षकों को विनियमित न किये जाने के कारण इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है अतः यदि इनको सेवा से पृथक कर दिया गया तो इनके परिवार के समक्ष गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और लम्बी अवधि तक शिक्षण कार्य पूरी लगन के साथ करने वाले ये शिक्षकगण बेरोजगार हो जायेंगे। क्योंकि ये अपनी किसी भी विभाग में सेवा करने की अधिक आयुसीमा पार कर चुके हैं। पूर्व में भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धारा-33 क, 33 ख, 33 ग, 33 घ तथा 33 च के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित किया जाता रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धारा-35 के अनुसार “राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।” लम्बे समय से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ नियुक्तियों वाले शिक्षकों को अभी तक विनियमित करने से जहां उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है वहीं उनमें चिन्ता एवं क्षोभ भी व्याप्त है।

अतः मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

आख्या :-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 8 अगस्त, 1993 तक कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विहित शर्तों के अधीन विनियमितीकरण किया जा चुका है। प्रदेश में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रधानाचार्यों/अध्यापकों के रिक्त पदों पर निरन्तर चयन की कार्यवाही की जा रही है। चयन बोर्ड अधिनियम के प्रख्यापित होने के उपरान्त मौलिक रिक्त पदों पर अध्यापकों का चयन करने का अधिकार केवल चयन बोर्ड को ही है। संस्था के प्रबन्धतंत्र के स्तर से प्रति वर्ष सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियों को एक वर्ष पूर्व चयन बोर्ड को अधियाचन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

चयन बोर्ड द्वारा अध्यापकों को चयनित किये जाने में विलम्ब के कारण शिक्षण कार्य एवं शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो, इसलिए चयन बोर्ड अधिनियम में धारा-18 की व्यवस्था की गयी थी, जिसमें प्रारम्भ में दो माह तक चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के न आने तक प्रबन्धतंत्र द्वारा इन मौलिक रूप से रिक्त पदों पर चयन करने की तदर्थ व्यवस्था की गयी। धारा-18 में समय-समय पर

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संशोधन किये गये और 1994 में उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-15, 1995 (18-12-1994 से प्रभावी) द्वारा मण्डलीय स्तर पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता गठित समिति द्वारा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। धारा-18 में पुनः संशोधन (30 सितम्बर, 2000) से शिक्षकों के लिए तदर्थ नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त करते हुए केवल प्रधानाचार्य के लिए तदर्थ पदोन्नति की व्यवस्था यथावत् लागू है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के उपरान्त अल्पकालिक रिक्तियों पर शिक्षकों की व्यवस्था हेतु समय-समय पर कठिनाई निवारण आदेश निर्गत किये गये और 25 जनवरी, 1999 को कठिनाई निवारण आदेश विखण्डित कर दिये गये और इस आदेश द्वारा अल्पकालिक पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। उपर्युक्त धाराओं के अधीन शिक्षकों की नियुक्ति चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने तक के लिए की गयी थी।

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ के कतिपय मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 6-9-2011 को मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रश्नगत मांग के सम्बन्ध में सम्यक् विचार-विमर्श हुआ। विचार विमर्शोपरान्त तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत जमुना के बीहड़ क्षेत्र अर्जुनपुर गढ़ा में स्थापित राजकीय इण्टर कालेज में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

["जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड विजईपुर अन्तर्गत जमुना के बीहड़ क्षेत्र अर्जुनगंज गढ़ा में एक दशक से राजकीय इण्टर कालेज संचालित है। उक्त विद्यालय में अंग्रेजी, गणित व विज्ञान के अध्यापक न होने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस विद्यालय में शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था न होने से शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति नियमित नहीं रहती है। विद्यालय की सुरक्षा हेतु बाउन्ड्री वाल न होने से विद्यालय भवन व उपकरण असुरक्षित है। विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त सभी समस्याओं का निराकरण शीघ्र किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।"

उपरोक्त विषय पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0 प्र0 इलाहाबाद से प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड विजईपुर अन्तर्गत अर्जुनपुर गढ़ा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1979 से संचालित है जो वर्ष 2008 में कला एवं विज्ञान वर्ग के साथ इण्टर स्तर पर उच्चकृत किया गया। उक्त विद्यालय में स्नातक वेतनक्रम के 12 और प्रवक्ता वेतनक्रम के 09 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष स्नातक वेतनक्रम के 08 और प्रवक्ता वेतनक्रम के 05 शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालय के इण्टर स्तर पर उच्चकृत होने के वर्ष से ही विज्ञान के भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं गणित विषय के प्रवक्ता उपलब्ध नहीं हैं जिससे विज्ञान का शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। स्नातक

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वेतनक्रम के गणित, विज्ञान, अंग्रेजी व संस्कृत विषय के पद वर्ष 2003 से रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की अनुमति हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, सम्प्रति स्नातक वेतनक्रम में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद मण्डल को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रवक्ता के रिक्त पदों पर पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 द्वारा की जाती है। रिक्त पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही पदस्थापन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।

राजकीय इण्टर कालेजों में शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था की सम्प्रति कोई योजना नहीं है। विद्यालय भवन व उपकरणों की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी नितान्त आवश्यक है। विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद लखनऊ के थाना ठाकुरगंज पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही व सुरक्षा न किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 29-06-12 को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया था कि श्रीमती सुमनलता पत्नी श्री रामकुमार निवासी म0नं0-455/19 सज्जादगंज (दौलतगंज) थाना-ठाकुरगंज, जनपद-लखनऊ द्वारा अपने पुत्र संजय कुमार गौतम द्वारा उन्हें व उनके पति को प्रताड़ित करने, जान से मारने की धमकी देने और दहेज उत्पीड़न में फंसाने की धमकी देने के संदर्भ में दिये गये आवेदन-पत्र पर थाना-ठाकुरगंज, जनपद-लखनऊ पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है व आवेदिका को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार आवेदिका श्रीमती सुमनलता पत्नी श्री रामकुमार निवासी-म0 नं0-455/19 सज्जादगंज (दौलतगंज) थाना-ठाकुरगंज, जनपद-लखनऊ का अपने पुत्र संजय कुमार गौतम व उसकी पत्नी सोनिया से विगत काफी दिनों से आपसी मनमुटाव के कारण घरेलू विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते श्रीमती सुमनलता अपने पुत्र संजय कुमार गौतम व उसकी पत्नी सोनिया को घर से बेदखल करने के लिए प्रार्थना-पत्र देती रही हैं। पूर्व में दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले का निस्तारण न्यायालय के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। श्रीमती सुमनलता पत्नी श्री रामकुमार द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के परिप्रेक्ष्य में उसके पुत्र संजय कुमार गौतम के विरुद्ध एन0सी0आर0 संख्या-166/12 धारा-323/504 भादवि पंजीकृत किया गया है।]

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु 400 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के अन्तर्गत 33 के0वी0 उपकेन्द्र विलासपुर के मोहल्ला साहूकारा बन्जारान पर विद्युत आपूर्ति ट्रांसफार्मर न होने के कारण सुचारु रूप से नहीं मिल पा रही है यहां पर 400 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है तथा इसका आगणन भी उच्चाधिकारियों के पास लगभग दो वर्ष से लम्बित है। इस सम्बन्ध में जनता द्वारा रोज धरने व प्रदर्शन किये जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर न लगने से जनता में रोष व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विलासपुर के मोहल्ला साहूकारा को विद्युत आपूर्ति पंजाबी कालोनी में रखे 400 के0वी0ए0 परिवर्तक से की जाती है। यह परिवर्तक मोहल्ला साहूकारा बंजारन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थापित है। इस मोहल्ले में संकरी गलियां हैं तथा संकरी गलियों में वहां के निवासियों ने अपने घरों से बालकनी/छज्जा मार्क से आगे निकालने के कारण एच0टी0 लाइन निकालना संभव नहीं है। वर्तमान में स्थापित 400 के0वी0ए0 का परिवर्तक अतिभारित नहीं है। इस मोहल्ले में भविष्य में ए0वी0सी0 डालने का प्राविधान किया जा रहा है। वर्तमान में 400 के0वी0ए0 के परिवर्तक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।]

उत्तर प्रदेश में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने वाली दस तापीय परियोजनाओं को कोयला देने में भारत सरकार यदि सफल नहीं होती तब विद्युत की कमी को देखते हुये विद्युत उपलब्धता बनाये रखने हेतु आयातित कोयले द्वारा उक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने हेतु स्थानीय कोयला उपलब्ध न होने के कारण उक्त परियोजनाओं के आयातित कोयले पर आधारित बनाये जाने के कारण उत्पादित बिजली की दरें प्रति स्पर्धात्मक तथा औचित्य पूर्ण होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आपको कुछ कहना है।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बिजली का बहुत संकट है बिजली को लेकर उत्पादन से लेकर, इस पर लगातार सरकार का प्रयास हुआ है। क्योंकि पूर्व की सरकारों ने जितना ध्यान बिजली उत्पादन पर देना चाहिए था, वह नहीं दिया। समझौते भी कर लिये, समझौते जो एम0ओ0यू0 हैं 10 तापीय योजनाओं का उसमें किसी का कोयले से लिंकज नहीं है कोयले का इंतजाम जब तक नहीं होगा तब तक बिजली का उत्पादन होना संभव नहीं है इसलिए मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूं और उसमें सदन की सहमति चाहता हूं कि "प्रदेश में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने वाली 10 तापीय परियोजनाओं को कोयला देने में भारत सरकार यदि सफल नहीं होती है, तब विद्युत की कमी को

नोट :-[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देखते हुए विद्युत उपलब्धता बनाये रखने हेतु आयातित कोयले द्वारा इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाना राज्य सरकार की बाध्यता बन जायेगी। यदि प्रदेश को विद्युत चाहिए तो भारत सरकार द्वारा स्थानीय कोयला नहीं प्रदान करने के कारण इन परियोजनाओं को उनके अनुरोध पर आयातित कोयले पर आधारित बनाना पड़ सकता है। जहां तक आयातित कोयले से उत्पादित होने वाली बिजली की दरों का प्रश्न है राज्य सरकार यह देखेगी कि आयातित कोयले से उत्पादित बिजली की दरें प्रतिस्पर्धात्मक तथा औचित्यपूर्ण हों” और इसलिए मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूँ। सदन से मैं इस पर सहमति चाहता हूँ कि सदन इस प्रस्ताव का समर्थन करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

चाहते यह हैं नेता सदन, यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो पूरे प्रदेश के जीवन से जुड़ा हुआ है उसके विकास से जुड़ा है तो इस प्रस्ताव को सिर्फ जानकारी की हद तक नहीं, बल्कि बल मिले सरकार को, चाहते हैं सदन इसे एक आवाज से सर्वसम्मति से पास करे।

(मेंजे थपथपाई गई)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

प्रतिस्पर्धात्मक दरें रखने में उत्तर प्रदेश में बिजली के मूल्य तो नहीं बढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष-

कह दिया, अब बैठें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आम उपभोक्ता के लिए दरें तो नहीं बढ़ा दी जायेंगी अगर ऐसा है। तो केन्द्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधान सभा को कि वह स्थानीय कोयला दें हमें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि “प्रदेश में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने वाली 10 तापीय परियोजनाओं को कोयला देने में भारत सरकार यदि सफल नहीं होती है, तब विद्युत की कमी को देखते हुए विद्युत उपलब्धता बनाये रखने हेतु आयातित कोयले द्वारा इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाना राज्य सरकार की बाध्यता बन जायेगी। यदि प्रदेश को विद्युत चाहिए तो भारत सरकार द्वारा स्थानीय कोयला नहीं प्रदान करने के कारण, इन परियोजनाओं को उनके अनुरोध पर आयातित कोयले पर आधारित बनाना पड़ सकता है। जहां तक आयातित कोयले से उत्पादित होने वाली बिजली की दरों का प्रश्न है, राज्य सरकार यह देखेगी कि आयातित कोयले से उत्पादित बिजली की दरें प्रतिस्पर्धात्मक तथा औचित्यपूर्ण हों।”

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ)

सत्र की समाप्ति पर सदन के प्रति आभार प्रदर्शन

श्री अध्यक्ष-

यह इस सत्र का आखिरी उपवेशन है आज हम उठ रहे हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में, माननीय नेता सदन, अगर आजम साहब बोलना चाहें तो आप ही बोल दें।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

पहले हम बोल देते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपके प्रयास से और नेता प्रतिपक्ष के प्रयास से नेता बीजेपी, नेता कांग्रेस, नेता लोकदल हैं, मा0 प्रमोद तिवारी जी भी हैं। पीस पार्टी के भी नेता हैं और सभी दलों के नेताओं के सहयोग से और सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से यह सदन बहुत अच्छा चला है और लोकतांत्रिक परम्पराएँ जो छूट गई थीं, उन लोकतांत्रिक परम्पराओं को हम लोगों ने दोबारा निभाया है, हम लोगों ने दोबारा शुरू किया है क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत है, विधान सभा और विधान सभा से जनता को उम्मीद भी है कि विधान सभा में जो सदस्य चुन करके आते हैं, जनता के सवाल उठाएँगे। यह पहला सत्र था और सौभाग्य है कि पहला सत्र, बजट सत्र था और इस सत्र में बहुत बड़े पैमाने पर नये सदस्य भी जीत करके आये हैं और यह सदन इतना चला है कि बहुत सारे सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिल गया है। उत्तर प्रदेश की समस्याओं को तो उन्होंने रखा ही है, उसके साथ-साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी उन्होंने रखा है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा, आदरणीय कलराज मिश्रा जी को भी धन्यवाद दूंगा, आदरणीय अग्रवाल जी और बहुत सारे सदस्यगण हैं, सबसे ज्यादा उधर से ही दिखाई दिया (भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सदस्यों की ओर इशारा करते हुए) कि विधान सभा इधर चल रही है, यह एक हिस्सा है और हमारे जो नये सदस्य हैं, उन्होंने भी अपनी बात बहुत अच्छी तरह रखी। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों का, अध्यक्ष जी, आपका कई बार नॉक-ड्रॉक हुई, कई बार ऐसे सवाल खड़े हो गये, जहाँ गुस्सा भी दिखायी दिया लेकिन आपने उसको सन्तुलित करके उसका रास्ता निकालते हुए सदन को बहुत अच्छी तरह से चलाया। इसके साथ-साथ क्योंकि सरकार चलेगी और बजट भी पास हो गया है। इसके बाद जो काम होना है, वह काम होने लगेगा। फाइनेंशियल जो भी औपचारिकताएँ हैं, उन्हें पूरा का पूरा सरकार जिम्मेदारी से पूरा करेगी। यहाँ पर बीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि योजनाओं के लिए पैसा कब पहुँचेगा ? तो मैं माननीय सदस्यों को यह भरोसा दिलाता हूँ कि वित्तीय स्वीकृति भी शीघ्र जारी हो जायेगी और काम जल्दी शुरू हो जायेगा। जब सदन चला है तो जनता का भरोसा लोकतंत्र पर बढ़ा है और उस लोकतंत्र की जो परम्पराएँ हैं उस पर भी भरोसा बढ़ा है। इसलिए मैं विपक्ष के नेताओं को जरूर धन्यवाद दूंगा, उनका धन्यवाद इसलिए क्योंकि पहले दिन ऐसा लगा कि शायद सत्र नहीं चल पायेगा लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने में भी सुधार लाये और सारे सदस्यों को भी नियंत्रण में रखा, इसलिए नेता प्रतिपक्ष को विशेष धन्यवाद दूंगा क्योंकि उनके सहयोग के बिना सत्र इतना अच्छा नहीं चल सकता था और जो परम्पराएँ उन्होंने तोड़ी, उन परम्पराओं को वापस उन्होंने पुनः प्रतिस्थापित किया इसलिए भी आपको बधाई। इसके साथ-साथ मैं यह जानता हूँ शायद आपने पहले दिन ही कह दिया था कि कुछ चमत्कार होगा तो बहुत सोच-विचार करके क्योंकि बहुत आर्थिक क्योंकि जितना आर्थिक उतार-चढ़ाव उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश ने देखा है और आर्थिक स्थिति को खराब किसी और ने नहीं, पूर्व सरकार ने किया है तो आर्थिक स्थिति अगर ठीक होती तो बहुत कुछ दिया जा सकता था क्योंकि चर्चा यह भी आई कि विधायक क्षेत्र विकास निधि बढ़नी चाहिए, विकास के लिए पैसा मिलना चाहिए। सरकार की जो प्राथमिकताएँ थीं, उन प्राथमिकताओं को हम लोगों ने बजट में लिया है और जो हम लोगों ने पास

किया है, पूरा का पूरा घोषणा-पत्र में जो जनता के बीच में हमने बात रखी थी, उसको हम लोगों ने बजट के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया है। उसके बावजूद भी जो क्षेत्र विकास निधि है क्योंकि मैं जानता हूँ मैं महसूस कर सकता हूँ कि बहुत सारे माननीय विधायक हैं, उनको अपने क्षेत्र में आने-जाने और विकास कार्यों को देखने में तकलीफ होती है। कई बार अगर गाड़ी भी नई ले आये तो कार्यकर्ता मन ही मन सवाल करने लगता है कि अभी तो नये विधायक बने हैं, यह गाड़ी कहां से ले आये और एक गाड़ी पूरी करने में विधायक पर कितने सवाल खड़े हो जाते हैं, हमारे माननीय सदस्यों के ऊपर। इसलिए बहुत सोच-विचार करके सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिस तरीके से क्षेत्र विकास निधि से और चीजें ली जा सकती हैं तो सरकार ने माना है कि क्षेत्र विकास निधि से उसी प्रकार अगर कोई माननीय विधायक गाड़ी लेना चाहेंगे तो 20 लाख तक की वह उससे गाड़ी ले सकते हैं और हर साल डिप्रेसिएशन होगा और जब सत्र खत्म हो जाये तो जो डिप्रेसिएशन कास्ट है वह उसमें अपनी गाड़ी ले जायें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

और चाहें तो वापस कर दें।

श्री अखिलेश यादव-

हां, और चाहें तो सरकार को वापस कर दें। नहीं तो जो डिप्रेसिएशन कास्ट होता है, हर साल डिप्रेसिएशन होता है और पांच साल बाद यह गाड़ी अपनी रख सकते हैं, 20 लाख तक की कोई गाड़ी अपनी लेना चाहेंगे क्षेत्र विकास निधि से तो वह लेने के लिए सरकार अनुमति देगी। लेकिन उसमें शर्त है कि हम डीजल, पेट्रोल या मेंटीनेंस का खर्चा नहीं दे पायेंगे वह पहले से विधायक लोगों को मिलता है। इसके साथ-साथ जो हम लोगों ने लोहिया ग्राम योजना तय की है अभी तक बहुत सारे विधायक इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जो सूची बन रही है, जो गांव चिन्हित किये जा रहे हैं वह उनकी राय पर नहीं किये जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, सरकार ऐसी व्यवस्था बनायेगी कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो पिछड़े गांव हैं जो सूची बनेगी उसके बाद विधायकों की राय लेकर ही उन गांवों को चिन्हित किया जाएगा। यह हमारे बहुत सारे सदस्यों की मांग थी। इसके साथ-साथ मैं सचिवालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूँ और उनके साथ-साथ जो मार्शल है जो विधान सभा के अन्दर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और बहुत जगह सरकार की मदद भी करते हैं उनकी भी एक मांग थी तो मैंने सरकार के अधिकारियों से कहा कि रास्ता निकालिये कि इनकी मदद हो। तो बहुत जल्द ही इन मार्शल लोगों के लिए जो इनके वेतन और जो भी सुविधाओं का मामला है उस पर सरकार बहुत जल्द निर्णय ले लेगी। इनकी मदद का सरकार निर्णय ले लेगी। इसके साथ-साथ हैण्डपम्प अभी नहीं दे पायेंगे लेकिन अगली बार जब सत्र बैठेगा तो उस पर भी विचार करेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

सड़क का रह गया।

श्री अखिलेश यादव-

सड़क आप दे चुके हैं। उस दिन बजट में कहा था। इसलिए बहुत सारी मांगें उठेंगी। अध्यक्ष जी, जो हैण्डपम्प हमने बजट में किये हैं वह तो मिलेंगे ही, ब्लाक में जो मिलने हैं वह तो मिलेंगे ही। अभी इस स्थिति में हम लोग नहीं हैं कि और हैण्डपम्प दे दें और शहरी क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके

लिए विचार करेंगे। अध्यक्ष जी, अभी जो हैण्डपम्प बजट के माध्यम से दिये हैं वह तो मिलेंगे। विधायक लोगों को वह चिन्हित करेंगे और शहर वालों के लिए नहीं है। इसके साथ-साथ एक योजना जो पाइप वाटर सप्लाई की है। मा0 विधायक अगर चाहेंगे तो उनको दो-दो गांव पाइप वाटर सप्लाई से सरकार की तरफ से दिये जायेंगे और जिन गांवों में फ्लोराइड ज्यादा है जिन गांवों में आर्सेनिक की दिक्कत है उनको चिन्हित करके अगर मा0 विधायक लोग सरकार को सूचित करेंगे तो उन गांवों के लिए भी हम लोग पाइप वाटर सप्लाई से इंतजाम करेंगे जिससे कि गांव में अच्छा पानी पीने का इंतजाम हो जाये।

(श्री सतीश महाना सहित कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर, उनका माईक आफ था)

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब, बैठिये।

श्री अलिखेश यादव-

मान्यवर, शहर के लोगों के लिए विचार करेंगे। शहर के लोगों के लिए योजना लानी पड़ेगी लेकिन इस पर विचार कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, जो सत्र चला है और लोकतंत्र की परम्परायें वापिस आयी हैं मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं। सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का धन्यवाद देता हूं, सभी दलों के प्रमुख नेताओं को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं जिनके सहयोग से सदन अच्छा चला और पुरानी परम्परायें वापिस आयीं। इसके लिए आप सबको बधाई।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, यह कोई चर्चा नहीं है। यह परम्परा नहीं है। आप बैठ जाइये। यह कोई बजट चर्चा नहीं है।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रेस का धन्यवाद देना भूल गया। प्रेस का भी धन्यवाद। क्योंकि प्रेस के धन्यवाद के बिना पूरा धन्यवाद नहीं माना जाएगा। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि सदन के अन्दर हो क्या रहा है और उनके लिए क्या फैसला किया जा रहा है। इसलिए प्रेस के सभी पत्रकार साथियों को मैं इस मौके पर धन्यवाद दूंगा और एक बार पुनः उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने सदन को चलाने में सहयोग किया है, चाहे वह अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों और सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

(विपक्ष के अनेक सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अध्यक्ष-

यह आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें यह कुछ नहीं पूछा जाता, आप लोग शान्त होकर बैठ जायं। यह परम्परा नहीं है, भाषण सब खत्म हो गये, विनियोग विधेयक पारित हो गया, अब चर्चा नहीं हो सकती। मा0 नेता विरोधी दल अगर आप हमें इजाजत दें तो मैं पढ़ दूँ कि कितने दिन सदन चला, उसके बाद आप बोलें। चलिये ठीक है, आप पहले बोल लें। सतीश महाना जी, आप इतने सीनियर मेम्बर हैं, आपको तो पता है, इस समय यह सब नहीं कहा जाता है। यह चर्चा का विषय नहीं है। क्या है, बताइये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने कृपा पूर्वक सदन में घोषणा की है कि मा0 सदस्य अपने क्षेत्रीय विकास निधि से 20 लाख रुपये तक की गाड़ी ले सकते हैं, अगर क्षेत्रीय विकास निधि से हम लोग गाड़ी खरीदेंगे तो जनता कहेगी कि हमारे विकास का पैसा आप गाड़ी के ऊपर क्यों खर्च कर रहे हैं। मान्यवर, इससे जनता के बीच बड़ा खराब मैसेज जायेगा। अगर गाड़ी हमने अपने पैसे से भी ली है, तो भी यह संदेश जायेगा कि हमने अपनी क्षेत्रीय विकास निधि से गाड़ी खरीदी है।

श्री अध्यक्ष-

अगर ऐसी बात है तो आप गाड़ी मत लीजिएगा, अब आप बैठिये।

नेता विरोधी दल (स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, सोलहवीं विधान सभा का पहला सत्र के समापन अवसर पर माननीय नेता सदन और माननीय नेता भाजपा, माननीय नेता कांग्रेस, माननीय नेता लोकदल, माननीय नेता पीस पार्टी सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मान्यवर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपके कुशल संचालन में, संरक्षण में विधान सभा का सत्र बहुत ही संयमित, अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हुआ है और साथ ही साथ समय-समय पर आपके निर्देशन में यदि कहीं कोई कटुता भी पैदा होती नजर आई तो आपने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर के इस सदन की गरिमा में चार चांद लगाने का काम किये हैं। मान्यवर, विशेष रूप से विधान सभा के संचालन में आपका मार्ग-दर्शन जहां बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग इसके संचालन में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाता है। सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों का चाहे सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य हों, चाहे विपक्ष के मा0 सदस्य हों, उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए जो उत्सुकता दिखाई है। यह भी नई शुरुआत है कि विशेष रूप से हमारे नए माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए जोर-शोर से जहां क्षेत्रीय समस्याओं को प्रस्तुत किया वहीं अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया। स्वाभाविक रूप से सत्ता और विपक्ष इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों का अपना अहम महत्व है और अहम भूमिका है और बिना एक के दूसरे के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान उठता है। हम यहां कभी भी आपसी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र की समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए और वैचारिक राजनीति के तहत अपनी-अपनी बातों को रखने के लिए हम लोग आते हैं और वैचारिक मत भिन्नता के नाते कभी जाने अनजाने में टकराहट की भी स्थिति पैदा होती है। लेकिन ऐसी टकराहट में कहीं कोई दुर्भावना नहीं होती। जहां वैचारिक टकराहट होती है, वहां ऐसी कोई दुर्भावना नहीं होती। मान्यवर, इस संसदीय व्यवस्था में और विशेष तौर से सदन के संचालन में संसदीय कार्य मंत्री की भी कम भूमिका नहीं होती। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में हमारे वरिष्ठ साथी जिनको इस सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों में बैठने का एक लंबा अनुभव रहा है संसदीय कार्यों का भी अनुभव रहा है। इसके पूर्व में भी संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन कर चुके हैं नेता विरोधी दल भी रह चुके हैं और कई बार मा0 मंत्री पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। उन्होंने भी अपने चातुर्यपूर्ण और कुशलता से इस सरकार को समय-समय पर बचाने का भी

काम किया, लेकिन तमाम ना-नुकर के बाद ऐसी भी स्थितियां आईं जब कभी कोई संवेदनशील मुद्दा रहा तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस समय उदारता का भी परिचय दिया। ऐसे मौके पर मैं नेता सदन के साथ-साथ मा0 संसदीय कार्य मंत्री को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। (सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं)। नेता सदन ने अधिकतम समय देकर के इस सदन की गरिमा को जहां तक बढ़ाने का काम किया, वहीं पर नये सदस्यों को भी इससे प्रोत्साहन मिला है और चूंकि पहली बार (मेजें थपथपाई गईं)

मा0 मुख्य मंत्री के रूप में, मा0 नेता सदन के रूप में आपने उत्तर प्रदेश की भागदौड़ संभाली है। यद्यपि कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हैं, जहां अभी आप बहुत प्रभावित तो नहीं हो सकें, लेकिन प्रभावित होने के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, कि तमाम विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इस सदन के संचालन में ऐसे भी मौके आए (मेजें थपथपाई गईं)

जब कभी-कभी हास-परिहास भी हुआ, कभी-कभी व्यंग बाण भी चले, कभी-कभी कटाक्ष भी हुए और कभी-कभी रामपुरिया चाकू भी चला और तमाम ऐसी परिस्थितियां आईं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मौर्या जी चाकू कितना बड़ा था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-..... वो गोरखपुर वाले बेहतर जानते हैं। इसलिये मान्यवर, मैं अपने विपक्ष के बहुजन समाज पार्टी के साथ-साथ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लोक दल और पीस पार्टी के भी मा0 सदस्यों को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी मा0 सदस्यों ने इस सदन की उपस्थिति में जो अपनी उत्सुकता दिखायी है, सदन की भागीदारी में जो उन्होंने अपनी भूमिका निभायी है, वो सभी मा0 सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। विशेष रूप से हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी और नेता भा0ज0पा0 श्री हुकुम सिंह जी, जब मैं विद्यार्थी जीवन से राजनीति में आया, तब से मैंने आपको देखा सत्ता की सीट पर, भिन्न-भिन्न सरकारों में, भिन्न-भिन्न ओहदों पर रह करके प्रदेश की सेवा करने का काम किया है। आज नेता भाजपा के रूप में आपने समय-समय पर विपक्ष की भूमिका में जो चार चांद लगाये हैं, समय-समय पर आपने मार्गदर्शन भी दिया है। संसदीय कार्यों के अनुभव से मा0 सदस्यों का मार्गदर्शन भी हुआ है। मैं उसके लिये आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सदन की शुरुआत में नेता, कांग्रेस श्री प्रमोद तिवारी जी थे, परिवेश बदले, आज कांग्रेस के नेता प्रदीप माथुर जी हैं। हम अपने इन दोनों साथियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यज्ञपि कि आज वर्तमान में प्रमोद तिवारी जी भले नेता, विधान मण्डल, कांग्रेस न हों, लेकिन इस पूरे सदन में उनकी एक अलग पहचान, उनकी एक अलग अहमियत है। जो संसदीय कार्यों का ज्ञान है, समय-समय पर विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से प्रदेश की तमाम ज्वलन्त समस्याओं को अपने वाक चातुर्य के माध्यम से मनवाने का काम करते हैं यदि उनको धन्यवाद न दिया जाये तो हम समझते हैं कि यह अधूरा रहेगा और अभी हमारे नेता, लोकदल और नेता, पीस पार्टी उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि समय-समय पर उन्होंने अपने साथियों के साथ उपस्थिति दर्ज करा करके विपक्ष को ताकत देने का काम किया और इसके साथ ही साथ कल हमें चिन्ता जरूर हुई, [x x x] मान्यवर, इसी के साथ-साथ मान्यवर, आपका जो सचिवालय है, मा0 अध्यक्ष जी, आपका जो सचिवालय है। प्रमुख सचिव, विधान

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सभा के साथ-साथ सभी विशेष सदस्यगण, सभी उनके सहयोगी संयुक्त सचिवगण और उनके साथ-साथ मैं जहां आपके पूरे सचिवालय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, वहीं पर सबसे अगली कतार में बैठने वाले जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे सभी माननीय सदस्यों की एक-एक बात को अपने कलम से लिपिबद्ध करते जाते हैं, हम लोग भले ही कभी-कभी स्थितियों को, परिस्थितियों को संवेदनशील बना दें, कभी द्वंद्वात्मक भी बना दें, कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती हैं, जब वेल में आकर हम उनकी टेबिल पर भी चढ़ जाते हैं लेकिन उसके बावजूद वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते, एक-एक शब्द किसी भी माननीय सदस्य की जुबान से निकले हुए उनके कलम द्वारा कैद कर लिये जाते हैं, मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ जो हमारे प्रेस के साथी बैठे हैं, वह चाहे प्रिंट मीडिया के हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, इन्होंने सदन में चलने वाली कार्यवाही को, जो भी जनहित के मुद्दे रहे हैं, जो भी जनहित के लिये कार्य किये गये हैं, चाहे विपक्ष के द्वारा उठाये गये मुद्दे रहे हों चाहे सरकार के द्वारा उन मुद्दों और समस्याओं के निस्तारण के लिये कराये गये कार्य हों, समय-समय पर उसको अपने अखबारों के माध्यम से, रेडियो-टेलीविजन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार-पत्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि हम तमाम माननीय सदस्यगण जब यहां पर अपनी बात उठाने आते हैं तो विशेष रूप से हमारा कोई माननीय सदस्य जब अपनी बात यहां पर रखता है तो उसके दिल में एक चाहत होती है कि जो मैं यहां प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं मेरे क्षेत्र की जनता इसको जानती है कि नहीं जानती है, तो इन प्रेस मीडिया के बन्धुओं के माध्यम से जब उनके क्षेत्र में यह समाचार-पत्र जाता है कि फलां माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की समस्या को विधान सभा में उठाया है तो हम समझते हैं कि वह भी गौरवान्वित होता है, उसका भी सीना चौड़ा होता है, उसका भी मनोबल बढ़ता है और क्षेत्र के लोगों के बीच में उसका सम्मान भी बढ़ता है। तो इसके लिये मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, अभी सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद आज जैसा कि नेता सदन ने भी कहा कि सदन के संचालन में नेता विरोधी दल के साथ-साथ सभी दलीय नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि सत्र के पहले दिन जो कुछ भी किया वह प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर सरकार का ध्यान खींचने के लिये किया। इसके बाद लगातार हमने कोशिश की सदन के संचालन में भरपूर सहयोग देने की, चूंकि यहां पर यह भी बताना आवश्यक है कि आज जब हम यहां पर सबको धन्यवाद दे रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी, जो पूर्व में मुख्य मंत्री भी रही हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, शायद मैं रस्म तोड़कर यह बात कह रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपने सदन चलाने में सहयोग दिया है इसमें कोई दो राय नहीं कि नेता प्रतिपक्ष ने और उनके दल ने सदन को चलाने में शुरू से अब तक पूरा सहयोग दिया है और इस सहयोग से जो लोकतांत्रिक परम्परायें हैं, वह मजबूत हुई हैं और विधान सभा सही रास्ते पर चले, उसमें आपका बहुत योगदान रहा है, उसके लिये हम आपके बहुत आभारी हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसके लिये मैं सुश्री मायावती जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि पहले दिन यहां पर जो कुछ भी हुआ, उसी रात में उनका निर्देश आया कि अभी नई सरकार बनी है, इसलिये आपकी तरफ से सदन के संचालन में पूरा सहयोग मिलना चाहिये जब तक कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे न आये, जब तक आप वेल में नहीं जायेंगे, यह उनका सदन के संचालन हेतु निर्देश था, इसलिये मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ।

इसके साथ-साथ चूंकि हमारे सामने बैठे हुए माननीय नेता सदन के बगल में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के बाजू में हमारे लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल जी, जो पूर्व में नेता विरोधी दल का उत्तरदायित्व संभाल चुके हैं, अगर मैं उनको धन्यवाद नहीं देता हूँ तो हम समझते हैं कि उनके साथ अन्याय होगा। चूंकि समय-समय पर उन्होंने भी यहां पर बहुत ज्यादा समय देकर इस सदन के संचालन में चार चांद लगाये हैं और इसके साथ ही साथ चूंकि संसदीय कार्य मंत्री और मा0 लोक निर्माण मंत्री जी वर्तमान में मा0 मंत्रिगण के रूप में बैठे हैं लेकिन पूर्व में वह नेता प्रतिपक्ष के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सत्तापक्ष लाख चाहे, अगर विपक्ष नहीं चाहता है तो सदन का संचालन नहीं हो पाता है। चूंकि हम केवल एक सत्र का दृष्टान्त देंगे, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसका अंतिम सत्र 01 दिन का था, जिसमें सप्लीमेन्टरी बजट आया था। लेकिन उसके पहले यानी जो ग्यारहवां सत्र था वह 05 दिन का था और 05 दिन में, पहले दिन का सत्र 5 अगस्त, 2011 को जिसमें 01 घण्टा 15 मिनट का व्यवधान था, दूसरा दिन था 8 अगस्त, 2011 को जिसमें 27 मिनट का व्यवधान था, तीसरा दिन 9 अगस्त, 2011 को जिसमें 49 मिनट का व्यवधान था, चौथा दिन था 10 अगस्त, 2011 को 01 घण्टा 28 मिनट और दुबारा 20 मिनट का व्यवधान था। पांचवां दिन था 11 अगस्त, 2011 को जिसमें 45 मिनट का व्यवधान था। यानी ग्यारहवें सत्र में कुल 05 घण्टा 04 मिनट का व्यवधान था। पूरे सत्र में हमने जोड़ा 21 घण्टे का व्यवधान था। तो इसलिये मैंने दृष्टान्त दिया कि दोनों पक्षों के सहयोग से ही सदन का संचालन होता है। अगर हम रोज वेल में आ जायेंगे तो आप लाख कोशिश करें, कितनी भी संख्या बल क्यों न हो सत्र का संचालन नहीं हो सकता। इसीलिये माननीय अध्यक्ष जी ने जो अपील किया था कि सत्र का संचालन सकारात्मक दिशा में बढ़ना चाहिये, दोनों पक्षों का सहयोग मिलना चाहिये। हमने पूरी कोशिश की विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते, नेता विरोधी दल होने के नाते हमने अपने विपक्षी पार्टियों के मा0 नेताओं से भी समय-समय पर बात करके सदन के संचालन में जितना भी भरपूर सहयोग हो सका है उसको करने का प्रयास किया है। मान्यवर, इसी के साथ-साथ चूंकि आज इस सोलहवीं विधान सभा का, सरकार बनने के बाद पहला सत्र है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग आज यहां से उठ रहे हैं। इस सत्र के संचालन में मान्यवर, हमारे जो विधान मण्डल के कर्मी हैं, सारे के सारे कर्मचारियों का हमें भरपूर सहयोग मिला है। अगर हम 09 बजे तक बैठे हैं, तो 09 बजे तक इन लोगों ने हमारे साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। इसलिये परम्परा रही है कि जब कभी हम उठते हैं तो विधान मण्डल के इन सारे कर्मचारियों को जो भी इस विधान सभा की कार्यवाही से संबंधित हैं, समय-समय पर हम उनको मानदेय देते रहे हैं इसलिये मैं मा0 नेता सदन से मांग करूंगा कि इन सभी विधान मण्डल के कर्मचारियों को 6000 रुपये मानदेय के रूप में देने का कष्ट

करें चूंकि हमारी पुरानी परम्परा रही है, आप नये-नये मुख्य मंत्री बने हो और नये-नये मुख्य मंत्री बनने के बाद पहला सत्र सदन है और बहुत सकुशल और बहुत ही संयमित यह सदन चला है। तो हम समझते हैं कि इनको मानदेय देने में भी उसी खुले दिल-दिमाग से उनको यह सम्मान मिलना चाहिये, मानदेय दिया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए आप सभी दलीय नेताओं को, सभी माननीय सदस्यों को और विशेष रूप से माननीय नेता सदन को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करना चाहता हूँ नेता सदन की, माननीय संसदीय कार्य मंत्री की और उसके सभी सहयोगियों की। यह पहला सत्र है इस सोलहवीं विधान सभा का और बहुत ही स्वस्थ परम्परा के साथ इसकी शुरुआत हुई है। मान्यवर, कहा जाता है कि वेल बिगिन इज हाफ डन, शुरुआत अच्छी हुई इसलिये आगे भी अच्छा रहेगा। ऐसा मेरा मानना है। मान्यवर, जिस सदन में हम बैठे हैं इसकी नींव बहुत मजबूत है। एक दृश्य आपने अभी देखा, खूब प्रहार होते थे, खूब नोकझोंक होती थी, गुस्सा भी आता था लेकिन आज के इस माहौल में नेता सदन भी बैठे हुए हैं और कितने सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हम लोग बात कर रहे हैं, यही तो असली लोकतंत्र है और सही मायने में लोकतंत्र चल क्यों रहा है, ऐसे ही व्यक्तियों के आधार पर चल रहा है, इसी विश्वास के साथ चल रहा है कि जैसा अवसर आयेगा उसी अवसर के अनुरूप हम अपने आपको ढाल लेंगे। मान्यवर, हम लोग कल्पना करें कि इस सम्मानित सदन में 1952 में कौन लोग बैठे होंगे, मान्यवर, 1952 में ज्यादातर वह लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, जीवन का ज्यादा हिस्सा जेल के सीखवों के बीच में गुजारा, कालकोटरी में गुजारा, त्याग-तपस्या करने के बाद उन्होंने देश को आजाद कराया, जब वह इस सदन में बैठे। आज हम लोगों का सबका सौभाग्य है कि हमको उस सदन में बैठने का अवसर मिल रहा है जिसमें वह त्याग-तपस्वी लोग बैठे थे, जिनकी त्याग-तपस्या से इस सदन का निर्माण हुआ था, आज उस सदन में हम लोग बैठे हैं। इससे ज्यादा गर्व क्या होगा कि आज जो बच्चे यहां चुन करके आये हैं जिनका जन्म भी उस समय नहीं हुआ था, उनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस सदन में बैठने का। जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह नेता सदन का बड़प्पन है मैं भी उनका बड़प्पन मानता हूँ कि कोई कटुता नहीं है उनके मन में सारी बातें आ जाने के बावजूद भी। नेता सदन ने बहुत अच्छी तरीके से कुछ घोषणायें कीं, इन घोषणाओं में एक घोषणा यह भी थी कि अगर माननीय सदस्य चाहें तो विधायक निधि से अपने लिये गाड़ी खरीद सकते हैं, मान्यवर, यह उनका बड़प्पन है उन्होंने एक अवसर दिया है। लेकिन जैसा मैं समझता हूँ इससे सन्देश अनुकूल नहीं जायेगा जनता में और अब ऐसा हो जाएगा कि अगर हम अपने पैसे से भी गाड़ी खरीदेंगे तो भी लोग उंगली उठायेंगे कि विधायक निधि से खरीदकर लाया है। इसलिये मेरे दल ने तो तय किया है कि हम विधायक निधि से कोई गाड़ी नहीं खरीदेंगे फिर भी आपकी कृपा है आपने यह बात कही है। मान्यवर, सन् 1987 में हम स्वर्ण जयन्ती मना रहे थे मैं भी विधान सभा में मंत्री के रूप में बैठा हुआ था और मान्यवर, वह दृश्य मुझे आज याद है मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूँ कि मा0 सदस्य जो चुन कर आये हैं वह याद करें कि संसदीय लोकतंत्र कैसे चलता है। मान्यवर, 1987 में यहां पर स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम मनाया गया था उसमें उन सम्मानित सदस्यों को यहां पर आमंत्रित किया गया था जो देश की

आजादी के समय और उसके बाद इस विधान सभा के सदस्य चुने गये थे मान्यवर, जितने लोग जीवित थे सबको आमंत्रित किया गया था बड़े सम्मान के साथ उन्हें यहां बैठाया गया था। देश के प्रधान मंत्री स्व0 राजीव गांधी जी खुद यहां पर आये थे और उन्होंने उन सभी महानुभावों को एक-एक करके शाल पहनाया था और उनका सम्मान किया था। मान्यवर, वह देखने वाला सीन था। मान्यवर, वह जो महानुभाव आये थे अत्यन्त बूढ़े हो गये थे उनकी आंखों में रोशनी कम हो गई थी सुनने में उनको दिक्कतें हो रही थीं लेकिन उनके मन में हर्षोल्लास था और किस तरह से एक दूसरे से गले मिल रहे थे। मान्यवर, जिस नींव पर सदन खड़ा है 404 सदस्य बैठ कर अपने मतदाताओं और प्रदेश की जनता के हितों की बातें करते हैं। मान्यवर, सत्ता पक्ष के प्रति मैंने आभार व्यक्त कर दिया नेता प्रतिपक्ष महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन्होंने हम लोगों को काफ़ी बार अपने पास बुलाया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्ति बनाये रखें गुनगुनाहट क्यों पैदा कर रहे हैं आखिरी अवसर पर शान्ति रखी जाती है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इन्होंने समय-समय पर हम लोगों को आमंत्रित किया और सुझाव मांगे सदन को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में। उनकी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका रहनी चाहिये और उसका उन्होंने निर्वहन किया है। मान्यवर, उन्होंने एक अखबार के आधार पर हमारे नेता के बारे में कह दिया अगर उन्होंने उसको गौर से पढ़ा होता तो शायद ऐसा न कहते। उसमें एक बुद्धिमान पत्रकार ने अपने बारे में टिप्पणी करके उकसाने की कोशिश की थी। मान्यवर, मैं उकसाने में आने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं नेताओं का सम्मान करता हूं। मा0 मौर्य जी का भी सम्मान करता हूं। मा0 मौर्या जी और हम कभी बूढ़े होने वाले नहीं हैं। इन्होंने तो चश्मा लगा लिया है लेकिन मैं अभी भी बिना चश्मे के बहुत सारे काम कर लेता हूं। हमारे कान ठीक हैं ठीक से सुन लेते हैं। कोई मशीन नहीं लगाते हैं न चलने में हमें कोई दिक्कत है। मैं संयम से रहता हूं और आगे भी संयम से रहूंगा और जब तक हमारी जनता चाहेगी मैं यहां आकर उनकी सेवा करता रहूंगा।

मान्यवर, आज हमारे सत्र का अन्तिम दिन है आज के बाद में हम फिर दो महीने तीन महीने चार महीने बाद या उससे जल्दी ही मिलेंगे। लेकिन हम लोग बार-बार इस बात पर विचार करें कि आपस में हम लोगों का सामन्जस्य कैसे बढ़े।

हम लोग विधायक के रूप में जो यहां बैठे हैं ऐसा कभी न हो कि पांच साल के पूरे कार्यकाल में हम जब भी एक दूसरे से मिलें तो पहचान न पायें। अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं कमी है इसलिये आपस में सामन्जस्य व समन्वय हम लोगों का बढ़िया होना चाहिये। मान्यवर, सत्र के बाद कम अवसर ऐसे आते हैं जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बैठते हैं। इसलिये इस कमी को दूर करने के लिये मा0 अध्यक्ष जी आपको प्रयत्न करने होंगे ताकि यहां पर कार्यक्रमों का आयोजन होता रहे, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहे। हम लोग क्रास सैक्शन के रूप में बैठते रहें तो जो संसदीय परम्परा है वह और भी स्वस्थ होगी और हमारी कार्य प्रणाली भी सुदृढ़ होगी। मान्यवर, जो भारत के बाहर भी जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो सिस्टम है वहां भी सत्र के बाद

विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं और सदस्यगण आपस में मिलते हैं और बात करते हैं और जनता के बारे में सकारात्मक बातें करते हैं। ऐसे अवसरों को उपलब्ध कराने के लिये मा0 अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में वह काम होता रहे तो बहुत उपयुक्त होगा। नेता सदन के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सदन को चलाने में और संसदीय परम्पराओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

मा0 अध्यक्ष जी आपकी सरलता आपके सहज व्यवहार से जो यह पूरा सत्र संचालित हुआ है उसके प्रति हम मन से आपके प्रति नतमस्तक हैं। आपके नेतृत्व में आगे भी हम लोगों को ऐसे अच्छे अवसर मिलते रहेंगे ऐसी हमें आशा है। मान्यवर, सदन को चलाने में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सदस्यों को मौका दिया और लगातार सदन चलता रहा है। मान्यवर, मैं आपके विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने सदन के समय का ध्यान नहीं रखा और पूरे मनोयोग से कार्य करते रहे। हम लोग का सदन पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रारम्भ होता था और देर तक चलता रहा यह लोग सुबह जल्दी कार्यालय आकर और शाम को देर तक बैठकर अपना काम पूरा करते रहे। हमारे प्रमुख सचिव जिनका अपना अनुभव है, न्यायिक सेवा से आये हैं, अपना अनुभव है, कभी भी अपना संतुलन नहीं खोया सबकी बात सुनने के बाद उनका बहुत ही अमूल्य योगदान इस सदन को चलाने में रहा। जहां तक हमारे कर्मचारी हैं, हमारे मार्शल साहब हैं या उनके सहयोगी हैं उनका भी बहुत योगदान रहा। एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ जो हमारी बाह्य सुरक्षा है जो गेट पर रहते हैं, मान्यवर, वह गेट हमारा सबसे पहला इन्ट्री गेट है। जो भी आयेगा वह सबसे पहले वहां देखेगा जा करके और जो उनकी स्थिति है उसमें सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, वह बेचारे इतने कमजोर, न वर्दी ठीक है, न टोपी ठीक है, ने बेल्ट पहने हुए हैं कभी-कभी देख लेते हैं गर्दन घुमा करके, ऐसा लगता है कि खाना भी नहीं मिलता है उनको ठीक से मान्यवर। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ और आपके माध्यम से नेता सदन से अनुरोध करता हूँ कि उसके ऊपर जरूर ध्यान दें। मान्यवर, जहां जाते हैं एक मजबूत आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे गेट पर तो लगे कि हां उत्तर प्रदेश में कुछ जान है। उसकी तरफ ध्यान न देना सही नहीं लगता थके हुए लोग हैं बेचारे उनको सेवा करने का अवसर आ गया, मजबूत आदमियों को रखें, उनका ध्यान भी रखें यह उचित होगा। मान्यवर, और मुझे विश्वास है जैसा विचार हुआ सदन की सिटिंग उपवेशन जितनी जल्दी हो सके जितने प्रभावशाली हो सके इस पर विचार होना चाहिये। नियमों में संशोधन हुआ है, आप ही के कार्यकाल में संशोधन हुआ है मान्यवर, उस संशोधन के अनुरूप भी विचार कर लें बैठ करके क्या उसका पालन होगा या समय-समय पर जब भी अवसर आयेगा सदन आहूत होते रहें तो विचार-विमर्श होता रहेगा बहुत ज्यादा गैप उसमें नहीं आना चाहिये मान्यवर एक आग्रह अन्तिम मेरा यह है हर नेता की अपनी कार्यप्रणाली होती है, हर राजनैतिक दल की अपनी कार्यप्रणाली होती है ठीक है कुछ कमी रही होगी लेकिन उसको बार-बार मुद्दा बनाना यह उचित नहीं है। अब हम सोचें अगर कहीं कमी रही है तो कर्मों को भूलें और परम्पराओं को और स्वस्थ करें और मजबूत करें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। यह हमारी कोई बहुत सफलता नहीं है, कर्मों निकालना कोई बहुत सफलता नहीं है, सफलता इस बात की होगी कि हमने जो सोचा है, हमने जो विचार किया है उस विचार के अनुरूप और मजबूती कैसे आये इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी

सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जो नये सदस्य आये हैं इस बार उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ पहली बार आये लेकिन सदन की कार्यवाही में पूरी रुचि उन्होंने ली। दोनों पक्षों से नये सदस्य बहुत से आये हैं और थोड़ा सा तब्दीली लेकर आये हैं, परिवर्तन लेकर आये हैं, युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने में मजबूती से आगे बढ़ने वाले भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब आयेंगे तो पूरी परिपक्वता के साथ में आयेंगे और समस्याओं को खुद भी उठायेंगे क्योंकि एक स्थिति बन गई थी दुर्भाग्यपूर्ण इधर से बोलते थे उधर से कोई बोलता नहीं था अब दोनों तरफ से बोलना शुरू हुआ। मान्यवर, मैं उसका गवाह हूँ उस स्थिति का, प्रमोद जी आप थे नहीं उस समय, एक ऐसा भी काल आया इस विधान सभा में जब केवल वही पक्ष था इधर सारा खाली था, मैं भी सत्ता पक्ष में था विधायक पहली बार चुनकर आया और जब मैंने देखा सदन बुलाया गया बहुगुणा जी बैठे थे, नेता सदन के रूप में, मैंने देखा यहां से लेकर यहां तक बेंच खाली है, भले ही सत्ता पक्ष में रहे हों लेकिन ऐसा लगा कि यह तो अधूरा हो गया, अगर यहां नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा अपूर्ण होगा सदन, जैसे भूत बंगला हो जाता है वह दृश्य दिखाई दिया जब यहां बोलने वाला न हो, कुछ कहने वाला न हो, चुनौती देने वाला न हो तो सदन का कोई महत्व नहीं है, सदन का महत्व तो तभी है जब दोनों पक्ष मजबूती के साथ में अपने विश्वास के अनुरूप अपनी मान्यताओं के अनुरूप मुद्दों को उठायें, मुद्दों को उठाने का उनको अवसर मिले। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत शुभकामनायें देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं नेता सदन से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो क्षेत्र विधायक निधि से विधायकों को गाड़ी खरीदने के लिये आपने अनुमति दी है यह विधायकों के बिल्कुल खिलाफ सन्देश जायेगा। इसलिये विधायकों को गाड़ी खरीदने के लिये अलग से कोई व्यवस्था कर दें विधायक निधि से केवल विकास का काम हो। यह इनके खिलाफ जायेगा इस पर विचार कर लें। एक चीज धन्यवाद देते समय छूट गई थी मार्शल और उनके अधीनस्थों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी क्योंकि मैं पहले माननीय अध्यक्ष जी बोल चुका था बीच में नेता विरोधी दल खड़े हो गये इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपको सम्बोधित कर रहा हूँ। नेता विरोधी दल आदरणीय हुकुम सिंह जी, नेता लोकदल, अपना दल, पीस पार्टी या सभी दल हैं, मंत्रि-परिषद् के सदस्यगण और साथियों मैं बहुत भारी मन से यह कह रहा हूँ कि आज सदन के सत्र का अन्तिम दिन है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे तो मान्यवर, घर परिवार भी होता है लेकिन जब हम सदन में आ जाते हैं तो यहां एक नया परिवार बन जाता है। एक पारिवारिक वातावरण सा बन जाता है। यह लोकतंत्र की एक खूबी है कि हम चुनाव तो दलों के आधार पर लड़कर आते हैं विचारों के आधार पर बहुत से लोग चुनाव जीतते हैं। वह यहां तक पहुंचते हैं और बहुत से लोग चुनाव नहीं जीतते उनकी संख्या ज्यादा होती है वह बाहर रहते हैं। लेकिन यहां आकर एक अच्छा सा प्यारा सा वातावरण बनता है। उस वातावरण में हम लोग तीन महीने साथ रहकर विदा होते हैं तो विदाई की घड़ी थोड़ी कष्टदायी होती है। कम से कम मेरे लिये कष्टदायी होती है और किसी के लिये हो या न हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह विदाई की घड़ी कुछ सुखद

वातावरण में सम्पन्न हो। लेकिन उतने सुखद वातावरण में यह सम्पन्न नहीं हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ परिवर्तन होगा और जब हम यहां से विदा लेंगे तो नेता सदन का यह कर्तव्य होता है कि कोई दुखी मन से यहां से न जाय। अध्यक्ष जी मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि आज यहां से दुखी मन से कोई न जाय। बल्कि सुखी होकर सब लोग जायें। आप क्या करेंगे यह आप थोड़ी देर में फैसला लेने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी शुरुआत आपसे करनी चाहिये। आप इस सदन की सबसे ऊंची पीठ पर विराजमान हैं। आप सिर्फ अध्यक्ष जी नहीं हैं इस सदन के संरक्षक भी हैं। इस सदन के गार्जियन भी हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि संरक्षक के रूप में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक आदर्श अध्यक्ष के रूप में किया है। मैं इसके लिये आपको बधाई देता हूं आपमें अद्भुत क्षमता है सरलता की, विनम्रता की और अगर रिकार्ड उठाकर देखे जाएं तो एक रिकार्ड आपके नाम लिख जायेगा कि अध्यक्ष रहते हुए बैठक चलते हुए सबसे ज्यादा अपनी कुर्सी पर कोई आसीन रहा है तो श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी आसीन रहे हैं। अगर देखा जाए कभी-कभी मुझे आपके डाक्टर से मिलने की इच्छा होती है। कौन सी दवा आपको खिलाते हैं कि आप सुबह से शाम तक इनर्जेटिक रहते हैं। ताकत से भरे रहते हैं। जब सुबह आते हैं तो उतना इनर्जेटिक नहीं होते हैं लेकिन जब शाम को 8-9 बजे जाते हैं तो आपकी इनर्जी बढ़ी हुई होती है। मैं समझता हूं कि आपको यह इनर्जी हम लोगों से मिलती है और आपने जो यह परिवार का रिश्ता बनाया है उसके लिये मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं धन्यवाद देता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है यह इत्तेफाक है तय नहीं किया था हम लोगों ने और गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है गुरु को सम्मान देना। अगर यहां पर गुरु का दर्जा किसी को दिया जा सकता है तो अध्यक्ष जी आपको दिया जा सकता है। इसलिये गुरु पूर्णिमा के दिन आपको बधाई देते हैं। आपको सम्मानित करते हैं। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका स्नेह सभी सदस्यों को मिलेगा। मैंने आपमें एक उत्कृष्ट इच्छा भी देखी कि जो नये सदस्य आये हैं उनको बोलने का अवसर मिले। आपने इसको फलीभूत भी किया है। मैं आंकड़े देख रहा था कि स्वयं किसी बजट में नहीं बोलता राज्यपाल के अभिभाषण पर नहीं बोलता जिससे नये लोगों को मौका मिले। जिससे नये लोगों को मौका मिल सके। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस सदन ने एक अद्भुत इतिहास रचा है कि पहली बार नये सदस्यों ने जितनी भागीदारी की है मेरे 9 बार के कार्यकाल में नये सदस्यों ने कभी इतनी भागीदारी नहीं की। (मेजें थपथपाई गईं) इसके लिये मैं आपको और नये सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं मान्यवर। मान्यवर, मैं यह भी जनता हूं कि अगर आपने यह नहीं किया होता तो शायद यह सम्भव नहीं था। मान्यवर, दूसरा रिकार्ड माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम है। एक तो सबसे कम आयु के उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, इसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं, दूसरी बात मान्यवर, मैंने अभी तक और मैं देखना भी नहीं चाहता, मैंने आपको अभी तक गुस्से में नहीं देखा है (मेजें थपथपाई गईं) और मैं चाहता भी नहीं कि आपको कभी गुस्सा आये। आप सहज, सरल और सबको आपने अपनी प्रतिभा से, अपने व्यक्तित्व से, अपने हंसमुख स्वभाव से सिर्फ उधर के ही नहीं, इधर के लोगों को भी प्रभावित किया है, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। (मेजें थपथपाई गईं) मान्यवर, आपके कई धर्म हैं, नेता सदन के रूप में आप सबके नेता हैं, मुख्य मंत्री के रूप में आप पूरे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, नेता समाजवादी पार्टी के रूप में आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैं आपके उस नेता सदन के रूप में याद दिलाते हुए, और एक और आपका रूप है, आप एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। समाजवादी आन्दोलन के मान्यवर,

जिनको जनक कहा जाता है, पहचान कहा जाता है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं। (मेजें थपथपाई गईं) अब मैं जो बात कह रहा हूँ पूरा ध्यान से सुनियेगा बहुत ध्यान से। अच्छा पुत्र वहीं होता है जो पिता के धर्म का निर्वहन करे, पिता के वादों को पूरा करे और मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा। मान्यवर, अगर जो बात मैं कह रहा हूँ हुकुम सिंह जी, अग्रवाल साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, या मंत्री लोग जो बैठे थे, मना कर दें। मैं पुत्र के रूप में आपको चुनौती दे रहा हूँ, नेता मुलायम सिंह यादव जी ने उसी कुर्सी पर बैठ कर 2007 में कहा था कि विधायक निधि 25 लाख बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूँ। दुर्भाग्य से वह नहीं कर पाये। मैं पूछना चाहता हूँ पुत्र के रूप में आप क्या करने जा रहे हैं, पिता का कर्ज चुकायेंगे या पिता को कर्ज में रहने देंगे आप। मान्यवर, मैं चाहता हूँ, यह तय हो जाय आज। आज ही तय हो जाय। आप बताइये ना।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, पूरी बात हो जाय फिर आखिर में कहेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

ठीक है। भाई आजम खान साहब आप तो मेरी बात से सहमत हैं, वायदा था, पूरा नहीं हो पाया। मान्यवर, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि 25 लाख उन्होंने वायदा किया था पर वह बेचारे मुख्य मंत्री रहते 50 के आस-पास हो गये थे पर आप तो 39 ही के हैं, दांव मार दिया आपने। जो ब्याज कितना है आजकल, आप पूरे ब्याज के साथ आप अभी घोषणा करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। आज सवाल खाली श्री अखिलेश यादव का नहीं सवाल श्री मुलायम सिंह यादव जी का है। और उसको आप जरूर पूरा करेंगे। मान्यवर, इटावा में सैफई में लोग कहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी जितना अपने भतीजे को प्यार करते हैं उतना अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। बताइये ना करते हैं कि नहीं ? बताइये ना। (हंसी)।

लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

आप ठीक कह रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने ऐसा चाचा भी नहीं देखा कि भतीजे का मुख्य मंत्री के रूप में जन्म दिन हो और ऐसा सूखा और कंजूस चाचा नहीं देखा। बोलिये कुछ तो बोलिये। कुछ तो बोल दीजिये। वायदा। मान्यवर, हमारे बाद इनको बोलने का अवसर दिया जाय। मान्यवर, हमारे बाद इनको बोलने का मौका दे दें। मैं आपके भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ सवाल आपकी प्रतिष्ठा का है, मैंने बहुत बड़ी बात कही है आपको साबित करना होगा कि आप अपने भतीजे को दिल से चाहते हैं और जब दिल से चाहते हैं तो ज्यादा मैं नहीं मांग रहा हूँ 5-10 जो भी आपकी इच्छा हो दे दें।

(मेजें थपथपाई गईं)

मुझे विश्वास है मेरी बात को रखेंगे। आजम साहब के लिये मैं कह सकता हूँ नेता, विरोधी दल ने कहा कि रामपुरी छूरी, मैं तो आपका दोस्त हूँ कैसे बर्दाश्त कर लूं, मान्यवर, आपकी छूरी तो हमने और भाई हुकुम सिंह ने देखा है सन् 1980 में देखा है बड़ी तीखी छूरी थे यह, अब मैं और हुकुम सिंह जी लगातार बात करते हैं कि अब थोड़ी मिठास बढ़ी है, अब मीठी छूरी हो गये हैं। अब तीखी छूरी नहीं

रह गये हैं। मान्यवर, वार तो आप आज भी पूरा करते हैं लेकिन अब जैसे आप कह देते हैं कभी-कभी, मैं संसदीय कार्य मंत्री के आदर्श सूक्त को मानता हूँ कि मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ यह पिछली सरकार का जवाब है या व्यवहारिक रूप से कहते हैं यह सरकारी जवाब है मैं कहना चाहता हूँ कि आप में जो परिवर्तन आया है वह परिवर्तन बढ़ता चला जाए और आप और ज्यादा सदन के प्रति, अपने प्रति और अच्छा मीठा बनते चले जायें जब तक आपको डायविटीज न हो जाये। (हंसी) मैं यह कल्पना करता हूँ आप इसे जरूर पूरा करेंगे। दूसरे इन लोगों की बात जायज है कि ग्रामीण अंचलों को मिले, शहर वाले विधायकों को न मिले तो ग्राम्य विकास का ग्राम्य विकास मंत्री जी देख लेंगे और नगर विकास का नगर विकास मंत्री। क्या आप बैठने को कह रहे हैं बैठ जाऊँ। सबकी तरफ से मुख्य मंत्री जी बोल देंगे। मान्यवर, मुझे एक आपत्ति है मैंने अखबार में समाचार पढ़ा था। कहीं से यह नहीं था कि आदरणीया उमा जी ने कहा था, नहीं कहा था, यह किसी पेपर का कयास था और आपने हमारे साथी को जो भारतीय सेना में काम कर चुके हैं, और एक जवान के रूप में जिनको मैं कहता हूँ, अगर कोई एक आदर्श विधायक हो सकता है, नेता हो सकता है, तो वह आदर्श नेता है। आपने कहा कि किसी ने इनको बूढ़ा कहा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट कब मिला कि जवान हैं, जरा वह तो बता दें। इनकी जवानी का अन्दाजा कब हुआ यह तो समझाइये। यह जवान थे हैं और रहेंगे।

(हंसी)

मैं तो कहूँगा कि प्रेरणा लें नये सदस्य इनसे, जिस तरह पढ़ लिखकर आते हैं, यह एक आदर्श रूप में हैं और रहेंगे। मान्यवर, मेरा कलराज मिश्रा जी से संबंध बहुत पुराना है। यह हमेशा जो वायदा करते हैं वह पूरा करते हैं लेकिन अबकि जो आपने वायदा किया है वह पूरा नहीं किया आपने इसी सदन में वायदा किया था कि सदन समाप्त होने से पहले एक बार उमा जी का दीदार करा देंगे। लेकिन आपने वह वायदा पूरा नहीं किया मुझे लगता है कोई मजबूरी रही होगी। वह रहती तो अच्छा रहता मैं आज (मेजें थपथपाई गईं)।

ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बोलना था आज हमारे कांग्रेस मण्डल दल के नेता को, परन्तु श्री प्रणव मुखर्जी आज आ रहे हैं तो वह उनको लेने चले गये हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी ऐसा मौका आये वह चले जाया करें। जिससे हमें बोलने का मौका मिल जाया करे।

श्री अध्यक्ष-

आपके पहले सदन में एक और मा0 सदस्य हुआ करते थे नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आजकल सांसद हो गये हैं वह जब कभी आप बोलते थे तो बीच में जरूर बोलते थे तो इस परम्परा को चलाईये कांग्रेस में।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं फिर इस बात को यहीं समाप्त करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरी जिज्ञासा बढ़ गई इस वक्त, परेशानी भी बढ़ गई और बड़ा संकट आ गया है। सदन पर कि आपके इधर जो दाहिने बैठते थे, कहां हैं आज ? वह जो आपके दाहिने बैठते थे, एक सज्जन कहां हैं ? अच्छा, इसके लिये आपने ही उन्हें भेजा है। हद है, आपकी चतुराई की, उन्हें भी

आपने भेज दिया और रीता जी को भी भेज दिया। सारा श्रेय अपने को ही लेना है। न, अच्छी बात नहीं है।

(हंसी गूंजी)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बहुत कुछ चीजें मैंने आजम भाई से सीखी है और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मान्यवर, कुछ लोग दिल्ली से आते थे, उनकी इन्होंने दिल्ली वापस करने का प्रस्ताव कल पारित करा दिया, इसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, 1.00 बजे वहां कार्यक्रम है, इसलिये थोड़ा-थोड़ा करके बोल लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

जी, मान्यवर। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं चूंकि अब बात हो ही गई है कि विधान सभा क्षेत्र विकास निधि बढ़ायेंगे आप, सड़क की बात होगी तो मैं ज्यादा बात न कहकर दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, एक बड़ा खराब सन्देश जायेगा कि अगर जो विधायक निधि आज है, इसमें से गाड़ी खरीदी जायेगी, ऐसा लगेगा कि कहीं विकास कार्य काट कर दी गई है या तो आप उसको इतना बढ़ा दें या उसकी कहीं अलग से व्यवस्था हो जाये, उसको 3 के आस-पास कर दें जिससे किसी को दिक्कत न हो। मान्यवर, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं, कर्मचारियों के बारे में। पिछली बार अगर आप याद करें, मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे दो मिनट का समय लूंगा, पिछली बार सदन चला था, पिछली बार तो सदन चलता ही नहीं था, 5 दिन और 7 दिन जब सदन चला था तो कर्मचारियों को 4 हजार रुपये बोनस दिया था, आपको याद होगा और अगर आप चाहें तो मैं विधान सभा की कार्यवाही अपने साथ लाया हूं, मैं उसे पढ़कर सुना सकता हूं, उस समय मौर्या जी ने ही प्रस्ताव रखा था कि मुख्य मंत्री जी ने विधान मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को देर रात तक मेहनत करने को दृष्टिगत रखते हुए 4 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप दिया है तो जब 5 दिन के सदन में यह 4 हजार दे सकते हैं, मान्यवर, यह तो 3 महीने का सदन है तो मैं चाहूंगा कि उसी के अनुसार कम से कम 6-7 हजार रुपये कर्मचारियों को दिया जाये तो अच्छा रहेगा, एक अच्छा सन्देश जायेगा। मान्यवर, एक बात मैं व्यावहारिक रूप से बता दूँ जो यहां बोलता हूं, दूसरे दिन आता है। मान्यवर, मैंने एक चीज देखी, यहां के कर्मचारी जो पहले होते थे, यहीं से पहले दिन से शुरू करते हैं, वह यहां की परम्परा सीख जाते हैं, विधायकों का सम्मान करते हैं, विधायक आते हैं, उनको पहचान लेते हैं। अब आप एक नई परीक्षा करा रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, पता नहीं आप किसको ले आयेंगे तो प्रमोशन के लिये पूरी विनम्रतापूर्वक पूरे सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि उसमें जिसको भी आप चुनें, यहीं के सदन के लोग हों, नियमावली में जो परिवर्तन किया है, उस पर दोबारा विचार करें, यहीं के लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिये, यहीं के लोग हों, मान्यवर, यह ज्यादा उचित होगा और समान कार्य और समान वेतन की बात जो है, सिद्धान्ततः स्वीकार हो चुकी है। मान्यवर, जो यहां के मार्शल हों, जो यहां के कर्मचारी हों, जिनमे पद न सृजित हों, मान्यवर, बहुत ही विनम्रता से इन लोगों ने व्यवहार किया है तो मैं सम्पूर्ण सदन की तरफ से आपसे आग्रह करूंगा कि इनका स्तर किसी भी तरह से लोक सभा सचिवालय से कम नहीं होना चाहिये, उनके बराबर उनके

समकक्ष करें, मान्यवर, और यह परीक्षा वाली जो बात है, मैं इस पर बल देना चाहता हूँ कि 37 वर्षों से जो व्यवस्था लागू थी, उस पर विचार करें, उसे नहीं हटाना चाहिये। मान्यवर, इन सब बातों के साथ आदरणीय प्रमुख सचिव जी का मैं जरूर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी पीठ होती है जिस पर अगर अनुभवी व्यक्ति न हो तो मान्यवर, दिक्कत होती है। प्रमुख सचिव जी न्याय प्रणाली से आये हैं। मुख्य मंत्री जी को मैं और याद दिला दूँ आपने कहा था कि जो जनपदों के नाम बदले गये हैं, उनको पुराने नाम से जाना जायेगा चाहे वह अमेठी हो, चाहे शामली हो, चाहे वह सम्भल हो, चाहे वह और कोई जनपद हो, मान्यवर, उसमें तो कोई पैसा लगाना नहीं है। और जो कागज आपके हाथ में है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, मा0 मुखर्जी साहब पहुंचने वाले हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह मेरा वायदा है कि वह तभी पहुंचेंगे जब मैं उन्हें लेने जाऊंगा। आप चिन्ता न करें। मान्यवर, मैं उन्हें लेकर आऊंगा।

श्री मो0 आजम खां-

आपके वह नेता धूप में खड़े हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

वो लोग न, मैं चाहता हूँ वह हमेशा खड़े रहें। (हंसी)।

मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट न हो लेकिन अगर किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिये खेद भी व्यक्त करता हूँ और क्षमा भी मांगता हूँ और मान्यवर, खासतौर से मुम्बई से लता मंगेशकर जी हैं और विधान सभा में मा0 श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी हैं, दोनों की वाणी में इतना प्यार है और मान्यवर, चूंकि मेरे जनपद के हैं और मेरे भाई हैं तो हम दोनों कभी-कभी आपस में मजाक भी कर लेते हैं तो मौर्या जी अगर मेरी बात से कभी कोई कष्ट हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से लता मंगेशकर जी की आवाज अमर है। स्वामी प्रसाद मौर्या जी आपकी आवाज भी हमेशा ऐसे ही बुलन्द रहे।

श्री मो0 आजम खां-

यह जो आपने संज्ञा दी है आपने लता मंगेशकर जी की, क्या लता जी का कोई संदेश आये तो आप उसका संज्ञान लेंगे। लता जी का संदेश आने वाला है कि वह आज से गाना छोड़ रही हैं।

(हंसी)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने अभी जिक्र किया था कि छूरी जो कभी बहुत तीखी होती थी अब मीठी हो गई है। आपका इरादा यह है कि वह गाना छोड़ें न छोड़ें यह बोलना छोड़ दें। आप यही चाहते हैं (हंसी)। ठीक है आप यह चाहते हो। मान्यवर, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। दो लोगों को बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन दो लोगों से बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिये। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी कादिर खां का डायलाग है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ इतना

जरूर कहना चाहता हूँ कि लता मंगेशकर जी का गाना भी होगा, कादर खां के डायलॉग भी होंगे लेकिन हीरो तो फिर हीरो ही होगा, अखिलेश जी के पिता को याद करो, उनकी सूरत को याद करो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह-

अध्यक्ष जी बहुत ही बढ़िया वातावरण सदन का चल रहा है। आपके कुशल नेतृत्व में पूरे सदन ने कार्यवाही में रुचि ली। सबने अपने-अपने विचार रखे और मैं तो अपने आपको बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जब मैं नेता दल बना तो मुझे बहुत चिन्ता हुई कि दलवीर सिंह तू मंत्री भी रहा है, कई बार एम0एल0ए0 भी रहा है बहुत पदों पर रहा है लेकिन अध्ययन का काम मैंने कभी नहीं किया। अब तुझे अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे विपक्ष में मौर्या जी जैसे विद्वान, हुकुम सिंह जी जैसे विद्वान, अग्रवाल साहब जैसे विद्वान और हमारे बहुत ही सम्मानित कलराज मिश्र जी जैसे विद्वान और सबसे ऊपर तिवारी जी जैसे विद्वान हमारे विपक्ष में हैं, हमारा काम बहुत आसान कर दिया। हमारा काम ही आसान नहीं किया पूरे हाउस का काम आसान कर दिया। इसी तरह से सत्तापक्ष के सभी विधायक सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें आजम खां, अम्बिका चौधरी जैसे विद्वान और हमारे साथी जो आगे की पंक्ति में बैठे हैं जैसे विद्वान मंत्री मिल गये तो इनका भी काम आसान हो गया। लेकिन इस वर्तमान विधान सभा में जितने युवा वर्ग के लोग आये हैं यह बहुत इंटेलेजेंट हैं और पढ़े लिखे हैं। उन्होंने अपने काफी विषय बढ़ चढ़कर सुनाये हैं। जितना भी स्टाफ है, मैं सबको धन्यवाद दूंगा, पत्रकार बन्धुओं को धन्यवाद दूंगा और जब-जब मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में आये तो खिलता हुआ चेहरा ऐसा मालूम पड़ा जैसे फूल झड़ रहे हों, पूरे सदन में खुशबू फैल जाती है। मैं यहां एम0एल0ए0 भी कई बार रहा हूँ, छोटा सा मंत्री भी रहा हूँ, लेकिन इतना बढ़िया वातावरण, बड़े-बड़े विद्वान रहे हैं यहां ऐसी बात नहीं है, पहले भी सदन में बड़े-बड़े विद्वान रहे हैं, आप की सीट पर भी बड़े-बड़े विद्वान रहे हैं, लेकिन जो क्षमता आपकी देखी मैंने हाऊस के संचालन की और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरकीब से बनाकर आपने चलाया है हाऊस, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा और जब-जब भी मा0 मुख्य मंत्री जी यहां आये सबके चेहरे खिल गये। मैंने कल एक शब्द कह दिया था मा0 आजम खां साहब के सम्बन्ध में क्या कटौती रखें, तमाम बातों के आप खुद ज्ञाता हैं, आपने सब कुछ कह दिया, वैसे तो यह मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने कह दिया। जिस वक्त वह बोलते हैं, तो पूरा सदन ऐसा हो जाता है कि जैसे यही बोलते हों, लेकिन मा0 हुकुम सिंह जैसे विद्वान लोग, अग्रवाल साहब जैसे विद्वान लोग, खन्ना जी, हमारे बैठे मा0 श्यामदेव राय चौधरी (दादा) साहब ऐसे लोग उनका जवाब देने में सक्षम हैं। हम पक्ष के विपक्ष के लोगों का इन लोगों ने हमेशा संरक्षण करने का काम किया है। इन्होंने ही सदन को चलाया है, हम लोग सब श्रोता रहे, मैं इन श्रोताओं को भी धन्यवाद दूंगा, और इसलिए दूंगा कि अगर हम श्रोता नहीं होंगे तो वक्ताओं का महत्व कौन जानेगा, इसलिए मैं उन सबको भी धन्यवाद दूंगा, सबने सदन की कार्यवाही में अपना बड़ा योगदान दिया है, बहुत अच्छा सदन चलाया है इसके लिए मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 डा0 अयूब साहब, दो मिनट में, संक्षेप में, अपनी बात कह दें, क्योंकि जल्दी जाना है।

डा0 मो0 अयूब-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले नेता सदन का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक नई परम्परा दी है और जो काफी सहृदय हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष का विधायक हो, चाहे प्रतिपक्ष का विधायक हो या कोई नेता हो, तो इन सभी की बातों को ठीक से सुन करके, समझ करके वह सभी को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं मैं उन्हें विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। बड़े भाई आजम खाँ साहब हैं जिन्होंने पूरी तरह से विपक्ष के लोगों का भी और सत्ता पक्ष के लोगों की बातों को उन्होंने रखा और अपनी भावनाओं से लोगों को प्रभावित भी किया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, जिन्होंने प्रयास किया है कि प्रतिपक्ष के सभी लोगों को एकजुट करके इस सदन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का उन्होंने प्रयास किया है और उन्होंने कोशिश की है कि जो भी प्रतिपक्ष की भावनायें हैं वह सभी दल सामान्य रूप से रख सकें इसके लिए मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ बड़े भाई हुकुम सिंह जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भाई राधामोहन दास अग्रवाल साहब का और बड़े भाई कलराज मिश्रा जी का और मैं खासतौर पर हमारे बड़े भाई प्रमोद तिवारी जी का कि उन्होंने शुरू से जितने भी नए साथी हैं उनको संसदीय परम्पराओं का ज्ञान कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे नेता लोक दल का, नेता एन0सी0पी0 की और नेता अपना दल की सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज्यादा जो इस सदन को चलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका हुई है, मैं समझता हूँ कि आपके संरक्षण में और बिना आपकी सहिष्णुता और बिना आपकी सभी सदस्यों पर कृपा के बिना चल नहीं सकता था मैं इसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि एक सदन के संरक्षक के तौर पर आप सभी सदस्यों को समान रूप से, सबको समय दे करके और सबकी बातों को सुनकर के इस सदन को चलाये क्योंकि यह सदन पूरे प्रदेश का है। जनता का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार में जो सदन के नेता हैं, वह एक पार्टी के नेता तो हैं ही, मगर इस पूरे सदन के नेता हैं और मैं समझता हूँ और मेरा यह विश्वास है कि इन परम्पराओं को निभाते हुए देश की प्रदेश की जो अपेक्षाएँ हैं, इस सरकार से, इस नेता से उसे आप पूरा करने का आप प्रयास करेंगे। एक बार फिर मैं अपने सत्तापक्ष के विधायकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने जो भी पीस पार्टी की या उसके पदाधिकारियों की या उसके लोगों की जो भी कमियाँ रहीं हैं, वह समय-समय पर हमें बताने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी कमियाँ रही हैं, उसे हम दूर कर सकें। मैं उसको सकारात्मक तौर पर लेता हूँ, और जो हमारे प्रतिपक्ष के विधायक रहे हैं, जिन्होंने समय-समय पर हमें सुझाव दिया है, उन सभी के सुझाव को मैं आदरपूर्वक स्वीकार करके आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्य सचिव महोदय को और सचिवालय के सभी कर्मचारियों को, मार्शल को और विशेष तौर पर मैं अन्त में धन्यवाद दूँगा हमारे प्रेस बंधुओं को जिन्होंने हमेशा यह कोशिश की है कि सदन में जो कुछ भी हो रहा है उसे सही तौर पर रख रहे हैं और सदन के संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अन्त में मैं आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। इस सदन को ठीक से चलाने में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता सदन, मा0 नेता विरोधी दल, मा0 नेता भारतीय जनता पार्टी.....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मा0 नेता सदन कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब यह आपका और उनका मामला है।

(नेता सदन के खड़े होने पर सारे सदन ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया।)

श्री अखिलेश यादव-

आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन तो बहुत अच्छा चला और विपक्ष के सुझाव भी बहुत अच्छे आए और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब विपक्ष के सुझावों पर भी अमल किया जाए। (मेजें थपथपाई गयीं), जो अच्छे सुझाव हैं उन पर अमल किया जाए। तो जो क्षेत्रीय विकास निधि है, क्योंकि गाड़ी की बात मैंने कह दी है। यह उन्हीं के लिए है, जो खरीदना चाहें। यह सब के लिए नहीं है, जो खरीदना चाहेंगे वो खरीदेंगे। क्योंकि हम महसूस करते हैं कि जो गरीब विधायक हैं, वह अपने पूरे कार्यकाल में भी अपने लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि गाड़ी आपको खरीदनी ही हैं। अगर आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए वह पैसा लगाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो, जो सदस्य लेना चाहेंगे, वो ले सकते हैं। इसके साथ-साथ, जो नेताजी की बात आपने रखी है, आदरणीय, प्रमोद तिवारी जी ने, उस बात को हम लोग टाल नहीं सकते इसलिए आज की क्षेत्रीय विधायक निधि डेढ़ करोड़ करने का जो मा0 नेता जी ने कहा था 25 लाख बढ़ाने का फैसला सरकार लेती है। (मेजें थपथपाई गईं)। इसके साथ-साथ मार्शल जितने हैं जिनके सहयोग के बिना, हमारी विधान सभा नहीं चल सकती और जो इसमें बहुत सहयोग करते हैं। इसलिए पूर्व की भांति मार्शल एवं विधान सभा के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर रु0 5000 करने का फैसला सरकार लेती है और जहां तक उनके वेतन का सवाल है उस पर सरकार विचार करेगी और 15 दिन में विचार करके फैसला भी लेगी। इसके साथ-साथ इनकी वर्दी का भी हम इंतजाम हम करेंगे। दो-दो वर्दियां इनको अलग से सरकार की तरफ से मिलेंगी। इसके साथ-साथ पूरे प्रदेश के जो हमारे चौकीदार हैं, उनके लिए वर्दी, टार्च और एक साइकिल का इंतजाम भी सरकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत, धन्यवाद।

(कई सदस्यों द्वारा हैण्डपम्प की बात उठाने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, यह क्योंकि शहरी क्षेत्रों में पानी की बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन ऐसी योजनाएं हम ला रहे हैं, जिससे पानी की समस्या को ज्यादा-से-ज्यादा हल किया जा सके। हैण्डपम्प से ज्यादा जरूरी है ओवर हेड टैंक बनाना। हमारी प्राथमिकता होगी कि शहरों में हम ओवर हेड टैंक में इजाफा करें, ज्यादा बनाएं ताकि ज्यादा अच्छा पानी मिल सके। शहरी क्षेत्रों में ओवर हेड टैंक बनाने की, ज्यादा बनाने की....

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा हैण्डपम्प की मांग करते रहने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां- वहां तो हैण्डपम्प जा ही रहे हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

ग्रामीण अंचलों में हैण्डपम्प बढ़ा दें।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा लगातार बोलते रहने के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप कहने तो दीजिये। मैंने आपसे सदन में कहा था कि कुम्भ मेले में हम एक तजुर्बा करने जा रहे हैं। एक ऐसा ओवर हेड टैंक लगाने जा रहे हैं जो स्टील का बना हुआ है और लैमनेटेड है अन्दर से। अगर उस तजुर्बे में हम कामयाब हो गये तो बहुत कम वक्त में हम ओवर हेड टैंक आप को देने में कामयाब होंगे तो वो एक तजुर्बा है उसे हम करेंगे। मैं मा0 सदस्यों से कहना चाहूंगा कि क्या इस सत्र के बाद अगला सत्र नहीं होगा। देखिये सप्लीमेण्ट्री बजट आना है, सप्लीमेण्ट्री आना है।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा लगातार हैण्डपम्प की मांग करते रहने पर)

अच्छा, कुछ न कुछ इन्तजाम बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता सदन, मुख्य मंत्री जी, मा0 नेता विरोधी दल, मा0 नेता भारतीय जनता पार्टी, मा0 नेता कांग्रेस पार्टी, मा0 नेता लोकदल जो हमारी पटेल जी हैं और जो हमारे मा0 अय्यूब जी, मैं सब के प्रति और सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। विधान सभा एक परिवार की तरह है। जैसा आप लोगों ने कहा हम यहां आये हैं अपनी-अपनी बातों को रखने के लिये और विभिन्न विचारों के लोग आये हैं तो जैसा मौर्या जी ने कहा कि टकराहट स्वाभाविक है लेकिन लोकतंत्र में टकराहट से द्वेष पैदा नहीं होता है। टकराहट से निर्माण और विकास की बात की जाती है तो जो ये हम लोगों ने आपस में विचार-विमर्श किया और उसके माध्यम से जो अपने क्षेत्र से आये हैं क्योंकि ये विधान सभा गांव की, शहर की पगडण्डी पर चलने वाले दुकानदार सब की भावनाओं की अभिव्यक्ति का स्थल है। इसलिये आप लोगों ने जो अपनी-अपनी समस्यायें यहां पर रखीं, उसके लिये भी मैं आप सब को साधुवाद देता हूं। मैं सभी नेताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि अगर आप का सहयोग न होता, नेता प्रतिपक्ष का, विपक्ष के मा0 सदस्यों का, नेताओं का तो इतनी सुचारू रूप से विधान सभा के संचालन में मुझे कठिनाई होती। आपने सबने सहयोग दिया, मैं आप सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं। ये सही है कि परिवार में कभी-कभी गरम बात भी हो जाती है, कभी झिड़की भी पड़ जाती है, कभी प्यार की बातें भी होती हैं। मैं उन सभी मा0 सदस्यों को जिन को कभी मैंने थोड़ा ऊंची आवाज में बोला होगा इसलिये नहीं कि उनके प्रति मेरे मन में कोई द्वेष है या मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना है, महज इसलिये कि यह सदन नियमों से बंधा है और नियमों की रक्षा करना और नियमों के अनुरूप इस सदन को चलाने का दायित्व आप ने मेरे ऊपर दिया है इसलिये कभी-कभार मैंने सदस्यों को थोड़ा ऊंची आवाज में बोला होगा तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनके प्रति कोई दुर्भावना रखता हूं, मेरे मन में सब के प्रति सद्भावना है और आप लोगों ने जो सदन के संचालन में सहयोग दिया। मैं मुख्य रूप से नेता विरोधी दल, मा0 हुकुम सिंह जी को और मा0 प्रमोद तिवारी जी को, अय्यूब साहब को और जो मा0 नेता है उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इस के साथ जहां विपक्ष की भूमिका है तो वहीं सरकार की भी भूमिका है। अगर सरकार सकारात्मक रूप से सोचती, सत्ता पक्ष सकारात्मक रूप से सोचता है तो विपक्ष चाह कर भी नकारात्मक नहीं हो पाता है। इसलिये मैं इस सकारात्मक सोच के लिये मा0 मंत्रियों की कार्यप्रणाली के लिये और मा0 सत्ता पक्ष के सदस्यों के सहयोग के लिये भी मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। हमारे मुख्य मंत्री नये हैं लेकिन जिस ढंग से बहुत पहले जब हम लोग चुनाव में चुन के आये थे तो हम ही लोग मुख्य मंत्री से

उधर से घूमकर मिल लिया करते थे, जिस मिलने की परम्परा की इन्होंने शुरूआत की, इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इसलिये धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि अगर उनका सहयोग नहीं होता तो सदन के संचालन में बहुत कठिनाई होती। जब कभी-कभी प्रश्न उपस्थित होते थे तो मेरे मन में यह शंका होती थी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह फाइल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वह कैसे जवाब दे देंगे, ऐसा न हो कि और कोई टकराहट की बात हो लेकिन मैं संसदीय कार्य मंत्री की योग्यता और उनके ज्ञान के प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ और यह देखकर कि उन्होंने अनुमान से अपने अनुभव से बहुत सी चीजों के जिस तरह से सदन में उत्तर दिये और जिस तरह से सदन को सम्मोहित किया, उसके लिये भी मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं सभी माननीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों के प्रति, नये सदस्यों के प्रति और जो पुराने अपने साथी हैं, क्योंकि हम भी बहुत दिन से सदन में आये हुये हैं, मैं सबके प्रति सम्मान प्रकट करते हुये उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। माननीय कलराज मिश्र जी जो मेरे विद्यार्थी जीवन से परिचित रहे हैं, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ और सबसे बड़ी बात जो यहां उभरी, जो हमारे विपक्ष के सम्मानित विधायकों ने, नेताओं ने जैसे हुकुम सिंह जी ने, माननीय डा0 अग्रवाल साहब ने और अन्य नेताओं ने अपना सहयोग दिया और माननीय प्रमोद तिवारी जी तो विज्ञ हैं, वह कब कहां लेकर किसको पहुंचा देंगे, इसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं, इसलिये उनकी इस योग्यता के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं एक बार फिर आप सबके प्रति, अगर आपका सहयोग न होता तो यह सदन सुचारू रूप से न चला होता, इसलिये मैं सबके प्रति आभार प्रकट करते हुये एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनायें देता हूँ। हमारा सचिवालय अगर ठीक से काम न करता तो भी हमें कठिनाई होती। मैं अपने प्रमुख सचिव तथा सचिवालय के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनायें देता हूँ। जहां तक प्रेस के लोगों का सम्बन्ध है, अच्छी बात रही है कि अबकी बार कोई ऐसी खबर नहीं बनी जिससे कि कोई कठिनाई हो, मैं प्रेस के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार सकारात्मक न्यूज विधान सभा के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, हो सकता है कि नकारात्मक समाचार मिला ही न हो, लेकिन उनके सकारात्मक समाचार प्रकाशन के लिये मैं उन सभी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। एक बार फिर मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलीय नेताओं के प्रति नतमस्तक होते हुए धन्यवाद देता हूँ।

एक चीज की मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ क्योंकि यह सूचनायें आती नहीं हैं और आप लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। इस विधान सभा में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में 39 प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें तारांकित प्रश्न के रूप में 90 प्रश्न स्वीकृत हुये और अतारांकित प्रश्न के रूप में 425 स्वीकृत हुए और अस्वीकृत हुये 126, इस प्रकार कुल योग हुआ 680 अल्पसूचित प्रश्न। इसके अलावा तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत हुये 60, अतारांकित प्रश्न के रूप में 576 स्वीकृत हुये और अस्वीकृत हुये 124 और इस प्रकार कुल 760 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए। कुल सब जोड़कर 916 अतारांकित प्रश्न इस असेम्बली में आये और उनके जवाब दिये गये। इस विधान सभा में सबसे बड़ी बात यह रही कि बड़ी संख्या में माननीय विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में 101 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और साधारण बजट प्रस्तुत होने के बाद जो चर्चा हुयी उसमें माननीय 67 विधायकों ने हिस्सा लिया और जो आय-व्ययक में अनुदानों पर चर्चा हुयी, उसमें 442 विधायकों ने हिस्सा लिया, यह बहुत बड़ी संख्या में राजनैतिक लोकतंत्र की बहाली में सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरा चीज, औचित्य और स्थगन के 110 प्रस्ताव आये थे, इसमें भी

254 सदस्यों ने भाग लिया। सदन की कार्यवाही में बोलने वाले कुल सदस्यों की संख्या 893 थी, यानि इसमें जो नहीं बोलना चाहा होगा, उसको छोड़कर लोग कई-कई बार बोले और 893 सदस्यों ने इस विधान सभा की कार्यवाही में कहीं न कहीं हिस्सा लिया। यह बजट 21 दिवसीय था, 21 बैठकें हुईं और यह बजट ऐतिहासिक रहा है, मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और फिर एक बार आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं देते हुए नेता सदन, नेता विरोधी दल और सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ एक जुमले में अपनी बात खत्म करता हूँ। जितनी कार्यवाही पूरे सत्र में चली और आज जिस तरह से सबने सदन की कार्यवाही का और आपसी रिश्तों का इजहार किया है, यह बने रहेंगे और संसदीय कार्यवाही आपके नेतृत्व में, आपकी अध्यक्षता में आने वाले दिनों में इतने ही हसीनों-जमील तरीके से जिन्दा रहेगी, उसके लिए सभी को मुबारकबाद और सबसे ज्यादा आपको मुबारकबाद और मान्यवर, हमारे लिये इससे ज्यादा खुशी की, इससे ज्यादा सम्मान की और क्या बात हो सकती है कि हमारे ही बीच के एक साथी को कुदरत ने एक ऐसा स्थान दिया है जो हम सबके लिए बाइसे-इत्मिनान है।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब राष्ट्रगान।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।

भारत-भाग्य-विधाता ॥

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-बंग।

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,

उच्छल-जलधि-तरंग ॥

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे ॥

गाहे तव जय गाथा ॥

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य विधाता ॥

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे ॥

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 52 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 03 जुलाई, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।